रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2002/भाद्र 26, 1924
No. 188] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2002/BHADRA 26, 1924

## दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

### अधिसूचना

कोलकाता, 12 सितम्बर, 2002

**संदर्भ सं. 18-सी डब्ल्यू ए/9/2002.**—कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 के खंड 18 के उपखंड 5 के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट और उक्त संस्थान के 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के ऑडिट किए हुए लेखों को सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

आर. एन. पाल, निदेशक (ए एंड एफ)

[सं. विज्ञापन/III/IV/71/2002-असाधा.]

### 43वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2001-2002

लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 18(5) के अधीन जारी।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया परिषद् की 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए आई सी डब्ल्यू ए आई की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा-परीक्षित लेखे प्रस्तुत कर रही है।

परिषद् ने दिनांक 22 जुलाई, 2001 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 2001-2002 के लिए इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में श्री बी. बी. देवधर, बी.ए. (ऑनर्स), बी.कॉम (आनर्स), एफ सी एस एफ आई सी डब्ल्यू ए तथा उपाध्यक्ष के रूप में श्री कुणाल बनर्जी, बी.ए. (आनर्स), एफ सी ए एफ आई सी डब्ल्यू का चुनाव किया।

वर्ष 2001-2002 के दौरान परिषद् की 6 बैठकें हुईं।

### परिषद् की समितियां

परिषद् द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2001 को गठित की गई विभिन्न समितियों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

### अध्ययन निदेशालय

### पंजीकृत विद्यार्थी

चालू वर्ष के दौरान, 15,178 विद्यार्थियों ने स्वयं को इंस्टीट्यूट में पंजीकृत कराया। पूर्ववर्ती वर्ष में यह संख्या 15,995 थी। वर्ष के अंत में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 150040 थी। 2000-2001 और 2001-2002 के वर्षों के दौरान पंजीकृत विद्यार्थियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

**पंजीकरण**

| क्षेत्र | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|
| उत्तरी | 2,604 | 2,102 |
| पूर्वी | 1,896 | 1,683 |
| पश्चिमी | 2,973 | 3,160 |
| दक्षिणी | 6,020 | 5,551 |
| **योग** | **13,493** | **12,496** |
| नए सिरे से | 2,502 | 2,682 |
| **कुल योग** | **15,995** | **15,178** |

**कोचिंग**

वर्ष के दौरान 24,813 विद्यार्थियों ने कोचिंग के लिए स्वयं को पंजीकृत कराया। क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

| | | डाक द्वारा | | मौखिक द्वारा | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाठ्यक्रम | क्षेत्र | 2000-2001 | 2001-2002 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2000-2001 | 2001-2002 |
| इंटर | उत्तरी | 2,693 | 2,785 | 1,244 | 1,142 | 3,937 | 3,927 |
| | पूर्वी | 1,188 | 1,091 | 1,819 | 1,399 | 3,007 | 2,490 |
| | पश्चिमी | 1,630 | 2,335 | 2,949 | 3,196 | 4,579 | 5,531 |
| | दक्षिणी | 4,379 | 5,520 | 5,443 | 5,272 | 9,822 | 10,792 |
| | उप योग | 9,890 | 11,731 | 11,455 | 11,009 | 21,345 | 22,740 |
| फाइनल | उत्तरी | 338 | 345 | 91 | 120 | 429 | 465 |
| | पूर्वी | 293 | 167 | 225 | 117 | 518 | 284 |
| | पश्चिमी | 222 | 222 | 289 | 129 | 511 | 351 |
| | दक्षिणी | 756 | 721 | 404 | 252 | 1,160 | 973 |
| | उप योग | 1,609 | 1,455 | 1,009 | 618 | 2,618 | 2,073 |
| **कुल योग** | | **11,499** | **13,186** | **12,464** | **11,627** | **23,963** | **24,813** |

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन नोट्स, परीक्षा-पत्रों तथा सुझाए गए उत्तरों के रूप में डाक द्वारा कोचिंग की सुविधा जारी रखी गई है। इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं (फाउंडेशन, इंटर तथा फाइनल) तथा स्कैनर में निर्धारित किए गए प्रश्नों के सुझाए गए उत्तरों के प्रकाशन से डाक द्वारा तथा मौखिक कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों की मांगे लगातार पूरी हो रही हैं।

डाक द्वारा कोचिंग के अलावा, इंस्टीट्यूट द्वारा देशभर में फैले 105 केन्द्रों और विदेश में दुबई स्थित एक कोचिंग केन्द्र के जरिए विद्यार्थियों को मौखिक कोचिंग उपलब्ध की जा रही है।

**प्रायोगिक प्रशिक्षण योजना**

इंस्टीट्यूट में एक प्रायोगिक प्रशिक्षण योजना चल रही है ताकि विद्यार्थियों को उद्योग, सेवा तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने में मदद मिल सके। नए परिवेश में अर्थव्यवस्था की बदलती हुई जरूरत को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण योजना को प्रयोक्ता उद्योग, सेवा एवं अन्य क्षेत्रों के परामर्श से संशोधित किया गया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, आईटीसी, नाल्को, इंडोरमा, हिन्दुस्तान लीवर जैसे ख्याति प्राप्त संगठनों, विदेशी बैंकों इत्यादि द्वारा लागत प्रशिक्षुओं को अपने-अपने संगठनों में रखा जा रहा है। वर्ष के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, लार्सनस एण्ड टूब्रो लि., इन्डोरमा, आईडीबीआई, आईडीबीआई बैंक, टीवीएस सुजुकी, आईसीआईसीआई इत्यादि जैसे अनेक संगठनों ने जून और दिसम्बर, 2001 के सत्र में आईसीडब्लयूएआई की परीक्षाओं के योग्य अभ्यर्थियों को कैम्पस साक्षात्कारों/वाक-इन-साक्षात्कारों के माध्यम से अपने-अपने संगठनों में भर्ती किया।

**अध्ययन नोट्स में संशोधन/उन्हें अद्यतन बनाना तथा सहायक सामग्री का प्रकाशन**

इंस्टीट्यूट ने विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम घटनाक्रमों को समाविष्ट करने के लिए अध्ययन नोट्स को अद्यतन बनाया है तथा उनमें सुधार किया है। वर्ष के दौरान वित्त अधिनियम, 2001 के आधार पर प्रत्यक्ष कराधान एवं अप्रत्यक्ष कराधान हेतु कर संबंधी अद्यतन सामग्री इंस्टीट्यूट की पत्रिका 'दि मैनेजमेंट एकाउंटेंट' में प्रकाशित की गई है और विद्यार्थियों को नि:शुल्क वितरित की गई है। इस सहायक सामग्री को इंस्टीट्यूट की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।

**कैरियर काउंसेलिंग उपाय**

वर्ष के दौरान विद्यार्थी समुदाय के बीच पाठ्यक्रम के क्षेत्र-विस्तार का प्रसार करने के लिए विशेष उपाय किए गए थे । इंस्टीट्यूट की शाखाओं से स्थानीय शैक्षिक संस्थानों के साथ समन्वय करने अथवा वरिष्ठ विद्यार्थियों की बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया था जिनमें इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उभरते हुए आर्थिक परिदृश्य में लागत एवं प्रबंधन लेखाकरण के व्यवसाय के क्षेत्र विस्तार को रेखांकित किया था । इस दिशा में परिषद् द्वारा किए गए उपायों पर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है और अगले वित्त वर्ष के दौरान अनेक कैरियर काउंसेलिंग कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है । इसके अलावा, सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अनेक समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं द्वारा अपने पाठकों के लिए कैरियर गाइड के रूप में आईसीडब्ल्यू ए आई पाठ्यक्रम के बारे में ब्यौरे प्रकाशित किए गए । क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के अलावा, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दि टेलीग्राफ तथा आनंद बाजार पत्रिका में प्रकाशित लेखा का भी उल्लेख किया जा सकता है । आई सी डब्ल्यू ए आई पाठ्यक्रम में प्रवेश के बारे मे दो विज्ञापन रोजगार समाचार में प्रकाशित किए गए थे ।

**पाठ्यचर्या का संशोधन**

इंस्टीट्यूट के आधारभूत पाठ्यक्रम में कोचिंग की शुरूआत और परिषद द्वारा यथा स्वीकृत इंस्टीट्यूट के इण्टरमीडिएट तथा फाइनल पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या के संशोधन को भी भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 फरवरी,2002 के अपने पत्र सं0 2/1/2001-आईजीसी के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अनुमोदित कर दिया गया है । तत्पश्चात् दिनांक 7 फरवरी,2002 को भारत के राजपत्र के भाग ~~रूरू~~ खंड 4 में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु उसे दिनांक 11 फरवरी 2002 को सर्वसाधारण को उपलब्ध कराया गया है । जैसाकि अपेक्षित है, परिषद् द्वारा विधीक्षा के उपरान्त प्रस्तावित संशोधित पाठ्यचर्या राजपत्र में अंतिम अधिसूचना और दिनांक 1.7.2002 से क्रियान्वयन हेतु 18.4.2002 को सरकार के पास भेजी गई थी । केन्द्र सरकार ने संशोधित पाठ्यचर्या 25.6.2002 को अनुमोदित कर दी गई थी और उसे 26.6.2002 को राजपत्र मे प्रकाशित किया गया था । संशोधित पाठ्यचर्या के तहत दो अध्ययन नोट्स एक इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए और दूसरा फाइनल पाठ्यक्रम के लिए, को तुरंत प्रकाशित करना संभव हुआ है ।

**अनिवार्य प्रशिक्षण**

प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सुविधा समिति तथा परिषद् द्वारा अन्तिम रूप प्रदत्त प्रशिक्षण योजना, जिसमें अनिवार्य समूह चर्चा, कारबार संसूचना सेमिनार, व्याख्यान, मोड्युलर प्रशिक्षण, कम्प्यूटर हैंडस आन को छोड़कर औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना शामिल है, को दिनांक 1.1.2001 से लागू किया जा चुका है ।

**कम्प्यूटर प्रशिक्षण**

पहले लिए गए निर्णय के अनुसार, जून 2002 सत्र की परीक्षा में बैठने के इच्छुक विद्यार्थियो के लिए कोचिंग समापन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण को पूरा करना एक पूर्वापेक्षा बना दिया गया था । यह प्रशिक्षण एन आई आई टी के माध्यम से चलाया जा रहा है । प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सुविधा समिति के निर्णय के अनुसार, दिनांक 10 11.2001 के हमारे परिपत्र मे यथा-उल्लिखित अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं रखने वाली लगभग 23 क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई है । क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के नाम नीचे दिए गए हैं :-

ईआईआरसी, एसआईआरसी, एनआईआरसी, डब्ल्यूआईआरसी, पुणे, नागपुर, भोपाल, सूरत, त्रिसूर, कोचीन, नासिक, बड़ौदा, बंगलौर, कल्यान-अम्बरनाथ, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, दुर्गापुर, तिरूचिरापल्ली, विजयवाड़ा और कोयम्बटूर ।

**विदेशी संस्थाओं तथा बिजनेस स्कूलों द्वारा मान्यता और छूट की पारस्परिक व्यवस्था**

समन्वित प्रयासों से हम व्हार्टन स्कूल, कैली स्कूल ऑफ बिजनेस, स्टुअर्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ऑफ यू एस ए को अपेक्षित शर्तें पूरी करने पर संबंधित संस्थाओं के संबंधित एमबीए कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की हमारे सदस्यों को अनुमति देने के लिए राजी करने में सफल हुए थे । दि इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड जनरल एकाउंटेंट्स ओन्टारियों, कनाडा (सीजीए, ओंटारियों) ने आई सी डब्ल्यू ए आई उत्तीर्ण अभ्यर्थियो को अपने पाठ्यक्रम के 22 प्रश्न-पत्रों में से 13 प्रश्न-पत्रों में छूट और एक प्रश्न-पत्र में चैलेंज एग्जामिनेशन प्रिविलेज प्रदान किया । दि इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट एकाउंटैंट्स, यू एस ए(सी एम एम, यू एस ए) ने अपने पाठ्यक्रम के भाग 3 और 4 में आईसीडब्ल्यूएआई के अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की और आईसीडब्ल्यूए आई पाठ्यक्रम में सी एम ए उत्तीर्ण अभ्यर्थियो को छूट प्रदान करने के लिए पारस्परिक व्यवस्था करना संभव हुआ है ।

यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन मैनेजमेंट (ईआईएएसएम) ने तुलनात्मक अनुसंधान हेतु विश्व भर की विभिन्न व्यावसायिक संस्थानो से आंकड़े एकत्र किए । ऐसा समझा जाता है कि उक्त अनुसंधान का परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय लेखा शिक्षा एवं अनुसंधान एसोसिएशन के हांगकांग सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा जिसे नवम्बर,2002 में आईएफएसी विश्व लेखाकार कांग्रेस के सहयोग से आयोजित किया जाएगा । लेखा शिक्षा में वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में अनुसंधान कार्यकलाप की रिपोर्ट दिसम्बर,2001 में प्रकाशित की गई है । उक्त रिपोर्ट मे अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ-साथ आई सी डब्ल्यू ए आई का सिंहावलोकन दिया गया है ।

आई सी एस आई और आई सी डब्ल्यू ए आई की पाठ्यचर्या मे संशोधन के परिणामस्वरूप आईसीएसआई के साथ छूट प्रदान करने की पारस्परिक व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया है । अध्ययन निदेशक, आई सी डब्ल्यू ए आई ने यह मामला अब आई सी एस आई के साथ उठाया है । आशा है कि आई सी एस आई के साथ इस प्रकार की पारस्परिक व्यवस्था शीघ्र कर ली जाएगी ।

**परीक्षाएं:**

जून,2001 और दिसम्बर,2001 की परीक्षाएं 78 अन्तर्देशी और 3 विदेशी केन्द्रों पर आयोजित की गई थीं। इन दोनों सत्रों के लिए क्रमशः 29,123 और 28,982 परीक्षार्थी नामांकित किए गए थे । अन्तर्देशी और विदेशी, दोनों परीक्षा केन्द्रो के स्थानों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है ।

हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाई <ww.icwai.org> में आगे और सुधार किया गया था और जहां जून,2001 सत्र के लिए केवल परिणाम ही वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए थे, वहीं दिसम्बर,2001 के सत्र के लिए प्रवेश-पत्र और विस्तृत अंक तालिका के साथ परिणाम प्रदर्शित किए गए थे जिसकी विद्यार्थी समुदाय ने काफी सराहना की थी । परीक्षार्थियों

के लिए सेवाओं में आगे और सुधार करने तथा परीक्षाओं के सुगम और कुशल संचालन हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ।

तथापि, पहले की गई व्यवस्था के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया नई कम्प्यूटर प्रणाली (ओरेकल) के तहत नहीं चलाई जा सकी क्योंकि मै0 आनट्रेक सिस्टम्स लि0 द्वारा तैयार किए गए पैकेज को त्रुटिरहित नहीं पाया गया था और परियोजना अन्ततः शुरू नहीं की गई थी । तथापि, हार्डवेयर संबंधी भारी अड़चनों के बावजूद स्थिति से मौजूदा कोबोल प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक निपटा जा सका । आशा है कि परीक्षा प्रणाली शीघ्र ही आधुनिकतम प्लेटफार्म में तब्दील कर दी जाएगी और विद्यार्थियो को बेहतर और त्वरित सेवा प्रदान की जाएगी ।

वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय लागत सम्मेलन के दौरान किया गया था तथा पुरस्कारों के सफल प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या काफी हो गई जिससे उक्त आयोजन बेहद सफल रहा जिसमें ख्याति प्राप्त हस्तियां उपस्थित हुई थीं ।

वर्ष के दौरान परीक्षा से जुड़े विभिन्न कर्त्तव्यों के निर्वाह हेतु परीक्षा समिति ने पांच बैठकें की थीं ।

**परीक्षा केन्द्र - जून 2001 और दिसम्बर,2001**

**अन्तर्देशी**

| पश्चिमी क्षेत्र | दक्षिणी क्षेत्र | पूर्वी क्षेत्र | उत्तरी क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | बंगलौर | अगरतल्ला | अजमेर |
| औरंगाबाद | चेन्नई | आसनसोल | इलाहाबाद |
| बड़ौदा | कोयम्बटूर | भुवनेशवर | चण्डीगढ़ |
| भिलाई | एर्णाकुलम | बोकारो | देहरादून |
| भोपाल | हैदराबाद | कोलकाता | दिल्ली |
| बिलासपुर | कोट्टायम | कटक | फरीदाबाद |
| इन्दौर | मदुरै | धनबाद | गाजियाबाद |
| कोल्हापुर | मंगलौर | दुर्गापुर | जयपुर |
| मुम्बई | मैसूर | गुवाहाटी | जम्मू |
| नागपुर | नईवेली | हावड़ा | जोधपुर |
| नासिक | पांडिचेरी | जमशेदपुर | कानपुर |
| पणजी (गोवा) | राजमुंदरी | नैहाटी | कोटा |
| पुणे | सलेम | पटना | लखनऊ |
| सूरत | तिरूवनंतपुरम | रांची | पटियाला |
| विद्यानगर | तिरूचिरापल्ली | राउरकेला | उदयपुर |
| | तिरूवेलविली | | जालंधर |
| | उक्कुनाग्राम | | |
| | वैल्लोर | | |
| | विजयवाड़ा | | |
| | वाल्टेयर | | |

**विदेशी**

| | | |
|---|---|---|
| बोत्सवाना | दुबई | मस्कट |

**सदस्यता**

वर्ष के दौरान 801 अभ्यर्थियों को एसोसिएट सदस्यों के रूप में प्रवेश दिया गया था और 138 एसोसिएट सदस्यों का दर्जा बढ़ाकर फैलो सदस्य बनाया गया था । 31 मार्च,2002 की स्थिति के अनुसार, सदस्यों की कुल संख्या 21450 थी । प्रैक्टिस कर रहे सदस्यों की संख्या 1695 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1744 थी । वर्ष के दौरान नामांकित ग्रेजुएट सदस्यों की संख्या पूर्ववर्ती वर्ष के 431 की तुलना में 364 थी ।

**सदस्य सेवा एवं सदस्य सुविधा समिति**

वर्ष के दौरान सदस्य सेवा एवं सदस्य सुविधा समिति की केवल एक बैठक हुई तथा बैठक में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे :

1. 'दि मैनेजमेंट एकाउंटेंट में 'सदस्यता दिशा निर्देश' का किस्तो में या एक साथ प्रकाशन करना ।
2. दिशा निर्देशों का अनुपालन हमारे इंस्टीट्यूट के सदस्यो को फैलोशिप प्रदान करने के लिए किया जाना ।
3. दिशा निर्देशों का अनुपालन इंस्टीट्यूट का एसोसिएट सदस्य बनाने के लिए किया जाना ।
4. ऐसे ग्रेजुएट सदस्यो की सूची तैयार करना जो अब तक एसोसिएट सदस्य नहीं बने हैं ।
5. ऐसे विद्यार्थियो की सूची तैयार करना जो फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं किन्तु जो गेजुएट सी डब्ल्यू ए अथवा सदस्य नहीं बने हैं ।
6. कारबार उत्तर लिफाफा प्रणाली लागू करना ।

**चालू वर्ष के दौरान सुधार**

7. चूककर्ता सदस्यों के खिलाफ कड़ी अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
8. सदस्यता विभाग को सुदृढ़ करना और समूचे सदस्यता विभाग को इंस्टीट्यूट के एक ही स्थान/मंजिल पर रखना ।
9. सदस्यों को नियमित आधार पर उनकी ओर बकाया धनराशि के बारे में सूचित करना ।
10. एक प्रणाली तैयार करना ताकि प्रयोक्ता सामान्य स्रोत से सदस्यों के पतों का उपयोग कर सकें ।
11. सदस्यों के (आवासीय तथा कार्यालय) दोनों पतों, टेलीफोन नं0 तथा ई-मेल पते के उल्लेख याली सीडी/फ्लापी समूल्य प्रकाशन के रूप में सदस्यों को उपलब्ध की जाए ।
12. प्रत्येक प्रकार की सेवा प्रदान करने में इंस्टीट्यूट द्वारा लिए गए संभावित समय को तालिका के रूप में 'दि मैनेजमेंट एकाउंटेंट' में प्रकाशित करना ।
13. सदस्यों के लिए सेवाओं में सुधार तथा नवीकारी कार्यप्रणाली लागू करने में क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के सुझाव ।
14. कागजी कार्य में यथासंभव अधिकाधिक कमी करना, सदस्यों को इंस्टीट्यूट के ई-मेल पते का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना ।
15. सभी सदस्यों को टेलीफोन नं0 सहित अपने ई-मेल पते तथा फैक्स नं0 प्रस्तुत करने के बारे में सूचित करते हुए 'दि मैनेजमेंट एकाउंटेंट' में उल्लेख शामिल करना ।

ऊपर सूचीबद्ध सभी लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे है । सदस्यों को उचित सेवा तथा सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान निम्नलिखित उपाय सफलतापूर्वक किए गए हैं:-

1. व्यापक स्तर पर सदस्यता रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को पूरा करने की दिशा में उपाय किए गए थे । कम्प्यूटरीकृत रिकार्डों का अन्य संबद्ध विभागों के साथ नेटवर्क कनैक्शन हेतु

सुविधाएं भी मुहैया की गई हैं । इस संबंध में प्रणाली विकास संबंधी आगे कार्यकलाप किए जा रहे हैं ।

2. सदस्यों की संख्या बढ़ाने और बकाया राशि की वसूली करने के एक अभियान के रूप में ग्रेजुएट सीडब्ल्यू ए से यह अनुरोध करते हुए उन्हें पत्र जारी किए गएथे कि वे स्वयं को एसोसिएट सदस्य के रूप में प्रवेश दिलाएं और बकाया राशि की भी बेबाकी करे । इन पत्रों के उत्तर में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी तथा अनेक सदस्यों ने एसोसिएट सदस्यता हेतु आवेदन किया तथा अपनी बकाया राशि का भुगतान किया ।

3. सदस्यों को अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की सूचना देते हुए मासिक पत्रिका 'दि मैनेजमेंट एकाउंटेंट' में सूचना भी प्रकाशित की गई थी ।

4. सदस्यों को अपनी बकाया राशि के बारे में त्वरित सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाने और उन्हें अपनी प्रोफाइल को अद्यतन करने में समर्थ बनाने के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.icwai.org में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं । विभिन्न फार्मों और सदस्यता संबंधी दिशा-निर्देशों को डाउनलोड करने की पहले से उपलब्ध सुविधा जारी बनी हुई है ।

5. सदस्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर उनके विवरणो को अद्यतन करने और उन्हें इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के उपाय किए गए हैं ।

6. कागजी काम को संभावित सीमा तक कम करने और सदस्यों को ई-मेल का अधिकाधिक उपयोग करने के प्रति प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ, उनके द्वारा सूचित किए गए ई-मेल पतों को दर्ज करने और ई-मेल के जरिए उनके प्रश्नो का त्वरित उत्तर उपलब्ध कराने के उपाय किए गए थे ।

7. सदस्यों और प्रैक्टिस कर रहे सदस्यों के लाभार्थ समस्त सरकारी अधिसूचनाओं और लागत लेखा-परीक्षा आदेशों को प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

8. सदस्यों के लिए सेवाओं में सुधार करने और नवीकारी कार्य प्रणाली लागू करने के संबध में क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं से सुझाव मांगे गए थे ।

9. सदस्यों को प्रत्येक प्रकार की सेवा प्रदान करने में इंस्टीट्यूट द्वारा लिए गए संभावित समय को 'दि मैनेजमेंट एकाउंटेंट' में प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए गए थे ।

समिति को आशा है कि इन कदमो से सदस्यो को निश्चित रूप से बेहतर सेवा प्राप्त होगी और सदस्यों से इसमें आगे और सुधार करने के बारे में सुझाव प्राप्त होते रहेगे ।

**अनुसंधान एवं पत्रिका समिति**

इस वर्ष इंस्टीट्यूट की पत्रिका 'दि मैनेजमेंट एकाउंटेंट' में संकार्य के परम्परागत क्षेत्रों से आगे निकलकर नए युग मे लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों की नई भूमिका पर पुनः जोर दिया गया । पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर उल्लिखित चित्र में बदलते हुए परिदृश्य में लागत लेखाकारों के नए संदर्भ को प्रदर्शित किया गया । व्यावसायिकों के हाथों में पत्रिका की व्यावहारिक उपयोगिता में काफी सुधार हुआ और अन्य व्यवसायों के सदस्यों ने भी इसका इस्तेमाल स्रोत पुस्तिका के रूप मे किया ।

लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों के व्यवसाय को सरकार एवं समाज की ओर से अधिक मान्यता मिलने के कारण जहां इस्पात, विद्युत, इलैक्ट्रानिक्स इत्यादि जैसे नए उद्योगों को सांविधिक लागत लेखाकरण और लागू लेखा परीक्षा के अन्तर्गत लाया गया था वहीं लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ-साथ अधिकांश लागत लेखा रिकार्डों में अनेक मूलभूत परिवर्तन किए गए थे । व्यावहारिक क्षेत्र में इन परिवर्तनों के प्रभाव और प्रासंगिकता को बदलते हुए परिदृश्य के प्रति हमारी समझ को बढ़ाने में अपना योगदान करने वाले प्रैक्टिस और सेवाकार रहे दोनों प्रकार के लागू लेखाकारों की अधिकाधिक भागीदारी से पत्रिका में तुरंत प्रकाशित किया गया था । निरंतर उत्कृष्टता हासिल करने में वास्तविक समस्याओं को अभिज्ञात करने और उनका समाधान करने अथवा समाधान खोजने पर जोर दिया गया था ।

इस वर्ष पत्रिका के समय पर प्रकाशन और उसके परिचालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ था । विद्यार्थियों और अंशदाताओं में विद्यार्थी संस्करण के नए चरण का परिचालन शुरू हो गया है ।

जहां तक अनुसंधान कार्यकलापों का संबंध है, नई बौद्धिक निविष्टियां रिसर्च बुलेटिनें के जरिए प्रसारित की गई थीं । रिसर्च बुलेटिन में आंकलन में विशेषज्ञों एव कार्यनितिक चिंतक के रूप में हमारी नई भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था । 'आंकलन - उद्योगों का निष्पादन, आंकलन, जोखिम आंकलन एवं विश्लेषण, ईवीए जैसे आंकलन संबंधी साधन का मूल्यांकन तथा कृषि लागत-लाभ परिदृश्य का निर्धारण, जिसने डब्ल्यू टी ओ प्रणाली में अत्यधिक महत्ता हासिल की है । तथापि वित्तीय अड़चन के कारण अनुसंधान संबंधी नई परियोजनाएं शुरू करने के कार्य को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था । दूसरी ओर आर्थिक विश्व के लिए व्यावहारिक उपयोगिता रखने वाली संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं से पूछ-ताछ प्राप्त हुई थीं । ऐसी एक परियोजना के बारे में कीमत फार्मूले पर विचार-विमर्श चल रहा है ।

**अन्तरराष्ट्रीय कार्य**

इस अवधि के दौरान इंस्टीट्यूट ने आईएफएसी(अन्तरराष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ), सीएपीए (एशियाई एवं प्रशांत लेखाकार महासंघ), और एस ए एफ ए (दक्षिण एशियाई लेखाकार परिसंघ) जैसे सभी अन्तरराष्ट्रीय लेखाकरण निकायों मे भारत का प्रतिनिधित्व किया । प्रसंगवश, इंस्टीट्यूट इन तीनों अन्तरराष्ट्रीय लेखाकरण निकायों का संस्थापक सदस्य बन गया।

श्री एस रामनाथन, पूर्व अध्यक्ष तथा मौजूदा परिषद सदस्य को आई एफ ए सी की प्रतिष्ठित एफ एम ए सी (अन्तरराष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ की वित्तीय एवं प्रबंधन लेखा समिति) का सदस्य नियुक्त किया गया था जबकि श्री वी.वी. देवधर, अध्यक्ष, इसी समिति में तकनीकी सलाहकार थे।

इंस्टीट्यूट ने अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण निकायों की विभिन्न बैठकों और इनसे जुड़े अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों मे भाग लिया । वर्णक्रमानुसार विवरण निम्नानुसार हैः-

**सीएपीए**

मई,2001 मे कुआलालम्पुर में सीएपीए एक्सकाम का आयोजन किया गया था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आई सी डब्ल्यू ए आई प्रतिनिधिमंडल के रूप में श्री डी.सी बजाज (तत्कालीन अध्यक्ष) और श्री वी.वी. देवधर(तत्कालीन उपाध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष) ने भाग लिया था । अक्तूबर,2001 में सिडनी, आस्ट्रेलिया में आयोजित सीएपीए असेम्बली में श्री वी.वी. देवधर और श्री एस रामनाथन ने भाग लिया था । पिछला सी ए पी ए एक्सकाम अप्रैल,2002 में टोक्यो,जापान में आयोजित हुआ था जिसमें आई सी डब्ल्यू ए आई की ओर से श्री वी0वी. देवधर और श्री एस रामनाथन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था ।

**आईएफएसी**

आई एफ ए सी - एफ एम ए सी की बैठक मार्च, 2002 में सिडनी, आस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसमें श्री वी.वी. देवधर और श्री एस रामनाथन ने भाग लिया था

**एस ए एफ ए**

इंस्टीट्यूट ने दिसम्बर, 2001 में गोवा में आयोजित एसएएफए असेम्बली में भाग लिया था । पिछली एसएएफए असेम्बली मई,2002 में मुम्बई में आयाजित हुई थी, जिसमें आई सी डब्ल्यू ए आई के प्रतिनिधिमण्डल में श्री राजीव महर्षि (आईसीडब्ल्यूएआई परिषद में केन्द्र सरकार के नामिती) और श्री वी.वी. देवधर शामिल थे ।

इन सभी बैठकों में इंस्टीट्यूट ने खासकर भारतीय लेखाकारों - लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों के हितों और इन सबके अलावा, भारत के राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था ।

***व्यावसायिक विकास समिति***

इंस्टीट्यूट की परिषद की व्यावसायिक विकास समिति, जिसकी वर्ष के दौरान समय-समय पर बैठकें हुईं, ने व्यावसायिक विकास, चुनौतियों और अवसरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। समिति ने प्रभावी लागत नियंत्रण और लागत में कमी के जरिए देश की अर्थव्यवस्था के विकास में व्यावसायिक विकास के क्षेत्र और लागत लेखाकारों की संवर्धित भूमिका को व्यापक बनाने और सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार के संबंधित विभागों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क स्थापित किया । संदर्भाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित कार्य किए गए:

1. **मौजूदा लागत लेखा रिकार्ड संबंधी नियमों में संशोधन**

(क) लागत लेखा रिकार्ड (रसायन उद्योग) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि उसके क्षेत्र विस्तार में अन्य 21 रसायनों को शामिल किया जा सके ।

(ख) लागत लेखा रिकार्ड (इंजीनियरी उद्योग) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि उसके क्षेत्र विस्तार में ऑटोमोटिव कल-पुर्जों, विद्युत ट्रांसफार्मरों, विद्युत जनरेटर और मशीन औजारों को शामिल किया जा सके ।

(ग) लागत लेखा रिकार्ड (मोटर वाहन) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि उसके क्षेत्र-विस्तार में भारी अर्थ मूविंग उपकरणों को शामिल किया जा सके ।

(घ) लागत लेखा रिकार्ड (लघु इस्पात संयंत्र) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि उसके क्षेत्रविस्तार में लघु इस्पात संयंत्रों की बजाय सभी इस्पात संयंत्रों को शामिल किया जा सके ।

(ङ.) लागत लेखा रिकार्ड (वनस्पति) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि बदली हुई प्रचालानात्मक प्रौद्योगिकी के मद्देनजर रिकार्डों को अद्यतन बनाया जा सके ।

(च) लागत लेखा रिकार्ड (सूत्रीकरण) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि बदली हुई प्रचालानात्मक प्रौद्योगिकी के मद्देनजर रिकार्डों को अद्यतन बनाया जा सके ।

(छ) लागत लेखा रिकार्ड (दुग्ध खाद्य) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि उसके क्षेत्र-विस्तार में आइसक्रीम, चाकलेट और देशी घी को शामिल किया जा सके।

(ज) लागत लेखा रिकार्ड (बल्क औषधि) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि बदली हुई प्रचालानात्मक प्रौद्योगिकी के मद्देनजर रिकार्डों को अद्यतन बनाया जा सके ।

(झ) लागत लेखा रिकार्ड (एल्युमिनियम) नियमावली में संशोधन किया गया था ताकि उसके क्षेत्र-विस्तार में पन्नी, जो अब तक नियमावली में शामिल नहीं थी, को शामिल किया जा सके ।

2. **संशोधित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी नियमावली, 2001 तथा इंस्टीट्यूट के दिशा-निर्देश संबंधी नोट्स**

संशोधित, अद्यतन और व्यापक लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी नियमावली, 2001 जारी की गई थी ताकि उसके क्षेत्र एवं कवरेज को बढ़ाया जा सके और रिपोर्टिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके । उत्पाद अथवा कार्यकलाप हेतु कंपनी की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबन्धों तथा प्रपत्र को कंपनी सचिव तथा कंपनी के कम से कम एक निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित करना होता है । लागत लेखा रिपोर्ट संबंधी नियमावली में नए प्रावधानों से अधिक वैज्ञानिक नियंत्रण की दिशा में कंपनियों के व्यापारिक क्रियाकलापों के संबंध में बेहतर विश्लेषणात्मक पद्धति उपलब्ध होगी ।

इंस्टीट्यूट ने संशोधित लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संबंधी नियमावली, 2001 के अधीन एक व्यापक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें लागत लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट्स शामिल थे । इस पुस्तिका में लागत लेखा परीक्षा के सभी पहलू निहित हैं और यह उद्योग एवं प्रैक्टिस कर रहे लागत लेखाकरों को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करती है ।

3. **नए लागत लेखा रिकार्ड संबंधी नियम जारी करना**

निम्नलिखित लेखा रिकार्ड संबंधी नियम जारी किए गए थे:-

(क) लागत लेखा रिकार्ड (खनन एवं धातु कर्म) नियमावली, 2001

(ख) लागत लेखा रिकार्ड (इलैक्ट्रानिक उत्पाद) नियमावली, 2001

(ग) लागत लेखा रिकार्ड (विद्युत उद्योग) नियमावली, 2001

4. **उभरते हुए नए क्षेत्र**

(क) सरकार ने अन्तरण कीमत निर्धारण समिति का गठन किया है जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है ।

(ख) श्री चन्द्र वधवा की अध्यक्षता में लागत लेखा मानक बोर्ड का गठन किया गया है जिसने 'लागत वर्गीकरण' संबंधी लागत लेखा मानक तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है ।

(ग) लेखा परीक्षा समिति का गठन: कंपनी के कार्यों के प्रबंधन मे लागत लेखा परीक्षक की भूमिका को भली भांति स्वीकार किया गया है और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292-क में संशोधन के परिणामस्वरूप उसे लेखा परीक्षा समिति मे शामिल किया गया है ।

5. **इंस्टीट्यूट की लागत लेखा परीक्षा पुस्तिकाएं**

विभिन्न उद्योगों में लागत लेखा परीक्षा करने के लिए उद्योगों और प्रैक्टिस कर रहे लागत लेखाकरों को इंस्टीट्यूट के दिशा निर्देश उपलब्ध किए गए थे । इस प्रयोजनार्थ इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लागत लेखा परीक्षा पुस्तिकाएं वर्ष के दौरान जारी की गई थीं जो साबुन एवं डिटर्जेंट, फुट वियर, औद्योगिक गैस त्यादि जैसे उद्योगों से संबंधित थीं । इलैक्ट्रानिक उद्योग से संबंधित पुस्तिका तैयार की जा रही है । सीमेंट उद्योग से संबंधित दिशा निर्देश भी अद्यतन किए जा रहे हैं ।

यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लागत लेखाकारों को विविध संविधियों के तहत व्यापक क्षेत्रों में मान्यता मिले ।

**वित्तीय संस्थान, बीमा एवं सेवा क्षेत्र समिति**

समिति ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रबंधन लेखाकरों के क्षेत्र का विस्तार करने पर समुचित जोर दिया था । पूर्ववर्ती समितियों द्वारा अभिज्ञात किए गए थ्रस्ट क्षेत्रों अर्थात् बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में स्टॉक की लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, बैंक लाभप्रदता विश्लेषण, परियोजना वित्त, एनपीए का निर्धारण एवं प्रबंधन, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार तथा सौदा लागत मे कमी इत्यादि को नए प्रयास के साथ जारी रखा गया था । बातचीत के माध्यम खुले रखे गए थे और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाइयां की गई थीं । शाखाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि वे क्षेत्र विशिष्ट विषयों पर नियमित रूप से सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके क्षेत्रों के साथ सम्पर्क बनाए रखें जिनमें इन क्षेत्रों के स्थानीय विशेषज्ञ और प्रबंधक शामिल किए जाएं । स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा, पर्यटन, नगर पालिका इत्यादि जैसे सेवा क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था । समिति इन क्षेत्रों में क्षेत्र विस्तार के बारे में सदस्यों के बीच जागरुकता पैदा करने में सफल हुई है ।

वित्त एवं लेखा कार्मिकों की भर्ती हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित भेदभावपूर्ण नियुक्ति संबंधी विज्ञापनों का जवाब देने के लिए सतत् प्रयास किए गए थे । उद्योगों एवं भर्ती एजेंसियों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थीं । इससे उद्योगों एवं भर्ती एजेंसियों में जागरुकता भी पैदा हुई थीं । अध्ययन निदेशक ने इस संबंध में काफी समय तक पहल की है ।

समिति के सतत प्रयासों से इंस्टीट्यूट को इस क्षेत्र में प्रकृष्टता स्थापित करने में मदद मिली और इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

**सतत शिक्षा कार्यक्रम**

वर्ष 2001-2002 के दौरान इंस्टीट्यूट की सतत शिक्षा कार्यक्रम समिति ने रिकार्ड संख्या में 50 प्रबंधन विकास कार्यक्रम चलाए । इसमें विभिन्न संगठनों के लिए अनन्य रूप से इन-हाउस कार्यक्रम भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर निवासी एवं अनिवासी आधार पर स्वचालित (खुला) कार्यक्रम शामिल थे ।

इन-हाउस कार्यक्रम अनन्यरूप से निम्नलिखित संगठनों के कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए थे:-

(i) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि0
(ii) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटि लि0
(iii) महानगर टेलीफोन निगम लि0
(iv) भारतीय तेल निगम लि0
(v) भारतीय गैस प्राधिकरण लि0
(vi) मारुति उद्योग लि0
(vii) तेल उद्योग विकास बोर्ड
(viii) भारतीय जल सेना
(ix) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(x) डी सी एम लि0
(xi) भारत संचार निगम लि0

निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे :-

(i) कार्यकलाप आधारित लागत निर्धारण एवं प्रबंधन
(ii) लागत नियंत्रण एवं लागत मितव्ययिता ।
(iii) यू एस जी ए एपी और अन्तरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक
(iv) निगमित वित्त
(v) वित्तीय प्रबंधन में उभरते हुए रूझान
(vi) निगमित कराधान
(vii) स्रोत पर काटा गया कर
(viii) गैर-वित्त कार्यकारियों के लिए वित्तीय प्रबंधन
(ix) ई-कॉमर्स हेतु व्यापार प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण
(x) इंजीनियरों के लिए लागत निर्धारण
(xi) डब्ल्यूटीओ का प्रभाव
(xii) वित्त कार्मिकों के लिए कुशलता विकास कार्यक्रम
(xiii) खजाना संकार्य एवं प्रबंधन
(xiv) कार्यनीतिक लागत प्रबंधन
(xv) वित्तीय कार्यकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम
(xvi) सामग्री प्रबंधन
(xvii) प्रबंधकीय प्रभावकारिता
(xviii) अप्रत्यक्ष कराधान एवं सेवा कर
(xix) लेखा मानक

वर्ष के दौरान समित ने निम्नलिखित संगठनों/विभागों के साथ संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए:

(1) लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार (डीपीई)
(2) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई)
(3) ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए)
(4) कंज्यूमर इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टी वी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीईटीएमए)

'वित्तीय प्रबंधन में उभरते हुए रूझानों पर कार्यक्रम का आयोजन आवासीय आधार पर सिंगापुर, मलेशिया और बैंकाक में किया गया है जिसकी अनेक सरकारी एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ वित्त कार्यकारियों द्वारा काफी सराहना की गई थी ।

' यू एस जी ए एपी और अन्तरराष्ट्रीय लेखाकरण मानकों पर अनन्य एवं गहन कार्यक्रम, जिसका आयोजन आवासीय आधार पर काठमांडु, नेपाल में किया गया है, में नेपाल और भारत के सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं बैंकों के वरिष्ठ कार्यकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था ।

समिति यह सूचित करते हुए हर्ष का अनुभव कर रही है कि 'यू एस जी ए एपी और अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों पर समिति द्वारा तैयार किए गए नए विशिष्टीकृत कार्यक्रम की इस वर्ष के दौरान काठमांडु और मुम्बई में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले भागीदारों और संगठनों द्वारा काफी सराहना की गई थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए फैकल्टियां भारतीय फैकल्टी के अलावा संबंधित विदेशों से ली गई थीं ।

जिन भागीदारों ने समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है, उनमें सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के कार्यकारी शामिल हैं ।

समिति इंस्टीट्यूट के सदस्यों और भारतीय निगमित क्षेत्र तथा सरकारी विभागों के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के कार्यकारियों के लाभार्थ लागत प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, कराधान इत्यादि के नए उभरते हुए क्षेत्रों में आगामी वर्ष के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है । जैसाकि विगत में आयोजन किया गया है, आगामी वर्ष के दौरान समिति तीन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है ।

समिति की यह भी योजना है कि दिल्ली और समूचे भारत के अन्य स्थानों पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार तथा अन्य व्यापारिक एसोसिएशनों एवं निकायों के साथ संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

समिति अन्त में इस वर्ष के दौरान समिति के कार्यकलापों में विभिन्न संगठनों द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है । समिति इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परिषद सदस्यों तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करती है, जिन्होंने समिति के कार्यकलापों में निरंतर सहायता की।

**लेखा**

इंस्टीट्यूट के वर्ष 2001-2002 के लेखा परीक्षित लेखे, उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

**सराहना एवं धन्यवाद**

व्यवसाय के हेतु को आगे बढ़ाने के लिए परिषद अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं सभी सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करती है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद को प्रदत्त सहयोग एवं सहायता के लिए परिषद सरकारी विभागों विशेषरूप से विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, विभिन्न सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संगठनों, स्वायत्तशासी निकायों, बैंको, बीमा कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सचिवों एवं अधिकारियों को भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती है । समिति भविष्य में भी इस प्रकार की सतत् मदद, सहयोग एवं मार्गदर्शन की आशा करती है।

परिषद के आदेश से

( वी.वी देवधर )
अध्यक्ष

कोलकाता
दिनांक 21 जुलाई,2002

## पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यू आई आर सी)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान डब्ल्यू आई आर सी ने निम्नलिखित कार्यकलाप किए :-

(1) प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए डब्ल्यू आई आर सी द्वारा समूचे देश में और विदेशों में आई सी डब्ल्यू ए आई के विद्यार्थियो के लाभार्थ इलैक्ट्रानिक मेल डिस्कशन ग्रुप प्रस्तुत किए गए है। समस्त क्षेत्रों एवं विदेशों का विद्यार्थी समुदाय इस सुविधा से लाभान्वित हुआ है।

(2) मौखिक एवं डाक द्वारा कोचिंग संकाय की एक बैठक 30.3.2002 को आयोजित की गई थी । डब्ल्यू आई आर सी के कोचिंग केन्द्रों के स्तर को सुधारने के लिए संकाय को अनेक रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए थे । श्री रमेश एम.जोशी, विद्यार्थी, सदस्य एवं शाखा समन्वय समिति के मानद सचिव एवं अध्यक्ष ने सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव देने के लिए संकाय सदस्यों को धन्यवाद दिया । उन्होंने उन मौजूदा जरूरतों को भी स्पष्ट किया जिनकी विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार हेतु संकाय सदस्यों से डब्ल्यू आई आर सी आशा करती है । इस अवसर पर श्री वी.वी. देवधर अध्यक्ष आई सी डब्ल्यू ए आई और श्री एस.आर. ऐ, चेयरमैन, डब्ल्यू आई आर सी ने भी संकाय सदस्यों को संबोधित किया ।

(3) डब्ल्यू आई आर सी ने डब्ल्यू आई आर सी परिसर में कम्प्यूटर प्रयोगशाला तैयार करने और उसे चलाने की पहल की है । इस प्रयोगशाला का उद्घाटन श्री वी.वी. देवधर, अध्यक्ष, आई सी डब्ल्यू ए आई, श्री डी वी जोशी, केन्द्रीय परिषद सदस्य, श्री पी डी फड़के, पूर्व अध्यक्ष, आई सी डब्ल्यू ए आई के साथ श्री एस आर. ऐ., चेयरमैन द्वारा दिनांक 1.2.2002 को किया गया था । कम्प्यूटर प्रयोगशाला की क्षमता एक बैच में 20 विद्यार्थियों को समायोजित करने की है । प्रशिक्षण बैच एक सप्ताह में छः दिन के आधार पर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक चलाए जाते हैं । विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बैच के समय को आपसी सहमति के अनुसार समायोजित/बढ़ाया जाता है । कुछेक विशेष अवकाश बैच भी चलाए जाते हैं ।

(4) डब्ल्यू आई आर सी ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए इण्टरमीडिएट और फाइनल हेतु आन लाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी विकसित की है । यह सुविधा अपने विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण चलाने वाली समूचे भारती की शाखाओं और अन्य क्षेत्रीय परिषदों के लिए उपलब्ध है । डब्ल्यू आई आर सी ने इण्टरमीडिएट एवं फाइनल हेतु कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों के लिए आई सी डब्ल्यू ए आई द्वारा निर्धारित अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अध्ययन सामग्री प्रकाशित की है । ये पुस्तकें कोलकाता में आई सी डब्ल्यू ए आई के 43 वे राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर दिनांक 11 जनवरी,2002 को श्री रवि शंकर प्रसाद, केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री द्वारा जारी की गई थीं ।

(5) डब्ल्यू आई आर सी ने भारतीय तेल निगम लि0 के वित्त अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यकारी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया ।

(6) आई सी डब्ल्यू ए आई के सतत शिक्षा कार्यक्रम निदेशालय की ओर से एनटीएमएल के वित्त एवं लेखा अधिकारियों के लिए एक अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

## दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद( एस आई आर सी)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एसआईआरसी ने निम्नलिखित कार्यकलाप किए:

(1) बंगलौर में दिनांक 4.6.2001 को आठवें वासवराजू मैमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया था । अध्यक्ष, एस आई आर सी ने इस व्याख्यान की महत्ता को स्पष्ट किया और सदस्यों को पूर्ववर्ती वर्षो में चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में बताया । मुख्य अतिथि, श्री जयेश चक्रवर्ती, वी.पी - स्ट्रेटेजिक,

कंसल्टिंग एण्ड हैड-इंडिया बिजनेस ऑफ माइंड ट्री कंसल्टेंट्स लि0 ने कार्यकारी पहलुओं पर वक्तव्य दिया ।

(2) एस आई आर सी ने 22.9.2001 को हैदराबाद में होटल वायसराय में हैदराबाद लागत लेखाकार शाखा के साथ यू एस जी ए एपी पर एक दिवसीय सेमिनार का संयुक्त रूप से आयोजन किया । उक्त एक दिवसीय सेमिनार में शामिल किए गए विषयों में शामिल थे - यूएसजीएपी को लागू करना, यूएसजीएपी बनाम भारतीय जीएएपी, विनिर्माण एवं साफ्टवेयर कंपनियों में यूएसजीएपी के कार्यान्वयन के अनुभव । इस सेमिनार में अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और प्रतिनिधियों एवं वक्ताओं के बीच आमने-सामने बातचीत हुई थी ।

(3) दिनांक 21 और 22 दिसम्बर,2001 को एसआईआरसी और कोयम्बटूर शाखा द्वारा संयुक्त रूप से 'कैजन कास्टिंग' पर एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था । श्री एस.दुराईराजन, मुख्य प्रचालन अधिकारी कैजन इस्टीट्यूट ने तकनीकी सत्रों का संचालन किया था । इस सेमिनार में कंपनियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था ।

(4) लागत लेखाकारों की त्रिवेन्द्रम शाखा ने 2 और 3 फरवरी, 2002 को 'वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में उत्तरजीविता हेतु कार्यनीतियां' विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था । इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री कुन्हाली कुट्टी, माननीय उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, केरल सरकार द्वारा किया गया था और मुख्य भाषण श्री जॉन मथाई, आई ए एस, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार द्वारा दिया गया था ।

(5) एस आई आर सी ने 8 और 9 मार्च, 2002 को त्रिची मे 'लागत प्रबंधन में उभरते हुए रूझान' विषय पर त्रिची शाखा के साथ संयुक्त रूप से एक क्षेत्रीय सेमिनार का आयोजन किया। श्री वी.जयरामन, इन्श्योरेंस आम्बड्समैन ने उद्घाटन किया और श्री के.आर. शिनाय, अध्यक्ष, लक्ष्मी विलास बैंक ने मुख्य भाषण दिया ।

(6) दिनांक 15 और 16 मार्च, 2002 को 'कॉस्ट कार्निवल -2002' पर एक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था । सुश्री जयश्री वेंकटरमन, पूर्णकालिक निदेशक, टीएएफई एक्सेज लि0, चैन्नई ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था ।

(7) दिनांक 23 मार्च,2002 को पांडिचेरी में 'डब्ल्यू टी ओ - समझौता एक प्रभाव' पर एक सेमिनार का उद्घाटन श्री एम.एच. उपाध्याय, टी ए एन एफ ए सी इन्डस्ट्रीज लि0 के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया गया था ।

(8) बी एस एन एल, चैन्नई के 'लेखा कार्मिकों के लिए एक इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दो बैचों में क्रमशः 30 अप्रैल और 5 मई, 2001 तथा 14 और 19 मई,2001 को एसआईआरसी द्वारा किया गया था ।

(9) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कार्यकारियों के लिए उनके परिसर में दिनांक 8 अक्तूबर,2001 को 'गैर-वित्त कार्यकारियों के लिए वित्त' विषय पर एक इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(10) दिनांक 16 और 18 जनवरी, 2002 के बीच पीएसईजी - पीपीएम आपरेशंस प्रा0 लि0, तिरूक्काडैयुर, तमिलनाडु के कार्यकारियों के लिए 'गैर-वित्त कार्यकारियों के लिए वित्त' विषय पर तीन दिवसीय इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(11) दिनांक 29 अक्तूबर और 24 नवम्बर,2001 के बीच भारतीय तेल निगम लि0 के लेखा अधिकारियों के लिए 'वित और लेखा पद्धतियां' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री एस.आर. अनन्तनारायण, उप महाप्रबंधक (वित्त) ओ आई सी एल, चैन्नई द्वारा किया गया था । कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन 16 जनवरी और 7 फरवरी,2002 के बीच किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री गणेश कुमार, प्रबंधक - प्रशिक्षण, ओ आई सी एल द्वारा किया गया था ।

(12) चालू अवधि के दौरान आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को रेखांकित करने लिए और चैन्नई स्थित एसआईआरसी द्वारा निकाले गए 'इवेन्ट्स कैलेण्डर' को जारी करने के लिए दिनांक 25 अगस्त,2001 को उद्योग प्रमुखों के साथ एक 'विचार विनिमय बैठक' का आयोजन किया गया था। इस बैठक का आयोजन श्री एस रविचन्द्रन, निदेशक(वित्त) पेंट साफ्ट टेक्नालाजीज लि0, चैन्नई द्वारा किया गया था ।

(13) दिनांक 7 अक्तूबर, 2001 को त्रिची में 'एबीसीएम एण्ड कारपोरेट गवर्नेंट' विषय पर आई सी डब्ल्यू ए आई, आई सी ए आई और आई सी एस आई द्वारा एक संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(14) दिनांक 14 जुलाई, 2001 को चैन्नई मे 'अन्तरण कीमत निर्धारण' पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था ।

(15) दिनांक 25 अगस्त, 2001 को चैन्नई में 'सेनवैट एण्ड टी एन जी एस टी' पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था ।

(16) दिनांक 15 सितम्बर, 2001 को चैन्नई में 'निगमित कराधान और स्रोत पर कर की कटौती' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था ।

(17) एस आई आर सी द्वारा 29 सितम्बर,2001 को 'ओरेकल फाइनेंशियल्स' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था ।

(18) दिनांक 10 नवम्बर, 2001 को चैन्नई में 'लेखा मानक एवं लेखा परीक्षा पद्धति विवरण' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था ।

(19) दिनांक 27 दिसम्बर, 2001 को चैन्नई में 'फेमा प्रतिस्पर्धा नीति और कार्यकारी क्षतिपूर्ति' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था ।

(20) हमारे सदस्यों और विद्यार्थियों के लाभार्थ आई सी डब्ल्यू ए आई की एस आई आर सी ने एस एस आई लि0 के सहयोग से 12 सप्ताह का एक अनन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था ।

(21) आई सी डब्ल्यू ए आई की एस आई आर सी ने दिनांक 7 मार्च, 2002 को 'केन्द्रीय बजट - 2002 ' पर चर्चा का आयोजन किया था ।

**पूर्व भारत क्षेत्रीय परिषद**

(1) अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन स्टेट यूथ सैंटर, कोलकाता मे दिनांक 11 नवम्बर, 2001 को हुआ था । इस सम्मेलन का विषय था 'ई-बिजनेस इरा - रोल ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स' । श्री मनब मुखर्जी, सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था।

(2) लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों के 43 वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 11-13 जनवरी,2002 को पार्क होटल, कोलकाता में किया गया था । इस सम्मेलन का विषय था ' सस्टेनिंग कम्पटीटिव एडवंटेज - द ग्लोबल परस्पैक्टिव ' । श्री रवि शंकर प्रसाद, केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था ।

(3) ई आई आर सी ने दिनांक 13.4.2002 को ई आई आर सी परिसर में 'साक्षात्कार एवं सामूहिक विचार-विमर्श - रोजगार का मार्ग ' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था । श्री अजय अग्रवाल, निदेशक, रेपिड लर्निंग सिस्टम्स प्रा0 लि0 वक्ता थे ।

(4) (क) लागत लेखाकारों की आसनसोल शाखा ने दिनांक 28.5.2001 को प्रत्यक्ष कर एवं वित्त विधेयक 2001 में हाल के संशोधन विषय पर एक बैठक आयोजित की थी । श्री पी.के. जैन, प्रैक्टिस कर रहे लागत लेखाकार वक्ता थे ।

(ख) शाखा ने 15.8.2001 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था ।

(ग) शाखा की 49 वीं मौखिक कोचिंग कक्षाओं का उद्घाटन प्रो0 बिजित मुखर्जी द्वारा 3.11.2001 को किया गया था ।

घ) शाखा द्वारा 13.2.2002 को तिमाही बैठक आयोजित की गई थी । श्री सी एम साधू, वित्त प्रबंधक, ईसीएल ने 'सतर्कता जागरूकता एवं व्यावसायिक नीति ' विषय पर विचार व्यक्त किए थे।

(ड.) शाखा ने 10.3.2002 को सी एम डी पी आई एल क्लब, आसनसोल में 'बजट 2002-2003- प्रमुख संशोधन एवं उसके प्रभाव ' विषय पर वार्षिक सेमिनार का आयोजन किया था जिसका उद्घाटन श्री अशोक मेहता, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,ई सी एल द्वारा किया गया था ।

(5). (क) कटक-भुवनेश्वर शाखा ने 22.9.2001 को बिजनेस कम्युनिकेशन पर एक कार्यशाला आयोजित की थी । इस दिन मेजर एस के दास, एचआरडी प्रमुख, रिलायंस टेलीकॉम लि0 ने विचार व्यक्त किए थे ।

(ख) श्री पी.के. परीदा, नाल्को के महाप्रबंधक (वित्त) ने 3.10.2001 को मौखिक कोचिंग के 27 वें सत्र का उद्घाटन किया था ।

(ग) 9 से 23 अक्तूबर,2001 के दौरान फाइनल के विद्यार्थियों के लिए एक माड्यूलर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था ।

(घ) होटल मेफेयर लैगून, भुवनेश्वर में 14.10.2001 को 'अनलाक योर पोटेंशियल-स्काइ इज द लिमिट ' पर वार्ता आयोजित की गई थी । श्री अजय अग्रवाल, निदेशक, रेपिड लर्निंग सिस्टम्स प्रा0 लि0 वक्ता थे ।

(ड.) दिनांक 20.11.2001 को भुवनेश्वर में स्ट्रेटेजिक कैपिटल कारपोरेशन प्रा0 लि0 मुम्बई के सहयोग से निवेश प्रबंधन पर वार्ता का आयोजन किया गया था ।

(च) शाखा द्वारा 21.12.2001 को खालिकोट कालेज आडिटोरियम में कैरियल काउंसेलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था । लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों की भूमिका पर एक सेमिनार भी इस दिन आयोजित किया गया था । इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो0 एम डी पी राव, कालेज प्राचार्य द्वारा किया गया था

(छ) दिनांक 16.1.2002 को एन आई आई टी कैट्स, भुवनेश्वर में विद्यार्थियों के लिए 'कम्प्यूटर हैंड्स आन ट्रेनिंग क्लास ' का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था ।

(ज) महर्षि कालेज आफ नेचुरल लॉ, भुवनेश्वर में दिनांक 1.2.2002 को 'एटीट्यूड टू विन ' विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया था । इस सेमिनार का उद्घाटन श्रीमती अनीता आचार्य, पूर्व उप सम्पादक, दि टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था ।

(झ) दिनांक 20.2.2002 को होटल स्वाति प्लाजा, भुवनेश्वर में व्यक्तगत कर आयोजना - परिलब्धियों का मूल्यांकन ' पर वार्ता आयोजित की गई थी । प्रो0 एस सम्पत, कारपोरेट टैक्स कंसल्टेंट, वक्ता थे ।

(6) लागत लेखाकरों की धनबाद-सिंदरी शाखा ने दिनांक 12.10.2001 को शाखा परिसर में व्याख्यान माला आयोजित की थी ।

(7) लागत लेखाकारों की रांची शाखा ने दिनांक 10.3.2002 को रांची में एनुअल कन्वेंशन इंटरफेस 2002 का आयोजन किया था। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री ए.के. सिन्हा, सीजीएम, बी एस एन एल ने किया था ।

(8) लागत लेखाकारों की राउरकेला शाखा ने दिनांक 22.9.2001 को शाखा परिसर में सदस्यों की बैठक आयोजित की थी । श्री एम के एल चन्द, वरिष्ठ प्रबंधक (एफ एण्ड ए), राउरकेला स्टील प्लांट ने इस अवसर पर विचार व्यक्त किए थे ।

(9) राउरकेला शाखा ने दिनांक 13.10.2001 को शाखा परिसर मे सदस्यों की बैठक भी आयोजित की थी । इस अवसर पर श्री एन.के. पात्रा, सहायक प्रबंधक (एफ एण्ड ए), राउरकेला स्टील प्लांट ने विचार व्यक्त किए थे ।

(10) शाखा ने आई सी ए आई की राउरकेला शाखा के सहयोग से लेखा मानकों पर अखिल उड़ीसा सम्मेलन आयोजित किया था । श्री जुएल ओराव, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था ।

(11) लागत लेखाकरों की सेरामपुर शाखा ने दिनांक 4.8.2001 को पर्यावरण लेखा परीक्षा - लागत लेखाकारों की भूमिका पर एक बैठक आयोजित की । श्री एन.एन.चटर्जी, पर्यावरण इंजीनियर एवं परामर्शदाता मुख्य वक्ता थे ।

शाखा ने जिला उद्योग केन्द्र, हुगली एवं हुगली जिला परिषद के तत्वावधान में दिनांक 22.2.2002 को उद्यमियो के लिए पाच माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया ।

**उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद**

वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 5,600 थी और सदस्यों की कुल संख्या 3,550 थी । वर्ष के दौरान उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद ने विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलाप आयोजित किए जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैः-

(1) दिनांक 27.10.2001 को लागत लेखा मानकों पर आधे दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(2) दिनांक 22.9.2001 को एन आई आर सी में 'सिविल सोसाइटी एवं आतंकवाद' पर श्री के0पी.एस गिल ने मुख्य भाषण दिया था जिसमें बड़ी संख्या में भागीदार उपस्थित हुए थे ।

(3) दिनांक 17.11.2001 को 'कारपोरेट गवर्नेंस के कार्यान्वयन' पर श्री वी.पी. कुमार, वरिष्ठ सदस्य ने भाषण दिया था जिसमें बड़ी संख्या में भागीदार उपस्थित हुए थे ।

(4) दिनांक 23.11.2002 को अन्तरण कीमत निर्धारण पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था । प्रो0 एस सम्पत, कारपोरेटकर परामर्शदाता मुख्य वक्ता थे ।

(5) दिनांक 22.11.2001 को 'सक्सेस दैट सक्सीड्स' विषय पर आधे दिन का सेमिनार आयोजित किया गया था । डा0 वी.के. चोपड़ा, प्रबंधन परामर्शदाता मुख्य वक्ता थे ।

(6) दिनांक 5.3.2002 को केन्द्रीय बजट 2002-2003 पर एक वार्ता आयोजित की गई थी । श्री एस.डी.कपिला, आयकर महानिदेशक और डा0 डी.पी. सेमवाल, निदेशक, सी बी डी टी अतिथि वक्ता थे ।

(7) लागत लेखा रिकार्ड संबंधी नियमों पर पहला पाठ्यक्रम 2.3.2002 को शुरू होकर 6.4.2002 को सम्पन्न हुआ था । इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन श्री जे.के.पुरी, पूर्व अध्यक्ष, आई सी डब्ल्यू ए आई द्वारा किया गया था । श्री आई.पी. सिंह, संयुक्त निदेशक (लागत) मान्य अतिथि थे ।

(8) दिनांक 22.1.2002 को श्री वी.वी. देवधर, अध्यक्ष के साथ आमने-सामने बैठक का आयोजन किया गया था । श्री एम.के. आनन्द, सदस्य, एन आई आर सी और सर्वश्री डी.सी. बजाज, के.एल. जय सिंह तथा चन्द्र वधवा - सी सी एम ने अपने विचार व्यक्त किए थे ।

(9) दिनांक 19.4.2002 को प्रेरणाप्रद वार्ता आयोजित की गई थी । इस अवसर पर श्री पी.एस. राठौड़, वरिष्ठ सदस्य ने विचार व्यक्त किए थे ।

(10) दिनांक 13.10.2001 को प्रैक्टिसकर्ता बैठक आयोजित की गई थी । इसमें, कार्यालय के पदाधिकारियों के अलावा, डा0 के0 एल0 जय सिंह और श्री चन्द्र वधवा - सी सी एम ने अपने विचार व्यक्त किए थे ।

(11) इण्टरमीडिएट और फाइनल के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर पाठ्यक्रम 1.3.2002 को शुरू किया गया था ।

(12) दिनाक 12.10.2001 को अध्ययन वर्ग की बैठक हुई थी जिसमे चर्चा का मुख्य विषय लागत लेखा मानक था ।

(13) दिनांक 15,16.9.2001 को कुशलता विकास का 14 वां पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे 19-20.1.2002 को पुन: आयोजित किया गया था । ले0 जनरल (सेवानिवृत्त) एच.के. कपूर मुख्य वक्ता थे ।

(14) दिनांक 16.9.2001 को अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 15 दिवसीय माड्युलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था । श्री जे.के. पुरी, पूर्व अध्यक्ष, आई सी डब्ल्यू ए आई ने इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया था । कार्यक्रम दिनांक 30.9.2001 को सम्पन्न हुआ था । दूसरा कार्यक्रम दिनांक 16.3.2002 को शुरू होकर दिनांक 1.4.2002 को सम्पन्न हुआ था ।

(15) इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए सामूहिक चर्चा तथा कारबार संचार कुशलता कार्यक्रम प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार और शनिवार को आयोजित किया जा रहा है ।

(16) दिनांक 7.4.2002 को अशोक होटल, नई दिल्ली में वार्षिक बैठक एवं बधाई समारोह आयोजित किया गया था जिसमे एन आई आर सी के अनेक सदस्य उपस्थित हुए थे जिनमें कुछ पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसाय के अति वरिष्ठ सदस्य अपने परिवार सहित शामिल थे ।

(17) एन आई आर सी के अधिकारियों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के स्कूलों में एक कैरियर काउंसेलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(18) एन आई आर सी के अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.5.2002 को एक काउंसेलर बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न स्कूलों और कालेजों ने भाग लिया था ।

(19) कलकत्ता में 43 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार प्रदान किया गया था तथा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता लागत लेखाकारों की लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर और कोटा शाखाएं थीं ।

(20) लागत लेखाकारों की कानपुर शाखा ने लघु उद्योग पर दिनांक 12.8.2001 को एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया था जिसका उद्घाटन श्री आर.एन. त्रिवेदी, आई.ए.एस, उद्योग निदेशक, उ0 प्र0 द्वारा किया गया था ।

(21) दिनांक 16.2.2002 को 'सेगमेंट रिपोर्टिंग-ए एस 17' पर आधे दिन का सेमिनार आयोजित किया गया था । श्री एच.के. गर्ग, अध्यक्ष, उ0 प्र0 स्टाक एक्सचेंज मुख्य अतिथि थे ।

(22) नोएडा शाखा ने चार्टर्ड एकाउंटेंटों, भारत के कंपनी सचिवों और नोएडा प्रबंधन एसोसिएशन के साथ दिनांक 9.3.2002 को केन्द्रीय बजट पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था ।

(23) दिनांक 29.11.2001 को परिलब्धियों का मूल्यांकन और आय पर करों के लिए लेखाकरण पर लेखाकरण मानक 22 पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(24) लागत लेखाकारों की लखनऊ शाखा ने दिनांक 29.7.2001 को 'टर्न अराउंड आफ ए सिक कम्पनी' पर एक पी.डी. कार्यक्रम आयोजित किया । डा0 ए0 सहाय, सी एम डी, स्कूटर्स इंडिया लि0 मुख्य अतिथि थे ।

(25) इस शाखा ने दिनांक 14.4.2002 को 'व्यवसाय के लिए चुनौतियां - विश्व अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया ।

(26) लागत लेखाकारों की चडीगढ़-पंचकुला शाखा ने दिनांक 12 7 2001 को नए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, दिनांक 25.11 2002 को कंपनी संशोधन अधिनियम, 2002 और दिनांक 23.12 2001 को लेखा मानक पर अध्ययन वर्ग की एक बैठक आयोजित की थी ।

(27) दिनांक 14.10.2001 को मानव संसाधन विकास, 6.1.2002 को लागत प्रबंधन की प्रासंगिकता और 23.2.2002 को मोड बजट 2002 पर सेमिनार भी आयोजित किए गए थे।

(28) लागत लेखाकारो की जोधपुर शाखा ने 24 से 27.2.2002 तक अप्रत्यक्ष करारोपण पर चार दिवसीय पाठ्यक्रम आयोजित किया ।

(29) इस शाखा ने आई सी एस आई की स्थानीय शाखा के साथ दिनांक 30.9.2001 को कंपनी संशोधन अधिनियम, 2002 और सेवा कर पर संयुक्त रूप से एक दिवसीय सेमिनार भी आयोजित किया था ।

(30) लागत लेखाकारों की गाजियाबाद शाखा ने आई सी एस आई की स्थानीय शाखा के साथ दिनांक 14.10.2001 को आय कर अधिनियम में परिलब्धियों के नए मूल्यांकन नियम, उ0 प्र0 मूल्यवर्धित कर और भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली विषय पर एक वार्ता आयोजित की थी ।

(31) आईसीए आई और आईसीएसआई की स्थानीय शाखाओं के साथ दिनांक 3.3.2002 को केन्द्रीय बजट, 2002 पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(32) लागत लेखाकारों की जयपुर शाखा ने दिनांक 9 9.2001 को विश्व अर्थव्यवस्था में लागत प्रबंधन विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया था ।

(33) दिनांक 18.11 2001 को मूल्यवर्धित कर और सेवा कर पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें प्रैक्टिस कर रहे सदस्यो और अन्य सदस्यों ने बड़ी संख्या मे भाग लिया था ।

(34) दिनांक 12.10.2001 को लागत प्रबंधन एवं कर योजना पर एक कार्यशाला और सामूहिक चर्चा आयोजित की गई थी ।

(35) इस शाखा ने दिनांक 16.10.2001 को प्रभावी कारबार संचार और रचनात्मक सोच पर एक सेमिनार आयोजित किया था । श्री जय सिंह कोठारी, राजस्थान पत्रिका के वित्त निदेशक मुख्य अतिथि थे ।

(36) दिनांक 7.1.2002 को टेहरी उत्तरांचल के सदस्यो द्वारा टेहरी हाइड्रो विकास निगम लि0, टेहरी गढवाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था । अप्रैल, 2002 में केन्द्रीय बजट, 2002 और लेखा मानक 17 -सेगमेंट रिपोर्टिंग पर वार्ता भी आयोजित की गई थी ।

---

## अनुबंध

**22 जुलाई,2001 से 21 जुलाई,2002 तक की अवधि के लिए दिनांक 22 जुलाई,2001 को आयोजित**

**परिषद द्वारा अपनी 205 वीं बैठक में यथाअनुमोदित संस्थान के परिषद की स्थायी समितियां एवं अन्य समितियां**

**स्थाई समितियां**

**1. कार्यकारी समिति (कोरम 3)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री वी.वी देवधर, अध्यक्ष | चेयरमैन |
| (2) | श्री कुणाल बनर्जी, उपाध्यक्ष | सदस्य |
| (3) | श्री एस. रामानाथन | सदस्य |
| (4) | श्री डी.सी.बजाज, निवर्तमान अध्यक्ष | सदस्य |
| (5) | श्री चन्द्र वधवा | सदस्य |

**2. अनुशासन समिति (कोरम 2)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री वी.वी. देवधर, अध्यक्ष | चेयरमैन |
| (2) | श्री ए. रामारयामी, सरकार द्वारा नामित | सदस्य |
| (3) | श्री बी.वी. रामन्ना मूर्ति | सदस्य |

**3. परीक्षा समिति (कोरम 2)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री कुणाल बनर्जी, उपाध्यक्ष | चेयरमैन |
| (2) | श्री एस. रामानाथन | सदस्य |
| (3) | श्री चन्द्र वधवा, सरकार द्वारा नामित | सदस्य |

**अन्य समितियां**

**4. प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सुविधाएं संबंधी समिति (कोरम 3)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री एच.आर. सुब्रमण्यम | चेयरमैन |
| (2) | डा0 अतुल अग्रवाल सरकार द्वारा नामित | सदस्य |
| (3) | श्री परवाकर मोहंती | सदस्य |
| (4) | श्री वी.आर. केडिया | सदस्य |
| (5) | डा0 के.एल. जय सिंह | सदस्य |

**5. अनुसंधान एवं पत्रिका समिति(कोरम 2)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री डी.वी. जोशी | चेयरमैन |
| (2) | श्री बी.वी. रामन्ना मूर्ति | सदस्य |
| (3) | डा0 अशोक अग्रवाल | सदस्य |

**6. जारी शिक्षा कार्यक्रम समिति (कोरम 3)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री एस. रामानाथन | चेयरमैन |
| (2) | श्री डी.वी. जोशी | सदस्य |
| (3) | श्री एच.आर सुब्रमण्या | सदस्य |
| (4) | डा0 के. एल जय सिंह | सदस्य |

**7. व्यावसायिक विकास समिति (कोरम 2)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | डा0 के. एल. जय सिंह | चेयरमैन |
| (2) | श्री परवाकर मोहंती | सदस्य |
| (3) | श्री एच.आर. सुब्रमण्या | सदस्य |

**8. सदस्य सेवाएं और सदस्य सुविधा समिति (कोरम 3)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | डा0 अशोक अग्रवाल | चेयरमैन |
| (2) | श्री बी. मजुमदार | सदस्य |
| (3) | श्री परवाकर मोहंती | सदस्य |
| (4) | श्री डी.वी. जोशी | सदस्य |

**9. वित्तीय संस्थान, बीमा और सेवा क्षेत्र समिति (कोरम 2)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री परवाकर मोहंती | चेयरमैन |
| (2) | श्री वी.आर. केडिया | सदस्य |
| (3) | डा0 अशोक अग्रवाल | सदस्य |

**10. क्षेत्रीय परिषदें और स्कंध समन्वय समिति (कोरम 2)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री बी.वी. रामना मूर्ति | चेयरमैन |
| (2) | श्री परवाकर मोहंती | सदस्य |
| (3) | डा0 के.एल. जय सिंह | सदस्य |

**11. कंप्यूटर एवं नेटवर्किंग समिति(कोरम 3)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री डी.सी. बजाज | चेयरमैन |

| | | |
|---|---|---|
| (2) | श्री एस. रामानाथन | सदस्य |
| (3) | श्री बी. मजुमदार | सदस्य |
| (4) | श्री एच.आर. सुब्रमण्या | सदस्य |
| **12.** | **सार्वजनिक क्षेत्र समन्वय समिति (कोरम 3)** | |
| (1) | श्री बी. मजुमदार | चेयरमैन |
| (2) | श्री चन्द्र वधवा | सदस्य |
| (3) | सुश्री दीपा गुप्ता | सदस्य |
| (4) | डा0 अशोक अग्रवाल | सदस्य |
| **13.** | **नवी मुम्बई अनुसंधान केन्द्र परिसर समिति (कोरम 3)** | |
| (1) | श्री वी.आर. केडिया | चेयरमैन |
| (2) | श्री वी.वी. देवधरए अध्यक्ष | सदस्य |
| (3) | श्री एस. रामानाथन | सदस्य |
| (4) | श्री डी वी. जोशी | सदस्य |

**********

**गुप्ता एण्ड कं0**
**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**

53 ए, मिर्जा गालिब स्ट्रीट
कोलकाता - 700016
केबल : विडिमस
फोन: 229-2638, 229-6241,
229-0871/72
फैक्स: (91) (033) 229 - 1859
ई-मेल · Gupta co55@hotmail.com

**दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

1 हमने दिनांक 31 मार्च,2002 की स्थिति के अनुसार दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ( 'इंस्टीट्यूट) के संलग्न तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे की भी लेखा-परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट के प्रबंधन की जिम्मेवारी है । हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है ।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनुसार की है । इन मानकों मे यह अपेक्षित है कि हम इस बात के बारे में युक्तिसग आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करे कि क्या ये वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं । किसी लेखा परीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों मे धनराशियों एव प्रकटनो का समर्थन करने वाले साक्ष्य का परीक्षण शामिल होता है । किसी लेखा परीक्षा मे प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तो और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन और समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है । हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करती है ।

ये लेखे इंस्टीट्यूट की परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए हैं किंतु इन पर सचिव ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि उक्त तारीख को इंस्टीट्यूट मे कोई सचिव नहीं था ।

4. अनुसूची 19 के संबंध में निम्नलिखित अभ्युक्तियों और टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:-

4.1 प्रबंधन द्वारा इंस्टीट्यूट की निजत परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया जाता है । तदनुसार लेखा पर इसके प्रभावों, यदि कोई हो, का निर्धारण संभव नहीं होता है ।

4.2 29,73,589 रु0 मूल्य की पुणे शाखा की भूमि एवं उसके भवन हेतु हक विलेख, जिस वर्ष के दौरान पूजीकृत किया गया है, का निष्पादन नहीं किया गया है । इसके अलावा, पट्टे पर धारित भूमि (नागपुर, दुर्गापुर और उक्कुनग्राम) के हम विलेख भी हमारी परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं किए गए थे । इस संबंध में हम ऋण परिशोधन नीति की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने मे असमर्थ हैं ।

4.3 न्यास निधि में 500/-रु0 के निवेश संबंधी शेयर पत्रों हमारे सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं थीं ।

4.4 प्रबंधन द्वारा प्रकाशन और अध्ययन सामग्री के स्टॉक का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है और स्टॉक शेष खाता रिकॉर्ड के अनुसार है । दिनांक 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार अन्य पक्षों के पास पड़ा हुआ कागज का स्टॉक 4.49 लाख रु0 का था जिसमें से 3.49 लाख रु0 की पुष्टि ऐसे पक्षों से प्राप्त पुष्टिकरणों अथवा वियरणों के आधार पर की गई है । इसके अलावा, इस स्टॉक का मूल्यांकन लेखाकरण नीति सं0 4 में यथा-उल्लिखित लागत पर किया गया है जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेट्स संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 2 'भण्डार-सूचियो का मूल्यांकन' के अनुसार नहीं है ।

4.5 हमारी राय में 5,95,992 के पुराने प्रकाशनों, 6071 रु0 के कागज के स्टॉक और 1,25,173 रु0 की अध्ययन सामग्री के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

4.6 जैसाकि टिप्पणी 17 में उल्लेख किया गया है, वर्ष की समाप्ति पर निम्नलिखित शेष राशियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें तीन से अधिक वर्षों से आगे ले जाया जा रहा है:-

| | |
|---|---|
| 8% भवन ऋण | रु0 20.21 लाख |
| 4% भवन ऋण | रु0 1.23 लाख |
| कम्प्यूटर ऋण | रु0 7.27 लाख |
| उपर्युक्त भवन ऋणों पर उद्भूत ब्याज | रु 0.77 लाख |
| विविध कर्जजार(कार्यक्रम) | रु0 1.77 लाख |
| विविध कर्जदार (पत्रिका) | रु0 0.19 लाख |
| | रु0 31.44 लाख |

4.7 बैंक मे शेष धनराशि में निष्क्रिय खाते मे रखे गए 5879/-रु0 शामिल हैं तथा 4661/-रु0 की दिल्ली नगर निगम ने कुर्की कर ली है (देखें टिप्पणी 14,18 और 19) । पूर्ववर्ती वर्ष के ब्याज के रूप में प्रदर्शित 3369/-रु0 की धनराशि डाक बचत खाते में पड़ी हुई है जिसके बारे में आगे और सूचना अथवा ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे ।

4.8 जैसाकि टिप्पणी 5 में उल्लेख किया गया है, रजत जयंती पूंजी अनुदान (अग्रिम) के संबंध में 21,32,138/-रु0 दस्तावेजों के अभाव में असमायोजित बने हुए हैं ।

4.9 जैसाकि टिप्पणी 11 में उल्लेख किया गया है और प्राप्त स्पष्टीकरणों तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर हमारी राय मे अन्य अग्रिमों में शामिल 12,13,436/-रु0 की धनराशि की वसूली संदिग्ध है और इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

4.10 जैसाकि टिप्पणी 2 मे उल्लेख किया गया है, 5,63,352/- रु0 की नियत परिसंपत्तियों को आगे ले जाया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से कोई कार्य नहीं किया गया है तथा कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

4.11 जैसाकि टिप्पणी 4 में उल्लेख किया गया है, भवनों के निर्माण हेतु 1,18,79,050/- रु0 के अग्रिम का समायोजन सूचना/दस्तावेजों के अभाव में लम्बित है । इस संबंध मे जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता ।

4.12 जैसाकि टिप्पणी 3 में उल्लेख किया गया है, 8510/- रु0 (निवल) को सामान्य निधि के जरिए समायोजित किया गया है ताकि बैंक समाशोधन विवरणों में आंशिक समायोजनों को बट्टेखाते डाला जा सके । इसके अलावा, बैंक खातों के समाशोधन हेतु अपेक्षित समायोजनो का भी इस स्तर पर निर्धारण नहीं किया जा सकता । 94,989/- रु0 के अविनिर्दिष्ट निक्षेप को भी सामान्य निधि के जरिए समायोजित किया गया है।

4.13 जैसाकि टिप्पणी 9 में उल्लेख किया गया है, कर्मचारी हितकारी निधि में 22,550/- रु0 के निवेश में कमी है ।

4.14 जैसाकि टिप्पणी 10 में उल्लेख किया गया है, 30,000/-रु0 की पुरस्कार निधि, 10,001/- रु0 के एवीएसराव मेमोरियल एंडोमेंट लेक्चर तथा 40,201/- रु0 की विद्यार्थी कल्याणकारी निधि के संबंध में प्राप्त धनराशियों को आवश्यक निवेश के लंबित रहने तक अन्य देनदारियों में शामिल किया गया है ।

4.15 जैसाकि टिप्पणी 15 में और लेखाकरण नीति 5(ग) में उल्लेख किया गया है, वार्षिक अंशदान, शिक्षण शुल्क और छुट्टी नकदीकरण की गणना नकद आधार पर की जाती है । छुट्टी नकदीकरण की गणना भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 15, 'कर्मचारियों के वित्तीय विवरण में सेवानिवृत्त लाभों की गणना' के प्रतिकूल है ।

4.16 जैसाकि टिप्पणी 21 में उल्लेख किया गया है, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन तथा बैठक शीर्ष मे शामिल किए गए 6.96 लाख रु0 केन्द्र सरकार की किसी सहमति के बिना खर्च किए गए हैं ।

4.17 नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट के भवन के लिए संपत्ति कर के संबंध में 15,61,797/- रु0 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

4.18 हमारी राय में, अग्रिमों के भुगतान एवं वसूलियों, क्षेत्रीय परिषदों एवं शाखाओं के साथ लेन-देनो, वार्षिक अंशदान तथा शिक्षण शुल्क के समाशोधन एवं विभिन्न खातों एवं असम्बद्ध मदों के समाशोधन के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना तथा औपचारिक रूप देना अपेक्षित है ।

4.19 जैसाकि टिप्पणी 22 मे उल्लेख किया गया है, क्षेत्रीय परिषदों तथा शाखाओं को सत्यापन पर्चियां जारी की गई हैं और यह शेष धनराशि इस प्रकार की पुष्टि प्राप्त होने के बाद समाशोधन तथा परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के अधीन होती है । पुष्टिकरण-पत्र विविध कर्जदारों, बैंकों, विदेशी निकायों को बकाया सदस्यता शुल्क सहित विविध कर्जदारों को जारी किए गए हैं और शेष धनराशि समाशोधन और आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है ।

4.20 क्षेत्रीय परिषदों के जरिए 20.98 लाख रु0 के सुझाए गए उत्तरों और स्कैनरों की बिक्री उनकी सलाह पर आधारित है तथा उसका हमारे द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका ।

4.21 जैसाकि टिप्पणी 1 में उल्लेख किया गया है, कुछेक परिषद सदस्यों तथा क्षेत्रीय परिषदों द्वारा उनके पदाधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्रा के संबंध में किए गए दावों की गणना केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर नहीं की गई है।

4.22 वर्ष के घाटे और निवल परिसंपत्तियों पर उपर्युक्त पैराग्राफ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19 और 4.20 के परिणाम प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका । यदि उपर्युक्त पैराग्राफ 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.16 तथा 4,17 में व्यक्त किए गए अभिमतों पर विचार किया गया होता तो वर्ष का घाटा 65.14 लाख रु0 (निवल) तक अधिक रहा होता और निवल परिसंपत्तियां उक्त धनराशि तक कम रही होतीं।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.18, 4.19 और 4.20 के अधीन रहते हुए, हमने ऐसी समस्त सूचना और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।

6. उपर्युक्त पैराग्राफ 4.4 और 4.15 के अधीन रहते हुए हमारी राय में लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट अधिनियम, 1959 तथा लागत एव संकर्म एकाउंटेंट विनियम, 1959 के अनुरूप समुचित लेखे रखे गए हैं ।

7. इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा खाता-बहियों के अनुरूप हैं ।

8. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त पैराग्राफ 4.1 से 4.20 के अधीन रहते हुए संलग्न लेखे तथा उन पर की गई टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों से निम्नलिखित के संबंध में भारत मे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट स्थिति बनती है :

(क) दिनांक 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट के कार्यकलापों के तुलन-पत्र के मामले मे : और

(ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के लेखे अथवा घाटे के मामले में ।

कृते गुप्ता एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह0/-
एस0 के0 गांगुली
भागीदार

कोलकाता
दिनांक 21 जुलाई, 2002

**दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया**

**31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**

| गत वर्ष 2000-2001 (रूपये) | | अनुसूची संख्या | (रूपये) | इस वर्ष 2001-2002 (रूपये) |
|---|---|---|---|---|
| | **संस्था की निधियाँ** | | | |
| 67,248,291 | सामान्य निधि | (1) | | 65,874,133 |
| 10,813,486 | कर्मचारी उपदान निधि | (2) | | 10,362,105 |
| 307,272 | कर्मचारी कल्याण कोष | (3) | | 331,424 |
| 546,782 | विविध पुरस्कार निधि | (4) | | 720,549 |
| 2,559,603 | मांग ऋण ( नोट सं07) | | | 6,570,000 |
| **81,475,434** | कुल | | | **83,858,211** |
| | **द्वारा प्रतिफलित** | | | |
| | स्थायी सम्पत्तियाँ | (5) | | |
| 40,932,921 | (क) सकल ब्लाक | | 48,083,917 | |
| 20,769,714 | (ख) घटाएं : ह्रास | | 23,618,082 | |
| 20,163,207 | (ग) शुद्ध ब्लाक | | | 24,465,835 |
| 500 | **निवेश** | (6) | | 500 |
| 47,251,908 | चालू सम्पत्तियाँ | (7) | 48,367,461 | |
| 23,439,959 | ऋण तथा अग्रिम | (8) | 21,482,688 | |
| 70,691,867 | | | 69,850,149 | |
| 9,582,940 | घटाएं : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | (9) | 11,443,291 | |
| 61,108,927 | शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ | | | 58,406,858 |
| 202,800 | विविध व्यय | | | |
| - | ( उस हद तक जो बट्टे खाते में नही डाला गया) | | | 985,018 |
| **81,475,434** | कुल | | | **83,858,211** |
| | लेखा संबंधी टिप्पणियाँ | (19) | | |

**उपर उल्लिखित अनुसूचियाँ जो लेखा का भाग हैं ।**

**हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते गुप्ता एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स**

**एस.के.गांगुली** — **पार्टनर**
**कुणाल बैनर्जी** — **उपाध्यक्ष**
**वी.वी.देवधर** — **अध्यक्ष**

**कोलकाता**
**दिनांक : 21 जुलाई, 2002**

**आर.एन. पाल**
**निदेशक(ए एंड एफ)**

| 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय का लेखा | | | |
|---|---|---|---|
| गत वर्ष | | | इस वर्ष |
| 2000-2001 | | अनुसूची | 2001-2002 |
| ( रुपये) | विवरण | संख्या | ( रुपये) |
| | आय: | | |
| 6,015,135 | वार्षिक अंशदान | (10) | 6,716,111 |
| 27,269,976 | परीक्षा शुल्क | (11) | 23,632,829 |
| 20,832,376 | शिक्षण शुल्क | (12) | 23,416,551 |
| - | कंप्यूटर ट्रेनिंग-निव | | 137]180 |
| 2,074,098 | ब्याज | | 1,842,530 |
| 3,306,863 | प्रकाशन आय | | 3,683,372 |
| 656,735 | पत्रिका शुल्क (विज्ञापन सहित) | | 499,042 |
| 3,601,762 | सी.ई. कार्यक्रम आय | | 4,998,171 |
| 5,000 | प्राप्त अनुदान | | - |
| **66,961,993** | **कुल** | | **64,925,786** |
| | व्यय: | | |
| 32,198,312 | स्थापना | (13) | 30,758,931 |
| 9,477,492 | कार्यालय खर्च | (14) | 8,568,573 |
| 366,845 | विज्ञापन | | 177,025 |
| 40,000 | वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क | | 40,000 |
| 52,500 | आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क | | 52,500 |
| 2,119,650 | यात्रा और वाहन | | 1,799,178 |
| 9,228,723 | परीक्षा प्रभार | (15) | 8,339,637 |
| 2,686,225 | परिषद और साधारण बैठक संबंधी व्यय | (16) | 3,848,769 |
| 25,766 | समावित योजना व्यय | | - |
| - | चुनाव खर्च | | 492]509 |
| 2,855,799 | पत्रिका खर्च | | 2,683,147 |
| 4,195,412 | क्षेत्रीय परिषदों को अंशदान | (17) | 4,175,992 |
| 92,800 | स्कंधों को अनुदान | | 99,320 |
| 1,562,740 | विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान | | 1,670,215 |
| 947,782 | अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठकें | | 696,378 |
| 2,987,440 | सी.ई.कार्यक्रम संबंधी खर्च | | 3,841,156 |
| 825,636 | व्यवसायिक विकास कार्यक्रम | | 506,362 |
| 1,764,938 | प्रयुक्त अध्ययन सामग्री | | 2,011,757 |
| 979,057 | प्रयुक्त प्रकाशन स्टाक | | 850,943 |
| 2,281,657 | ह्रास | | 2,848,368 |
| 5,000 | वापस किया गया दान | | - |
| **74,693,774** | **कुल** | | **73,460,260** |
| (7,731,781) | वर्ष के लिए अतिरेक/घाटा | | (8,534,474) |
| **66,961,993** | **कुल** | | **64,925,786** |
| (7,731,781) | वर्ष के लिए अतिरेक/घाटा अग्रनीत | | (8,534,474) |
| 1,398,323 | उपदान निधि में योगदान | | 155,195 |
| **(6,333,458)** | **कुल** | | **(8,379,279)** |
| 55,293 | घटाएं : पूर्व अवधि खर्च | (18) | 256,928 |
| **(6,388,751)** | **सामान्य निधि में अंतरित** | | **(8,636,207)** |
| | **लेखा संबंधी टिप्पणियाँ** | (19) | |

**उपर उल्लिखित अनुसूचियाँ जो लेखा का भाग हैं ।**

**हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते गुप्ता एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स**

| | | |
|---|---|---|
| **एस.के.गांगुली** | **कुणाल बैनर्जी** | **वी.वी.सेवधर** |
| **पार्टनर** | **उपाध्यक्ष** | **अध्यक्ष** |
| **कोलकाता** | | **आर.एन. पाल** |
| **दिनांक : 21 जुलाई,2002** | | **निदेशक(ए एंड एफ)** |

limit the ship-breaking charges to Rs.250 per LDT and also the license fee to Rs.10 per square meter per month cannot be acceded to.

(iii). The Ministry of Shipping (MOS) has directed that the proposal for allotment of plots should not be limited to regular ship-breakers operating at Mumbai; but, it should be an open offer to all without any pre-qualification conditions like experience in the ship-breaking activity. Thus, the suggestion of ISSAI cannot be considered. The MOS has, however, been requested to reconsider its proposal regarding reservation of plots to the existing ship breakers.

(iv). The ship-breaking charges on common user basis have been converted from GRT to LDT basis in light of the representation received from the various ship breakers. It has reiterated the other points given in the proposal.

(v). The minimum committed throughput of 10,000 LDT has been prescribed considering the fact that many ship-breakers have achieved this target during last few years. The MOS has also directed to incorporate an automatic termination clause if the minimum throughput of 10,000 LDT per year is not achieved.

(vi). It has no comments to offer on the Associations' submission that the duty advantage enjoyed by Mumbai ship-breakers has disappeared following the Budget 2002. Further, the Port has no control over the Octroi duty levied by the Municipal Authorities.

(vii). It has followed the direction given by the MOS as regards reservation plots. The MOS has further directed that the allotment of plots at Lakri Bunder should not be limited to twenty one regular ship-breaker operator at Mumbai; but, should be offered to all without prescribing any pre-qualification.

5. Based on a preliminary scrutiny of the proposal the MBPT was requested to furnish additional information / clarification on various points. Some of the main points are summarised as follows:

(i). The cost statements to be updated with reference to revised estimates for the year 2001-02 and projections for the year 2002-03 and 2003-04.

(ii). The discrepancy observed in computation of the Return on Capital Employed (ROCE) and the Capital Employed figures is to be corrected.

(iii). In the light of the surplus financial position reflected in this activity, the basis of proposing the ship-breaking charges on the plots proposed to be leased out may be justified taking into consideration the tariff applicable as per the existing Scale of Rates.

(iv). The basis of proposing an upfront fee of Rs. 50 lakhs per plot.

(v). Confirmation whether the scheme for licensing of plots have been approved by the Government.

(vi). The detailed conditionalties governing the Licenses need to be incorporated in the Scale of Rates.

6.1. A joint hearing in this case was held on 15 May 2002 at the MBPT. At the joint hearing, the following submissions were made:

**Mumbai Port Trust (MBPT)**

(i). This proposal has been mooted by the ship-breakers themselves.

(ii). Frequent shifting from plot to plot leads to operational hassles and has implications on the environment ;and, hence, the new approach is proposed

| अनुसूची सं0 3 : कर्मचारी कल्याण कोष 31 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार | | | |
|---|---|---|---|
| 287,370 | गत लेखा अनुसार शेष | | 307,272 |
| | जोड़िए: अवधि के दौरान अंशदान | | |
| 7,676 | नियोक्ता | 7,336 | |
| 3,844 | कर्मचारीगण | 3,668 | 11,004 |
| 29,275 | अवधि के लिए निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज | | 25,779 |
| **328,165** | | | **344,055** |
| 20,893 | घटाएः अवधि के दौरान कर्मचारियो को भुगतान | | 12,631 |
| **307,272** | | | **331,424** |

अनुसूची 4 : (31.3.2002 तक की स्थिति के अनुसार विविध पुरस्कार निधि

| पुरस्कार निधि का नाम | प्रारंभिक शेष (रूपये) | वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (रूपये) | क्रेडिट की गयी आय (रूपये) | कुल (रूपये) | पुरस्कार की लागत (रूपये) | अंतिम शेष (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बी डी पुरी पुरस्कार निधि | 16,118.08 | - | 1,210.77 | 17,328.85 | | 17,328 85 |
| वाजीर देवीपुरी पुरस्कार निधि | 15,087.73 | - | 1,200.27 | 16,288.00 | | 16,288.00 |
| बी सी चक्रवर्ती पुरस्कार निधि | 9,487 92 | - | 696.78 | 10,184.70 | | 10,184.70 |
| डी डी कालरा पुरस्कार निधि | 14,209.71 | - | 814.59 | 15,024.30 | | 15,024.30 |
| ए के विश्वास पुरस्कार निधि | 42,178.16 | - | 2,199.59 | 44,377.75 | | 44,377.75 |
| विक्रमजीत मजूमदार पुरस्कार निधि | 11,780.52 | - | 499 78 | 12,280.30 | | 12,280.30 |
| बी एन गागुली पुरस्कार निधि | 7,364.53 | - | 313.77 | 7,678.30 | | 7,678 30 |
| के रामचन्द्रन पुरस्कार निधि | 7,236.86 | - | 484.40 | 7,721.26 | 650.00 | 7,071.26 |
| श्रीमती राजम्मा एम आर एस आयंगर पुरस्कार निधि | 6,905.02 | - | 357.68 | 7,262.70 | 500.00 | 6,762.70 |
| डी मैरी सूर पुरस्कार निधि | 14,218.36 | - | 633.14 | 14,851.50 | 1,000.00 | 13,851 50 |
| मौजीराम जैन पुरस्कार निधि | 11,804.59 | - | 963.41 | 12,768.00 | 1,000.00 | 11,768.00 |
| पुणे लागत लेखाकार पुरस्कार निधि | 13,851 29 | - | 951.71 | 14,803.00 | 1,200 00 | 13,603.00 |
| गंगादास मूंदडा पुरस्कार निधि | 13,948.13 | - | 1,229 87 | 15,178.00 | | 15,178.00 |
| वी श्रीनिवासन पुरस्कार निधि | 14,974.13 | - | 1,229.87 | 16,204.00 | | 16,204.00 |
| वी के कसल एवं एस पी कसल | 24,819.49 | - | 2,203 51 | 27,023.00 | | 27,023.00 |
| जे एन बोस पुरस्कार निधि | 14,808 79 | - | 870.21 | 15,679.00 | | 15,679.00 |
| सुभाष अय्या पुरस्कार निधि | 5,409.97 | - | 428.59 | 5,838.56 | 500 00 | 5,338.56 |
| एन सरकार पुरस्कार निधि | 15,382.60 | - | 702 96 | 16,085.56 | 1,000.00 | 15,085 56 |
| जी इन्दिरा देवी पुरस्कार निधि | 21,928.64 | - | 1,214.47 | 23,143.11 | | 23,143.11 |
| पुष्पारानी डे पुरस्कार निधि | 16,659.82 | - | 1,259.73 | 17,919.55 | | 17,919.55 |
| श्रीनिवासन जगन्नाथन पुरस्कार निधि | 29,491.03 | - | 2,099.59 | 31,590.62 | | 31,590.62 |
| सुल्तान चंद पुरस्कार निधि | 42,725.48 | - | 341 52 | 43,067.00 | | 43,067.00 |
| के के दत्ता पुरस्कार निधि | 19,737.46 | - | 179 37 | 19,916.83 | | 19,916.83 |
| केदारनाथ प्रहलादराय धनुका पुरस्कार निधि | 25,978.29 | - | 224 71 | 26,203.00 | | 26,203.00 |
| धनपति गोयल पुरस्कार निधि | 28,071.35 | - | 2,099 56 | 30,170.91 | | 30,170 91 |
| काशीराम प्रभाकर पुरस्कार निधि | 29,048.50 | - | 2,100.41 | 31,148.91 | | 31,148 91 |
| मंदाकिनी वसंत लिमये पुरस्कार निधि | 4,354.62 | - | 499.88 | 4,854.50 | 500 00 | 4,354 50 |
| कर्नल अम्बुज नाथ बोस पुरस्कार निधि | 39,978 90 | - | 2,905 10 | 42,884 00 | | 42,884 00 |
| एम कृष्णमूर्ति पुरस्कार निधि | 10,126.30 | - | 968.70 | 11,095 00 | 1,000.00 | 10,095 00 |
| लक्ष्मी राजी पुरस्कार निधि | 6,709.78 | - | 569.22 | 7,279.00 | | 7,279 00 |
| कमला मुखर्जी पुरस्कार निधि | 12,385.52 | - | 1,052.48 | 13,438.00 | | 13,438 00 |
| पी गांगुली स्मृति पुरस्कार निधि | | 100,000 00 | 1,243.00 | 101,243.00 | | 101,243.00 |
| प्रिंसिपल श्रीमती वी जे तलाती पुरस्कार निधि | | 25,000.00 | 1,316.00 | 26,316 00 | | 26,316 00 |
| अनुपूर्णा और रेवाती आर भट्टाचार्जी पुरस्कार निधि | | 20,000.00 | 1,053 00 | 21,053 00 | | 21,053.00 |
| **कुल** | **546,781.57** | **145,000.00** | **36,117.64** | **727,899.21** | **7,350.00** | **720,549.21** |

| अनुसूची सं. 5 : 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार स्थाई सम्पत्तियाँ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सकल ब्लाक | | | ह्रास | | | शुद्ध ब्लाक | |
| संपत्ति का विवरण | 01.4.2001 को प्रारंभिक लागत | वर्ष के दौरान अभिवृद्धि | 31.3.2002 को कुल | 1.4.2001 तक | इस अवधि के लिए | 31.3.2001 तक | 2000-2001 इस वर्ष | 1999-2000 गत वर्ष |
| **फ्री होल्ड भूमि और भवन** | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 2,847,998 | - | 2,847,998 | 1,024,291 | 168,371 | 1,192,662 | 1,655,336 | 1,823,707 |
| क्षेत्रीय परिषद और स्कंध | 23,711,019 | 5,992,411 | 29,703,430 | 10,293,802 | 1,665,261 | 11,959,063 | 17,744,367 | 13,417,217 |
| **लीज होल्ड भूमि:** | | | | | | | | |
| क्षेत्रीय परिषद और स्कंध | 367,175 | - | 367,175 | - | - | - | 367,175 | 367,175 |
| ( दुर्गापुर, नागपुर और उक्कुना ग्राम ) | | | | | | | | |
| **फर्नीचर एवं फिटिंग्स :** | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 2,662,136 | - | 2,662,136 | 1,766,400 | 89,574 | 1,855,974 | 806,162 | 895,736 |
| **पुस्तकालय पुस्तकें:** | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 752,988 | 34,369 | 787,357 | 352,566 | 43,479 | 396,045 | 391,312 | 400,422 |
| **कार्यालय उपकरण :** | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 3,199,546 | | 3,199,546 | 1,881,037 | 131,851 | 2,012,888 | 1,186,658 | 1,318,509 |
| **जनरेटर:** | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 280,545 | - | 280,545 | 265,346 | 3,800 | 269,146 | 11,399 | 15,199 |
| **लिफ्ट:** | | | | | | | | |
| मुख्यालय ( ई आई आर सी परिसर) | 4 16,062 | - | 416,062 | 182,027 | 58,509 | 240,536 | 175,526 | 234,035 |
| **मोटर कार:** | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 738,878 | - | 738,878 | 412,228 | 65,330 | 477,558 | 261,320 | 326,650 |
| **कम्प्यूटर :** | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 5,956,574 | 1,124,216 | 7,080,790 | 4,592,017 | 622,193 | 5,214,210 | 1,866,580 | 1,364,557 |
| | **40,932,921** | **7,150,996** | **48,083,917** | **20,769,714** | **2,848,368** | **23,618,082** | **24,465,835** | **20,163,207** |

**अनुसूची सं. 6 : 31 मार्च, 2002 तक की स्थिति के अनुसार निवेश (लागत पर)**

| गत वर्ष | | | इस वर्ष |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | | | 2001-002 |
| ( रूपये) | विवरण | ( रूपये) | ( रूपये) |
| | **शेयर (सामान्य निधि) :** | | |
| 500 | जय वृन्दावन प्रीमियम ट्रस्ट फंड, बम्बई में 100-100 रूपये के 5 शेयर | | 500 |
| | | | |
| | | | |
| **500** | **कुल :** | | **500** |

**अनुसूची सं. 7 : चालू सम्पत्तियाँ 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार**

| गत वर्ष | | | इस वर्ष |
|---|---|---|---|
| **2000-2001** | | | **2001-2002** |
| रूपये | विवरण | रूपये | रूपये |
| 3,001,304 | प्रकाशन स्टॉक (लागत पर) | | 3,047,390 |
| 832,126 | पेपर स्टॉक ( लागत पर) | | 449,349 |
| 2,827,994 | अध्ययन सामग्री स्टॉक ( लागत पर) | | 2,928,800 |
| | | | |
| 175 | स्टॉक सिल्क टाइज | | 8,820 |
| 1,093,169 | सावधि जमा मे निवेश पर प्राप्त ब्याज | | 990,139 |
| 821,696 | स्कधो को भवन निर्माण इत्यादि के लिए ऋण पर उदभूत ब्याज | | 922,789 |
| 6,901,888 | विविध कर्जदार | | 6,938,881 |
| | **रोकड़ एवं बैंक शेष:** | | |
| 92,087 | हाथ में (खुदरा रोकड़ और पोस्टेज स्टैम्प सहित) | 78,714 | |
| 264,282 | डाकघर में | 265,097 | |
| | अनुसूचित बैंको मे जमा राशि | | |
| 876,788 | चालू खाते मे | 1,607,643 | |
| 51,070 | बचत खाते मे | 494,910 | |
| | सावधि जमा : | | |
| 14,144,645 | कर्मचारी उपदान निधि | 14,144,645 | |
| 15,700,000 | इंस्टीट्यूट फड (नोट सं0 7) | 15,700,000 | |
| 263,007 | कर्मचारी कल्याण कोष | 263,007 | |
| 381,677 | विविध पुरस्कार निधि | 527,277 | 33,081,293 |
| | | | |
| **47,251,908** | | | **48,367,461** |

**अनुसूची सं. 8 : ऋण तथा अग्रिम: 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार**

| गत वर्ष | | | इस वर्ष |
|---|---|---|---|
| **2000-2001** | | | **2001-2002** |
| **रूपये** | **विवरण** | **रूपये** | **रूपये** |
| | स्कंधों को भवन निर्माण ऋण : (क) | | |
| 2,520,768 | 8% भवन निर्माण ऋण | 2,295,969 | |
| 139,219 | 4% भवन निर्माण ऋण | 122,870 | 2,418,839 |
| 730,723 | स्कंधों को कम्प्यूटर ऋण. (ख) | | 726,723 |
| 12,379,050 | भवन निर्माण के लिए क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों को अग्रिम: (ग) | | 11,879,050 |
| 48,025 | क्षेत्रीय परिषद ( एन.आई.आर.सी.) को कर्ज | | - |
| 2,132,138 | स्कंधों को रजत जयंती पूंजीगत अनुदान (अग्रिम) (घ) | | 2,132,138 |
| 2,093,396 | कर्मियो को भवन निर्माण अग्रिम | | 1,888,885 |
| 43,831 | कर्मचारियो को वाहन खरीद अग्रिम | | 28,027 |
| 1,978,296 | अन्य अग्रिम | | 1,231,269 |
| 351,394 | कर्मचारियो को त्यौहार अग्रिम | | 210,874 |
| 563,352 | स्थाई सम्पत्तियों के लिए अग्रिम | | 563,352 |
| 107,125 | पेपर के लिए अग्रिम | | - |
| 2,370 | कर्मचारियो को भविष्य निधि अंशदान के लिए वेतन अग्रिम | | 2,370 |
| 9,935 | बाढ़ राहत अग्रिम | | 255 |
| 117,643 | पूर्व संदत्त खर्चे | | 156,982 |
| 222,694 | जमा | | 2,43,924 |
| **23,439,959** | | | **21,482,688** |

अनुसूची सं0 8 (क) : स्कंधों को भवन निर्माण ऋण 31 मार्च,2002 की स्थिति के अनुसार

| गत वर्ष 2000-2001 रु0 | | स्कंध का नाम | इस वर्ष 2001-2002 रु0 | |
|---|---|---|---|---|
| 4% ऋण | 8% ऋण | | 4% ऋण | 8% ऋण |
| रु0 | रु0 | | रु0 | रु0 |
| 16,552 | | कल्याण-अम्बरनाथ | 16,552 | |
| 32,667 | | गोवा | 16,318 | |
| | 47,796 | सूरत दक्षिण गुजरात | | 47,796 |
| | 100,000 | कोल्हापुर-सांगली | | 100,000 |
| | 200-000 | कोयम्बटूर | | 200,000 |
| | 59,933 | विशाखापत्तनम | | 59,532 |
| | 44,188 | उक्कु नगरम | | - |
| | 160,000 | रानीपेट वेलोर | | 160,000 |
| | 57,750 | मैसूर | | 25,000 |
| | 134,204 | त्रिसूर | | - |
| 90,000 | | हावड़ा | 90,000 | |
| | 150,000 | बोकारो स्टील सिटी | | 150,000 |
| | 200,000 | दुर्गापुर | | 200,000 |
| | 200,000 | आसनसोल | | 200,000 |
| | 200,000 | धनबाद-सिन्द्री | | 200,000 |
| | 191,897 | सेरामपुर | | 191,897 |
| | 200,000 | कटक-भुवनेश्वर | | 186,744 |
| | 135,000 | जयपुर | | 135,000 |
| | 200,000 | उदयपुर | | 200,000 |
| | 100,000 | कानपुर | | 100,000 |
| | 140,000 | कोटा | | 140,000 |
| 139,219 | 2,520,768 | | 122,870 | 2,295,99 |

| 2001-2002 के दौरान भवन ऋण की वसूली (4% और 8%) | राशि रु0 |
|---|---|
| गोवा | 16,349 |
| विशाखापत्तनम | 401 |
| उकुनाग्राम | 44,188 |
| मैसूर | 32,750 |
| त्रिसूर | 134,204 |
| कटक-भुवनेश्वर | 13,256 |
| कुल: | 241,148 |

अनुसूची सं0 8 (ख) : स्कंधों को कम्प्यूटर ऋण 31 मार्च,2002 की स्थिति के अनुसार

| इस वर्ष 2000-2001 रु0 | स्कंध का नाम | इस वर्ष 2001-2002 रु0 |
|---|---|---|
| 64,150 | गोवा | 64,150 |
| 62,150 | अहमदाबाद | 62,150 |
| 62,368 | विशाखापत्तनम | 62,368 |
| 58,889 | कोचीन | 56,889 |
| 52,727 | नेवेली | 52,727 |
| 52,885 | त्रिवेन्द्रम | 50,885 |

| | | |
|---|---|---|
| 52,727 | नेवेली | 52,727 |
| 52,885 | त्रिवेन्द्रम | 50,885 |
| 64,150 | हावड़ा | 64,150 |
| 64,150 | दुर्गापुर | 64,150 |
| 64,150 | आसनसोल | 64,150 |
| 62,150 | कटक-भुवनेश्वर | 62,150 |
| 58,804 | जयपुर | 58,804 |
| 64,150 | उदयपुर | 64,150 |
| **730,723** | | **726,723** |
| | **2001-2002 के दौरान कम्प्यूटर-ऋण की वसूली** | **राशि रु0** |
| | कोचीन | **2,000** |
| | त्रिवेन्द्रम | **2,000** |
| | कुल : | **4,000** |

अनुसूची सं0 8 (ग) : भवन निर्माण के लिए क्षेत्रीय परिषदो और स्कंधों को अग्रिम 31 मार्च,2002 की स्थिति के अनुसार

| **इस वर्ष 2000-2001 रु0** | **स्कंध का नाम** | **इस वर्ष 2001-2002 रु0** |
|---|---|---|
| 3,892,000 | एन.आई.आर.सी | 3,892,000 |
| 2,700,000 | डब्ल्यू.आई.आर.सी | 2,700,000 |
| 300,000 | भिलाई | 300,000 |
| 300,000 | कोचीन | 300,000 |
| 200,000 | पुणे | - |
| 300,000 | उदयपुर | 300,000 |
| 300,000 | लखनऊ | 300,000 |
| 300,000 | विशाखापत्तनम | 300,000 |
| 200,000 | नासिक-ओझर | 200,000 |
| 300,000 | कटक-भुवनेश्वर | 300,000 |
| 300,000 | बंगलोर | 300,000 |
| 150,000 | जयपुर | 150,000 |
| **300,000** | दुर्गापुर | **300,000** |
| **300,000** | बोकारो | **300,000** |
| **200,000** | कोल्हापुर-सांगली | **200,000** |
| **300,000** | आसनसोल | **300,000** |
| **200,000** | कानपुर | **200,000** |
| **300,000** | हैदराबाद | - |
| **300,000** | धनबाद | **300,000** |
| **300,000** | मैसूर | **300,000** |
| **300,000** | सेरामपुर | **300,000** |
| **300,000** | त्रिसूर | **300,000** |
| **127,050** | दक्षिणी सूरत गुजरात | **127,050** |
| **210,000** | कोटा | **210,000** |
| **12,379,050** | | **11,879,050** |

अनुसूची सं0 8 (घ) : स्कंधों को रजत जयंती पूंजीगत अनुदान(अग्रिम): 31 मार्च,2002 की स्थिति के अनुसार

| गत वर्ष 2000-2001 रु0 | स्कंध का नाम | इस वर्ष 2001-2002 रु0 |
|---|---|---|
| 100,000 | कानपुर | 100,000 |
| 100,000 | बंगलोर | 100,000 |
| 100,000 | पुणे | - |
| 100,000 | दुर्गापुर | 100,000 |
| 32,138 | जयपुर | 32,138 |
| 100,000 | अहमदाबाद | 100,000 |
| 100,000 | हावड़ा | 100,000 |
| 100,000 | जमशेदपुर | 100,000 |
| 100,000 | नेहाटी इच्छापुर | 100,000 |
| 100,000 | फरीदाबाद | 100,000 |
| 100,000 | चण्डीगढ़ | 100,000 |
| 100,000 | कटक-भुवनेश्वर | 100,000 |
| 100,000 | बोकारो | 100,000 |
| 100,000 | कोचीन | 100,000 |
| 100,000 | कल्याण-अम्बरनाथ | 100,000 |
| 100,000 | बड़ौदा | 100,000 |
| 100,000 | भोपाल | 100,000 |
| 100,000 | त्रिवेन्द्रम | 100,000 |
| 100,000 | नागपुर | 100,000 |
| 100,000 | गोवा | 100,000 |
| 100,000 | लखनऊ | 100,000 |
| - | नासिक-ओझर | 100,000 |
| 100,000 | मैसूर | 100,000 |
| 2,132,138 | | 2,132,138 |

अनुसूची सं0 9 : चालू देयताएं एवं प्रावधान 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार

| गत वर्ष 2000-2001 रु0 | विवरण | इस वर्ष 2001-2002 रु0 |
|---|---|---|
| | चालू देयताएं: | |
| 453,331 | पुस्तकालय जमा | 451,966 |
| 310,139 | अनिर्दिष्ट जमा (वापसी योग्य) | 331,767 |
| 88,000 | मौखिक शिक्षा संस्थानों से प्रतिभूति जमा (वापसी योग्य) | 86,000 |
| 4,644,611 | विविध लेनदार | 5,362,618 |
| 610,757 | अन्य देयताएं | 201,728 |
| 457,130 | बुक ओवर ड्राफ्ट | 635,600 |
| 2,425,625 | विदेशी निकायों को बकाया सदस्यता शुल्क | 3,780,275 |
| 593,347 | प्रावधान | 593,347 |
| 9,582,940 | | 11,443,291 |

अनुसूची सं0 9 का परिशिष्ट

| प्रावधानों की अनुसूची | | |
|---|---|---|
| इस वर्ष 2000-2001 रु0 | विवरण | इस वर्ष 2001-2002 रु0 |
| | प्रावधान | |
| 30,000 | को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी प्रा0 लि0, को अनुदान हेतु प्रावधान | 30,000 |
| 140,000 | क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों को स्वर्ण जयंती अंशदान हेतु प्रावधान | 140,000 |
| 123,347 | डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 123,347 |
| 150,000 | दरों और करों के लिए प्रावधान | 150,000 |
| 150,000 | आई एफ ए सी को अंशदान के लिए प्रावधान | 150,000 |
| **593,347** | | 593,347 |

| अनुसूची सं0 10 : आय<br>वार्षिक अंशदान और अन्य शुल्क: 31 मार्च,2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|
| गत वर्ष 2000-2001 रु0 | विवरण | इस वर्ष 2001-2002 रु0 |
| **4,952,565** | वार्षिक सदस्यता शुल्क द्वारा | 2,855,110 |
| 3,617,460 | छात्रों के वार्षिक अंशदान द्वारा | 2,979,720 |
| 187 575 | सदस्यों के प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र शुल्क द्वारा | 159,688 |
| 242,340 | ग्रैड सी. डब्ल्यू.ए. शुल्क द्वारा | 684,840 |
| 9,015 | नए फार्म शुल्क द्वारा | 17,103 |
| 378 | सदस्यता बहाली शुल्क द्वारा | 450 |
| **150** | सदस्य शिकायत शुल्क द्वारा | - |
| **5,700** | नामांकन शुल्क द्वारा | 19,200 |
| **9,015,183** | | 6,716,111 |

| अनुसूची सं0 11 : आय<br>परीक्षा एवं अन्य शुल्क:<br>31 मार्च,2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|
| 26,184,152 | परीक्षा शुल्क द्वारा | 22,247,935 |
| 109,666 | उत्तर पत्रों के सत्यापन शुल्क द्वारा | 84,248 |
| 945,785 | परीक्षा फार्मों की बिक्री द्वारा | 1,244,272 |
| 30,373 | विविध आय द्वारा | 56,374 |
| **27,269,976** | | **23,632,829** |

| अनुसूची सं0 12 : आय<br>शिक्षण एवं अन्य शुल्क:<br>31 मार्च,2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|
| 12,979,120 | शिक्षण शुल्क द्वारा | 15,114,182 |
| 50,500 | आवर्ती वार्षिक शुल्क द्वारा | 50,000 |
| 3,400,692 | सेवा शुल्क द्वारा | 3,214,145 |
| 2,506,108 | अध्ययन नोट्स की बिक्री द्वारा | 2,536,518 |
| **28,060** | कोर्चिंग पुनर्यैधीकरण फार्मों की बिक्री द्वारा | **50,619** |
| **1,867,896** | शिक्षा समापन प्रमाण-पत्र पुनःवैधीकरण शुल्क द्वारा | **2,451,087** |
| **20,832,376** | | **23,416,551** |

| अनुसूची सं0 13 : स्थापना<br>31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|
| गत वर्ष<br>2000-2001<br>रु0 | विवरण | इस वर्ष<br>2001-2002<br>रु0 |
| 25,585,804 | वेतन और भत्तो के लिए | 24,844,520 |
| 2,322,241 | कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के लिए | 2,276,191 |
| 7,676 | कर्मचारी उपदान निधि में नियोक्ता के अंशदान के लिए | 7,336 |
| 1,561,251 | कर्मचारियों को चिकित्सीय लाभ के लिए | 1,153,400 |
| 272,000 | कर्मचारियो को छुट्टी यात्रा भत्ता के लिए | 139,000 |
| 2,305,156 | कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए | 2,131,464 |
| 51,723 | कर्मचारियों के ई.डी.एल.आई मे नियोक्ता के अंशदान के लिए | 64,249 |
| 444 | ई.डी.एल.आई निरीक्षण प्रभारो के लिए | 507 |
| 34,931 | आर.पी.एफ.सी. हेतु प्रशासनिक प्रभारों के लिए | 34,035 |
| 57,086 | प्रशिक्षण और विकास (एच.आर.डी.) के लिए | 108,229 |
| 32,198,312 | | 30,758,931 |

## अनुसूची सं0 14: व्यय/कार्यालय खर्च

### 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

| गत वर्ष<br>2000-2001<br>रु0 | विवरण | इस वर्ष<br>2001-2002<br>रु0 |
|---|---|---|
| | | |
| 39,462 | रायल्टी | - |
| 1,594,454 | मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 1,702,187 |
| 3,306,488 | डाक,तार,दूरभाष और फैक्स | 2,346,558 |
| 780,313 | विद्युत खर्च | 734,065 |
| 13,610 | जनरेटर खर्च | 15,961 |
| 67,912 | दर और कर | 58,303 |
| 55,821 | बीमा | 52,580 |
| 484,200 | मरम्मत और रख-रखाव | 559,056 |
| 701,546 | मोटर गाड़ी खर्च | 580,670 |
| 7,480 | मौखिक शिक्षण संस्थानों से प्रतिभूति जमा पर ब्याज | 7,310 |
| 317,789 | अध्यापन सामग्री वितरण खर्च | 316,515 |
| 145,664 | पुस्तके तथा पत्रिकाएं | 135,286 |
| 794,508 | कानूनी खर्च | 132,375 |
| - | मांग ऋण पर ब्याज | 629,536 |
| 71,072 | बैंक खर्च | 51,367 |
| 404,684 | कम्प्यूटर खर्च | 426,653 |
| 83,442 | जन संपर्क खर्च | 31,710 |
| 45,851 | सुरक्षा खर्च | 39,688 |
| 236,705 | कर्मचारी कल्याण | 260,216 |
| 41,100 | डेलीगेट शुल्क | 3,600 |
| 7,460 | राजपत्र अधिसूचना | 296,100 |
| 278,931 | विविध खर्च | 188,837 |
| 9,477,492 | | 8,568,673 |

| अनुसूची सं0 15 : परीक्षा खर्च :<br>31 मार्च,2002 का समाप्त हुए वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|
| गत वर्ष<br>2000-2001<br>रु0 | विवरण | इस वर्ष<br>2001-2002<br>रु0 |
| 9,117,075 | परीक्षा खर्च | 8,247,084 |
| 111,648 | पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण खर्च | 92,553 |
| 9,228,723 | | 8,339,637 |

**अनुसूची सं0 16 : परिषद और समिति बैठक खर्च**
**31 मार्च,2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

| गत वर्ष 2000-2001 रु0 | विवरण | इस वर्ष 2001-2002 रु0 |
|---|---|---|
| 1,528,600 | परिषद और समिति बैठक संबंधी खर्च | 2,782,928 |
| 1,157,625 | परिषद के सदस्यों को यात्रा भत्ता | 1,065,841 |
| **2,686,225** | | **3,848,769** |

अनुसूची स0 17 - 31 मार्च,2002 **को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति सहित क्षेत्रीय परिषदों को राजस्व अनुदान**

(क) वर्ष के दौरान निम्न लेखों से क्षेत्रीय परिषदों को प्रतिपूर्ति की गई और आय एवं लेखा में आमेलित किया गया धन

| गत वर्ष 2000-2001 रु0 | विवरण | ई.आई.आर. सी रूपये | एस.आई. आर.सी रूपये | डब्ल्यू.आई आर.सी रूपये | एन.आई. आर.सी रूपये | इस वर्ष 2001-2002 रूपये |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,202 | विकेन्द्रीकरण के लिए डाक और तार प्रभार | - | - | - | - | - |
| 17,885 | मरम्मत एवं रख-रखाव | - | 33,528 | 6,000 | 36,169 | 75,697 |
| 33,528 | दर एवं कर | - | - | - | - | - |
| **54,615** | **कुल(क):(नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार)** | - | 33,528 | 6,000 | 36,169 | **75,697** |
| **300,000** | **टी.ए. अनुदान** | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | **225,000** |
| **240,000** | **चालू खर्च अनुदान** | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | **240,000** |
| **3,655,412** | **राजस्व अनुदान** | 438,283 | 1,737,450 | 521,910 | 1,013,349 | **3,710,992** |
| **4,195,412** | **कुल(ख):** | 498,283 | 1,872,450 | 656,910 | 1,148,349 | **4,175,992** |
| **4,250,027** | **कुल (क) + (ख):** | 498,283 | 1,905,978 | 662,910 | 1,184,518 | **4,251,689** |
| | नोटः | | | | | |

नोटः अनुसूची 14 में संबंधित शीर्षों के अधीन शामिल ।

**अनुसूची सं0 18 : पूर्व अवधि के खर्च :**
**31 मार्च,2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

| गत वर्ष 2000-2001 रु0 | विवरण | इस वर्ष 2001-2002 रु0 |
|---|---|---|
| 33,528 | दर एवं कर | |
| 21,765 | स्थापना | |
| - | एसआईआरसी का दावा | 41,613 |
| - | गजट अधिसूचना | 189,000 |
| - | परीक्षा खर्च | 26,315 |
| **55,293** | कुल | **256,928** |

**दिनांक 31 मार्च,2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियां**

**अनुसूची संख्या 19**

**क. महत्वपूर्ण लेखा-नीति**

1. **स्थायी सम्पत्तियाँ:**
   (क) लेखा में स्थायी सम्पत्तियों का उल्लेख आयकर अधिनियम में समय-समय पर निर्धारित दर पर की गयी खरीद की तारीख को ध्यान में न रखते हुए लागत घाटा न्यूनकारी मूल्य पद्धति में उपलब्ध मूल्यह्रास के संबंध में किया गया है।
   (ख) पट्टे पर की जमीन बट्टे खाते नहीं डाली गई है ।
   (ग) निर्माणाधीन सम्पत्तियों को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में दिखाया गया है ।
2. **आय एवं व्यय संबंधी स्वीकार्यता:**
   (क) क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों के साथ संस्था के विभिन्न प्रकाशनों की बिक्री के संबंध में ब्याज आय और लेन-देनों को छोड़कर, लेखा में आय को आम तौर पर नकद राशि के आधार पर दिखाया गया है ।
   (ख) स्कंधों को वार्षिक अनुदान और कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण से भिन्न खर्च को व्यावसायिक आधार पर माना गया है । चुनाव संबंधी खर्चों को तीन वर्ष में प्रभारित किया गया है ।
3. **निवेश:**
   निवेश को लागत के आधार पर दिखाया गया है ।
4. **भंडारसूची:**
   भंडारसूची में प्रकाशनो, कागजातो और अध्ययन सामग्री का स्टॉक शामिल है, जिनका मूल्यांकन क्रय मूल्य इससे जुड़े अन्य प्रासंगिक प्रभारो के आधार पर किया गया था। परन्तु खपत के अयोग्य और बिक्री के अयोग्य प्रकाशनों तथा अध्ययन सामग्रियो को स्टॉक मूल्य में शामिल नहीं किया गया है ।
5. **कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ:**
   (क) उपदान भुगतान अधिनियम,1972 के अनुसार उपदान के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लेखा में उपदान का प्रावधान किया गया है ।
   (ख) संस्था के नियमों के अनुसार न्यासी को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है तथा संस्था के अंशदान को प्रत्येक वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया जाता है ।
   (ग) सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण लाभ को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
6. **विदेशी मुद्रा में लेन-देन:**
   लेखा में विदेशी मुद्रा में हुए लेन-देन को रूपये में संग्रहण/भुगतान अर्थात् जब उसकी प्राप्ति और खर्च रूपये के मूल्य में होता है, के आधार पर उल्लेख किया जाता है ।
7. **पूर्व समय की आय/व्यय**
   पूर्व समय के विशिष्ट राजस्व भाग को आय और व्यय लेखा के नीचे दिखाया गया है तथा पूर्व समय के दूसरे समायोजनों को सामान्य निधि में और उसमें से समायोजित किया गया है ।

**ख. लेखा के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ**

1. **अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं सेमिनार में अपनी अपनी भागीदारी के आधार पर दो केन्द्रीय परिषद सदस्यों द्वारा 2,91,430/- रु0 की राशि का दावा किया गया है और डब्ल्यू आई आर सी एवं एस आई आर सी द्वारा क्रमशः 1,36,097/- एवं 1,53,287/- रु0 की उस राशि का दावा किया गया है , जो इनके द्वारा इस संबंध में खर्च की गई रकम सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन्हें उनके दिनांक 19 मार्च, 2002 के पत्र सं0 2/1/97/आईजीसी(खंड II)द्वारा जारी किया गया है और सलाहकार/सचिव द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2002 (गत वर्ष शून्य) के नोट सं0 जी/5/3/2002 द्वारा सूचित किया गया है, हिसाब में नहीं लिया गया है ।**
2. **5,63,352/- रु0 के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात 8,45,028 रु0 (गत वर्ष - 8,45,028/-) की बकाया पूंजी वचनबद्धता का अनुमान लगाया गया है ।**
3. **8,510/- रूपये की रकम (जिसमें 80,081/-रूपये की निकासी और 71,571/-रूपये नामे शामिल है) को सामान्य निधि में समायोजित किया गया है ताकि संस्था के विभिन्न बैंक खातों के बैंक समाधान विवरण में आंशिक बकाया राशि को बट्टे खाते डाला जा सके । आगे यथा आवश्यक समायोजन समय-समय पर किया जाएगा ।**
4. **वर्ष के दौरान दो स्कंधों, अर्थात् पुणे तथा हैदराबाद की भूमि और भवन को 59,92,411/- रूपये (गत वर्ष - रानीपेट-बेल्लोर और बड़ोदा के संबंध में 17,81,601/-रूपये) जिसमें स्कंधों द्वारा दिया गया 26,73,589/-रूपये तथा 27,18,822/-रूपये का अंशदान भी शामिल है । पूंजीकरण के वर्ष से मूल्यह्रास दिया गया है । क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों को भवन निर्माण के लिए दिए गए अग्रिम में असमायोजित शेष की राशि 1,18,79,050/- है ।**
5. **वर्ष के दौरान 1,00,000/-रूपये (गत वर्ष - शून्य)रजत जयंती पूंजी अनुदान (अग्रिम) नासिक-ओझर स्कंध को जारी की गई । तथापि वर्ष के दौरान पुणे स्कंध को दिया गया अग्रिम समायोजित कर दिया गया, अपेक्षित समर्थनकारी दस्तावेजों के अभाव में असमायोजित शेष 21,32,138/-रूपये समायोजित नही किए जा सके ।**
6. **आयकर अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित धारा 10(23 क) के अधीन छूट की हकदारी को देखते हुए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।**
7. **संस्थान ने दिनांक 17 अक्तूबर,2001 को हुई संस्थान की 206 वीं परिषद की बैठक के निर्णय के अनुसार संस्थान की निधि के तहत इंगित सावधि जमा 75.00 लाख रूपये के धारणाधिकार पर 25.70 लाख रु0 (गत वर्ष- 40.00 लाख रु0) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, न्यू मार्किट शाखा से अतिरिक्त मांग ऋण लिया ।**
8. दिनांक 31 मार्च,2002 की स्थिति के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निवेश, जिसमें उस पर उद्भूत 1,45,10,083/-रूपए का ब्याज भी शामिल है, की तुलना में कर्मचारी उपदान निधि 1,03,62,105/- रूपए है । संस्थान द्वारा उपदान निधि में 1,55,195/- रूपए के किए गए अधिक अंशदान को आय एवं व्यय लेखों में अंतरित किया गया है और जिसे रेखा के नीचे दिखाया गया है ।
9. दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार निवेश जिसमें उस पर उद्भूत 3,08,874/- रूपए का ब्याज भी शामिल है, की

तुलना मे कर्मचारी कल्याणा कोष 3,31,424/-रूपए का है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश की राशि में 22,550/-रूपए की कमी आई है जिसे चालू वर्ष मे पूरा किया जाएगा ।

10 संस्थान द्वारा रखे गए सभी पुरस्कार निधियो को परिषद के निर्णयानुसार संगत निवेशो सहित लेखो मे समाविष्ट किया गया है । यूंकि ये निधिया अलग दाता द्वारा प्रायोजित की जाती है इसलिए उनके आय/व्यय का संस्थान के लेखो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । वर्ष के दौरान संस्थान ने श्रीमती कल्याणी गांगुली तथा श्री जे एस अय्यर से क्रमशः 1,00,000/- रूपए तथा 30,000/-रूपए प्राप्त किए हैं । वर्ष के दौरान 20,000/-रूपए और 25,000/-रूपए निवेश किए गए जो पिछले वर्ष मे प्राप्त 1,00,000/-रूपए के साथ, इस वर्ष प्राप्त हुए । 30,000/- रूपए के निवेश के लिए, अन्य देयताओं को दिखाते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

ए वी एस राव मेमोरियल इंडोवमेंट लेक्चर एंड स्टूडेंट वेलफेयर के खाते मे प्राप्त 10,001/-रूपए तथा 40,201/-रुपए को अन्य देयताओं में दर्शाया गया है । निधि के निवेश हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

11. अन्य अग्रिमो मे 12,13,436/-रूपए (गत वर्ष - 16,88,026/-रूपए) शामिल है । इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(क) दिनांक 24 मार्च,2001 को हुई 201 वीं परिषद की बैठक के साथ पठित 3 एवं 4 दिसम्बर, 2000 को हुई 200 वीं परिषद की बैठक के निर्णयानुसार यात्रा व्यय के कारण पाच केन्द्रीय परिषद के सदस्यों से 2,73,764/- रूपए की राशि वसूल की जानी है ।

(ख) दिनांक 24 मार्च,2001 को हुई 201 वीं परिषद की बैठक के साथ पठित 3 एवं 4 दिसम्बर, 2000 को हुई 200 वीं परिषद की बैठक के निर्णयानुसार सांविधिक खर्चे के कारण सात केन्द्रीय परिषद के सदस्यो से 9,39,672/- रूपए की राशि वसूल की जानी है ।

दिनांक 23-24 जून,2001 को हुई 294 वी कार्यकारी समिति की बैठक के साथ पठित 3.3.2001 और 17.3.2001 को हुई कार्यकारी समिति और स्थगित बैठक के निर्णयानुसार विधिक खर्चों के कारण पूर्व सचिव से 4,74,590/-रूपए की राशि वसूल की जानी है और दिनांक 17 अक्तूबर,2001 को भी 206 वीं परिषद की बैठक के निर्णय अनुसार समायोजित की जानी है ।

12. दिनाक 14 अगस्त,2001 को हुई 296 वीं कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णयानुसार एसएएफए सेमिनार और सीएपीए सेमिनार के लिए विज्ञापन और डेलीगेट फीस के रूप में 24,000/- रूपए और 3,000/- रूपए की राशि वसूली की जानी है ।

13 पूर्व प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों के लेखों को इन लेखों मे समाविष्ट नहीं किया जाता है यद्यपि आयकर अधिनियम,1961 के तहत न्यास की आय की गणना करते समय इन पर विचार किया जाता है।

14. संपत्ति कर के सिलसिले में दिनांक 7 नवम्बर, 2001 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खान मार्किट खास, नई दिल्ली के खाता स0 सीडी/1924 को दिल्ली नगर निगम (एससमेंट एवं कलेक्शन विभाग) से संबद्ध कर दिया गया ।

15 लेखा नीति सं0 2(क) के अनुसार वार्षिक अंशदान और शिक्षण शुल्क की गणना नकद आधार पर की जाती है ।

16. संस्थान के केन्द्रीय और क्षेत्रीय परिषदों (2001-2004) के चुनाव और उप चुनाव(2001) पर 14,77,527/- रूपए खर्च किए गए । इसमें से एक तिहाई आय एवं खर्च लेखों मे से लिया गया जिसमें लेखा नीति सख् 2(ख) के अनुसार विविध खर्च शीर्ष के तहत 9,85,018/- रुपए की राशि शेष रही ।

17. निम्नलिखित के संबंध में वसूलिया 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ी हुई हैं:-

विविध कर्जदार(कार्यक्रम) 1.77 लाख रूपए
विविध कर्जदार(पत्र)- 0.19 लाख रूपए

राशि की वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

संस्थान ने अलग-अलग स्कंधों को भवन ऋण और कम्प्यूटर ऋण मंजूर किया था और कुछेक स्कंधों के संबंध में तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि, नीचे दर्शायी गई है:-

| | | |
|---|---|---|
| 8% भवन ऋण | - | 20.21 लाख रूपए |
| 4% भवन ऋण | - | 1.23 लाख रूपए |
| कम्प्यूटर ऋण | - | 7.27 लाख रूपए |
| भवन ऋण पर ब्याज | - | 0.77 लाख रूपए |

18. चालू खाते में जमा 3000/- रूपए के संबंध में पुष्टि नहीं थी ।

19. बैंक शेष में बंद बैंक खाते में 5,879/रूपए- (गत वर्ष - 5,767/- रूपए) हैं ।

20. विधिक प्रभारों में 0.50 लाख रूपए शामिल है जिसे परिषद के निर्णय के आधार पर अन्तर्वर्ती आवेदन के संबंध में वकीलों को अदा किया गया था ।

21. वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में भागीदारी करने के लिए 6.96 लाख रूपए का व्यय किया गया था । प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए संस्थान की परिषद को सूचित किया गया है और भारत सरकार को औचारिक पत्र भी लिखे गए हैं ।

22. विविध क्षेत्रीय परिषदो और स्कंधों को जारी वेरीफिकेशन रिलिप की वेरीफिकेशन शेष अभी आनी बाकी है ।

23. इस वर्ष के समूहीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक पाया गया है, पुनः समूहबद्ध किया गया है ।

कुणाल बैनर्जी, उपाध्यक्ष
कोलकाता
दिनांक 21 जुलाई, 2002

वी. वी. देवधर, अध्यक्ष
आर. एन. पाल, निदेशक (ए एंड एफ)

## THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA NOTIFICATION

Kolkata, the 12th September, 2002

**Reg. No. G/18-CWA/9/2002.**—In pursuance of Sub-section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2002 are hereby published for general information.

R. N. PAL, Director (A & F)

[No. ADVT/III/IV/71/02-Exty.]

### 43RD ANNUAL REPORT, 2001-2002

Issued under Section 18(5) of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

The Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India takes pleasure in presenting the Annual Report and Audited Accounts of the ICWAI for the year ended 31st March, 2002.

The Council at its meeting held on 22nd July 2001 elected Shri V.V.Deodhar, BA(H), B Com.(H),FCS, FICWA, as President and Shri Kunal Banerjee, BA(H), FCA, FICWA, as Vice-President of the Institute for the year 2001-2002

The Council met 6 times during the year 2001-2002.

**Committees of the Council**

The details of various Committees constituted by the Council on 22nd July 2001 are given in the Annexure.

**DIRECTORATE OF STUDIES**

**Registered Students**

During the current year, 15,178 students registered themselves with the Institute. In the previous year the number was 15,995. The number of registered students at the end of the year stood at 1,50,040. The Regionwise break-up of the students registered during the years 2000-2001 and 2001-2002 is produced below :

| REGISTRATION | | |
|---|---|---|
| **REGION** | **2000-01** | **2001-02** |
| NORTHERN | 2,604 | 2,102 |
| EASTERN | 1,896 | 1,683 |
| WESTERN | 2,973 | 3,160 |
| SOUTHERN | 6,020 | 5,551 |
| **TOTAL** | **13,493** | **12,496** |
| DENOVO | 2,502 | 2,682 |
| **GRAND TOTAL** | **15,995** | **15,178** |

**Coaching**

During the year, 24,813 students enrolled themselves for coaching. The regionwise break-up is as under:

| | | POSTAL | | ORAL | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Course** | **Region** | 2000-2001 | 2001-2002 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2000-2001 | 2001-2002 |
| **INTER** | NORTHERN | 2,693 | 2,785 | 1,244 | 1,142 | 3,937 | 3,927 |
| | EASTERN | 1,188 | 1,091 | 1,819 | 1,399 | 3,007 | 2,490 |
| | WESTERN | 1,630 | 2,335 | 2,949 | 3,196 | 4,579 | 5,531 |
| | SOUTHERN | 4,379 | 5,520 | 5,443 | 5,272 | 9,822 | 10,792 |
| | **Sub Total** | **9,890** | **11,731** | **11,455** | **11,009** | **21,345** | **22,740** |
| **FINAL** | NORTHERN | 338 | 345 | 91 | 120 | 429 | 465 |
| | EASTERN | 293 | 167 | 225 | 117 | 518 | 284 |
| | WESTERN | 222 | 222 | 289 | 129 | 511 | 351 |
| | SOUTHERN | 756 | 721 | 404 | 252 | 1,160 | 973 |
| | **Sub Total** | **1,609** | **1,455** | **1,009** | **618** | **2,618** | **2,073** |
| **Grand Total** | | **11,499** | **13,186** | **12,464** | **11,627** | **23,963** | **24,813** |

Facility for Postal Coaching in the form of supply of study notes, test papers and suggested answers through Regional Councils continues to be provided to the students during the year. Publication of suggested answers to the questions set at the Institute's examinations (Foundation, Inter and Final) and scanner is continuously meeting the demands of students undergoing Postal and Oral Coaching.

Besides Postal Coaching, the Institute is providing Oral Coaching to the students through 105 centres spread all over the country and 1 Overseas Coaching Centre at Dubai.

**Practical Training Scheme**

The Institute is having a Practical Training Scheme to help the students acquire experience in industry, service and other sectors of the economy. Keeping in view of the changing need of the economy in a new environment, the Training Scheme has been revised in consultation with user industry, service and other sectors. Reputed organisations like Indian Oil Corporation, Food Corporation of India, ITC, NALCO, INDORAMA, Hindustan Lever, Foreign Banks, etc., are engaging Cost Trainees in their organisations. During the year, many organisations like Oil and Natural Gas Commission,

Larsen & Toubro Ltd., INDORAMA, IDBI, IDBI Bank, TVS Suzuki, ICICI, otc. recruited the qualified candidates of ICWAI examinations in June and December 2001 term in their organisations through Campus Interviews/Walk-in-Interviews.

**Revision/Updating of Study Notes and Publication of Supplements**

The Institute has updated and improved the Study Notes to incorporate latest developments in various fields. During the year, Tax Updates for Direct Taxation and Indirect Taxation, based on the Finance Act 2001, have been published in the Institute's journal, *The Management Accountant*, and distributed to the students free of cost These supplements have been hosted in the Institute's website.

**Career Counselling Initiatives**

Special initiatives for disseminating the scope of the course among the student community were taken during the year. Chapters of the Institute were asked to coordinate with the local educational institutions or organise meetings of the senior students in which representatives of the Institute attended the same and highlighted the scope of Cost and Management Accountancy Profession in the emerging economic scenario. The initiatives taken by the Council in this direction have effectively been responded and series of Career Counselling Programmes have been proposed during the next financial year. In addition, during the period, many well circulated newspapers and periodicals published details regarding ICWAI course as career guide to its readers. Apart from regional newspapers, mention may be made of the articles published in *The Times of India, Hindustan Times, The Telegraph and Ananda Bazar Patrika.* Two advertisements regarding admission in ICWAI course in the Employment News were published.

**Revision of Syllabus**

Introduction of coaching in Foundation Course of the Institute and also the revision of the syllabus of the Intermediate and Final course of the Institute, as passed by the Council, has been approved by the Government of India for publication in the Official Gazette vide their letter No. 2/1/2001-IGC dated February 5, 2002. Thereafter, a Gazette Notification has been published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on February 7, 2002 and made available to public on February 11, 2002 for further necessary action. As required, the proposed revised syllabus after vetting by the Council was forwarded to the Government on 18.4.2002 for final notification in the Gazette and implementation with effect from 1.7.2002.The Central Government approved the revised syllabus on 25.6.2002 and the same was published in the Gazette on 26.6.2002. It has been possible to immediately publish two Study Notes – one for the intermediate Course and one for Final Course under revised syllabus

**Compulsory Training**

The training scheme as finalised by the Training and Educational Facilities Committee and the Council involving compulsory Group Discussion, Business Communication Seminars, Dissertations, Modular Training, Industrial Training except Computer Hands On required to be undertaken has already been implemented with effect from 1.1.2001.

**Computer Training**

As earlier decided, completion of computer training was made a prerequisite for issuance of coaching completion certificates for the students desirous of appearing in the June 2002 term of examination. The training is being conducted through NIIT. In accordance with the decision of the Training and Educational Facilities Committee, some 23 Regional Councils and Chapters having required

infrastructural facilities, as mentioned in our circular dated 10.11.2001, have also been recognised as authorised training centres for conducting computer training. The names of the Regional Councils and Chapters are given below :

EIRC, SIRC, NIRC, WIRC, Pune, Nagpur, Bhopal, Surat, Thrissur, Cochin, Nasik, Baroda, Bangalore, Kalyan-Ambernath, Ahmedabad, Visakhapatnam, Jaipur, Trivandrum, Hyderabad, Durgapur, Tiruchirapally, Vijaywada and Coimbatore.

**Recognition by Foreign Institutes and Business Schools and Reciprocal arrangement of Exemption**

With concerted efforts we were able to persuade Wharton School, Kelley School of Business, Stuart Graduate School of Business of USA to allow our members to take admission in their respective MBA programmes of the respective Institutes subject to fulfillment of required conditions. The Institute of Certified General Accountants Ontario, Canada (CGA ,Ontario) awarded exemption to ICWAI qualified candidates in 13 papers and offered the challenge examination privilege in one paper out of 22 papers of its curriculum. The Institute of Certified Management Accountants ,USA (CMA,USA) awarded exemption to ICWAI candidates in **Part 3 and 4 of its** curriculum and it has been possible to enter into a reciprocal arrangement for awarding exemption to CMA qualified candidates in ICWAI curriculum.

European Institute of Advanced Studies in Management (EIASM) collected data from different professional institutions all over the world for comparative research It is understood that the result of the said research will be presented in the Hong Kong Conference of the International Association for Accounting Education and Research, which will take place in conjunction with the IFAC World Congress of Accountants to be held in November 2002. Research activity report regarding Impact of Globalisation in Accounting Education has been published in December 2001. In the said report, there is Overview of ICWAI along with other international bodies.

Consequent upon revision of syllabi of ICSI and ICWAI, it has been found necessary to enter into a reciprocal arrangement of awarding exemption with ICSI. Director of Studies ICWAI has since taken up the matter with ICSI. It

is expected that such reciprocal arrangement with ICSI will be arrived at shortly.

**EXAMINATIONS**

June 2001 and December 2001 examinations were held at 78 Inland and 3 overseas centers. There were about 29,123 and 28,982 examinees enrolled for these two terms respectively. The detailed list of the places having examination centers, both inland and overseas, are given below.

Our Institute website < **www.icwai.org** > were further improved and while for June 2001 term only the result was put up in the website, but for the December 2001 term, the admit card as well as the result with detailed mark sheet was displayed which was well appreciated by the student community. Constant efforts are on to further improve the services to the examinees and for smooth and efficient conduct of examinations.

However, as envisaged earlier, the examination process could not be held under the New Computer System (ORACLE) as the package developed by M/s Ontrack Systems Ltd. was not found foolproof and the project was ultimately not taken off. However, in spite of severe hardware constraints the situation could be tackled successfully with the existing COBOL system. It is hoped that very soon the examination system will be converted in the state of the art platform and student would be provided with much better and faster service.

The annual prize distribution ceremony was held during the National Cost Conference held at Kolkata and the successful recipients of the prizes turned out in great numbers to make the ceremony a grand success where eminent dignitaries were present.

During the year, the members of the Examination Committee had five meetings to discharge various examination-related duties.

**Examination Centres – June 2001 & December 2001**

**Inland :**

| Western Region | Southern Region | Eastern Region | Northern Region |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | Bangalore | Agartala | Ajmer |
| Aurangabad | Chennai | Asansol | Allahabad |
| Baroda | Coimbatore | Bhubaneswar | Chandigarh |
| Bhilai | Ernakulam | Bokaro | Dehradun |
| Bhopal | Hyderabad | Kolkata | Delhi |
| Bilaspur | Kottayam | Cuttack | Faridabad |
| Indore | Madurai | Dhanbad | Ghaziabad |
| Kolhapur | Mangalore | Durgapur | Jaipur |
| Mumbai | Mysore | Guwahati | Jammu |
| Nagpur | Neyveli | Howrah | Jodhpur |
| Nasik | Pondicher | Jamshedp | Kanpur |
| Panaji (Goa) | Rajamundry | Naihati | Kota |
| Pune | Salem | Patna | Lucknow |
| Surat | Thiruvananthapuram | Ranchi | Patiala |
| Vindhyanagar | Tiruchirapalli | Rourkela | Udaipur |
| | Tiruvelveli | | Jallandar |
| | Ukkunagaram | | |
| | Vellore | | |
| | Vijaywada | | |
| | Waltair | | |

**Overseas :**

| | | |
|---|---|---|
| Botswana | Dubai | Muscat |

**MEMBERSHIP**

During the year, 801 candidates were admitted as Associate members and 138 Associate Members were elevated as Fellow Members. As on 31st March, 2002, the total number of members stood at 21450. The number of Members in Practice was 1695 as against 1744 in the previous year. The number of Graduate Members enrolled during the year was 364 as against 431 in the previous year.

**MEMBERS' SERVICES & MEMBERS' FACILITIES COMMITTEE**

During the year, Members' Services and Members' Facilities Committee met only once and the following targets were fixed in the meeting:

1: Publication of "Membership Guidelines" in "The Management Accountant" either in instalments or at one go.

2: Guidelines to be followed for grant of Fellowship to members of our Institute.

3: Guidelines to be followed for making Associate members of the Institute.

4: Preparation of list of Grad. Members who have not yet become Associate Members.

5: Preparation of list of Students who have passed the Final Examination but have not become Grad. CWAs or Members.

6: Introduction of the system of Business Reply Envelopes.

**Reforms during the current year :**

7. Defaulting members to be brought into the fold by vigorous follow up.

8. Strengthening the Membership Department and placing the entire Membership Department in one location/floor of the Institute.

9. To inform the members, on regular basis, about their outstanding dues.

10. To devise a system so that all the users use addresses of members from a common source.

11. CD/floppy indicating members both (residence and office) addresses, telephone numbers and e-mail address, be made available to the members as priced publication.

12. Expected time taken by the Institute in providing each type of service in tabulated form to be published in "The Management Accountant".

13. Suggestions from Regional Councils and Chapters in bringing out reforms and innovative working in the services to members.

14. To reduce the paper work to minimum possible, encourage members to use more and more e-mail address of the institute.

15. Insertion in "The Management Accountant" intimating all members to furnish their e-mail addresses and fax nos. along with telephone nos.

The efforts are on to complete all targets listed above. The followings steps during the year 2001-2002 have been successfully taken for providing proper services and facilities to the members:

1. Steps towards completion of computerisation work of the Membership records in a big way were undertaken. Facilities have also been provided for network connection of the computerised records with other related Departments. Further system development activities in this regard are in progress.

2. As a drive to increase the number of membership and realising the arrear dues, letters were issued requesting the Grad. CWAs to get themselves admitted as Associate Member and also to clear their dues. Good response was received in reply to these letters and a number of them applied for Associate Membership and cleared their dues.

3. Insertions were also made in the monthly journal "The Management Accountant" intimating the Members to clear their arrear dues.

4 To enable the members have a quick information about their dues and enable updation of their profile, requisite facilities have been provided in the website of the Institute www.icwai.org. Facilities already provided to download various forms and Membership Guidelines continue to exist.

5 Steps have been taken to update the particulars of members on the basis of information received from them and display the same in the website of the Institute.

6. In order to reduce the paper work to minimum possible and encourage members to make more use of e-mail, steps were taken to record their e-mail addresses as intimated by them and provide prompt reply to their queries through e-mail.

7. Steps have been taken to publish all Government Notifications and Cost Audit Orders in the website for the benefit of members as also those in practice.

8. Suggestions were invited from Regional Councils and Chapters in bringing out reforms and innovative working in the services to members.

9. Steps were taken to publish expected time taken by the Institute in providing each type of service to the members in "The Management Accountant".

The Committee hopes that the steps taken would definitely give better service to the members and look forward to the suggestions for further improvement from the membership fraternity.

**RESEARCH & JOURNAL COMMITTEE**

This year, Institute's journal, *The Management Accountant*, refocused on the new role of Cost and Management Accountants in the new era that transcends conventional areas of operation The cover features of the journal reflected the new concern of Cost Accountants in a changing scenario. The journal's practical utility in the hands of professionals was greatly improved and even members of other professions used it as a source book.

With the profession of Cost and Management Accountants achieving more recognition from the government and society, several radical changes were brought in most of the Cost Accounting Records

Rules along with a total overhaul of Cost Audit Report Rules while new industries like steel, electricity, electronics etc., were covered under statutory cost accounting and cost audit. The impact and relevance of these changes in the practical field were aptly brought out in the journal with the participation of more and more Cost Accountants – both in practice and service – contributing their mite in enriching our understanding of the changing scenario. The emphasis was on identification of real life problems and their solutions or search for solutions in continuous pursuit of excellence.

This year there was a marked improvement in the timely publication and circulation of journal. The new phase of the Student Edition commenced circulation among students and subscribers.

Regarding research activities new intellectual inputs were disseminated through the *Research Bulletin*. The Research Bulletin particularly highlighted our new role as specialists in 'measurement' and as strategic thinkers. Particular focus was laid on 'measurement' – performance measurement, risk measurement and analysis of industries, evaluation of measurement tool like EVA and assessment of agricultural cost-profit scenario

that has assumed great importance in the WTO regime. However, due to financial stringency, undertaking new research projects was somewhat deferred. On the other hand, queries have been received from prospective research projects having practical utility to the economic world. One such project on pricing formula is under negotiation.

**INTERNATIONAL AFFAIRS**

During the period the Institute represented India on all the international accounting bodies like IFAC (International Federation of Accountants), CAPA (Confederation of Asian and Pacific Accountants) and SAFA (South Asian Federation of Accountants). Incidentally, the Institute happens to be the founder member of all these three international accounting bodies.

Shri S. Ramanathan, Past President and present Council Member, was appointed Member of the prestigious FMAC of IFAC (Financial and Management Accounting Committee of International Federation of Accountants) while Shri V. V. Deodhar, President, was the Technical Adviser on the same Committee.

The Institute participated in various meetings of the international accounting bodies and in the international events associated therewith. A chronicle:

**CAPA**

In May 2001 at Kualalumpur CAPA Excom was held where Shri D. C. Bajaj (then President) and Shri V. V. Deodhar, (then Vice-President and present President) participated as ICWAI delegation representing India. Shri V. V. Deodhar along with Shri S. Ramanathan attended CAPA Assembly in October 2001 at Sdyney, Australia. Last CAPA Excom was held in April 2002 at Tokyo, Japan where on behalf of ICWAI Shri V. V. Deodhar and Shri S. Ramanathan represented India.

**IFAC**

IFAC-FMAC meeting was held in March 2002 at Sdyney, Australia where Shri V. V. Deodhar and Shri S. Ramanathan participated.

**SAFA**

The Institute participated in the SAFA Assembly held in December 2001 at Goa. The last SAFA Assembly took place in May 2002 at Mumbai where ICWAI delegation consisted of Shri Rajiv Mehrishi (Central Government Nominee on ICWAI Council) and Shri V V. Deodhar, President.

In all these meetings, the Institute represented the interests of the Indian Accountants – Cost and Management Accountants in particular and above all, aptly representing Indian national interests.

**PROFESSIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE**

The Professional Development Committee of the Council of the Institute which met from time to time during the year deliberated on various issues relating to professional development, challenges and opportunities. The committee effectively liaised with the concerned Departments of Government of India to widen and strengthen the scope of professional development and extended role of Cost Accountants in the development of economy of the country through effective cost control and cost reduction. The under noted developments took place during the year under reference in this regard :

**1. Amendment in existing Cost Accounting Record Rules**

(a) Cost Accounting Records (Chemical Industries) Rules were amended to extend the coverage to another 21 chemicals

(b) Cost Accounting Records (Engineering Industries) Rules were amended to extend the coverage to automotive parts and accessories, power transformers, electric generator and machine tools

(c) Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Rules were amended to extend the coverage to include the heavy earth moving equipments

(d) Cost Accounting Records (Mini Steel Plants) Rules were amended to extend the coverage to all steel plants instead of mini steel plants

(e) Cost Accounting Records (Vanaspati) Rules were amended to update the records in view of changed operational technology

(f) Cost Accounting Records (Formulations) Rules were amended to update the records in view of changed operational technology

(g) Cost Accounting Records (Milk Food) Rules were amended to extend the coverage to ice-cream, chocolates and desi ghee

(h) Cost Accounting Records (Bulk Drugs) Rules were amended to update the records in view of changed operational technology

(i) Cost Accounting Records (Aluminium) Rules were amended to extend the coverage to include the foil which was hitherto excluded

**2. Revised Cost Audit Report Rules, 2001 and the Institute's Guidance Notes**

Revised, updated and comprehensive Cost Audit Report Rules, 2001 were issued to increase the scope, coverage and to strengthen the system of reporting. The Annexures and the Proforma of the Cost Audit Report of the company for the product or activity are to be authenticated by the Company Secretary and at least one Director of the company. New provisions in the Cost Audit Report Rules would provide better analytical view on the business activities of the companies towards more scientific control.

The Institute published a comprehensive book containing Guidance Notes on Cost Audit under the revised Cost Audit Report Rules, 2001. The book contains all aspects of Cost Audit and provides useful guidance to industry and practicing Cost Accountants.

**3. Issue of New Cost Accounting Records Rules**

The following new Cost Accounting Record Rules were issued:

(a) Cost Accounting Records (Mining and

Metallurgy) Rules, 2001
(b) Cost Accounting Records (Electronic Products) Rules, 2001
(c) Cost Accounting Records (Electricity Industry) Rules, 2001

**4. New Emerging Areas**

(a) The Government has constituted a committee on Transfer Pricing on which our Institute is duly represented

(b) Cost Accounting Standards Board has been constituted headed by Shri Chandra Wadhwa which has already undertaken the work of drafting Cost Accounting Standard on 'Classification of Costs'.

(c) Constitution of Audit Committee : The role of Cost Auditor in the management of the affairs of the company has been well recognised and he has been included in the Audit Committee as a result of amendment in Section 292A of the Companies Act, 1956.

**5. Institute's Cost Audit Booklets**

The industries and practicing cost accountants were provided with the Institute's Guidelines for carrying out the Cost Audit in various industries. For this purpose, the Cost Audit Booklets published by the Institute were released during the year, relating to industries such as Soaps and Detergents, Footwear, Industrial Gases. The Booklet on Electronics Industry is under preparation. The Guidelines on Cement Industry are also being updated.

Continuous efforts are being made to ensure that the Cost Accountants are recognised in wider areas under different statutes.

**FINANCIAL INSTITUTIONS, INSURANCE AND SERVICE SECTORS COMMITTEE**

The Committee during its tenure gave due emphasis to enlarge the scope of the Management Accountants. Thrust areas as identified by the earlier committees, namely stock audit in banking and finance sectors, concurrent audit, bank profitability analysis, project finance, assessment and management of NPAs, improvement of capital adequacy ratio and reduction of transaction cos. etc., were continued with renewed effort. The channels of dialogue were kept open and continuous follow up actions were taken to achieve the best result. Chapters were encouraged to keep liaison with the sectors by organising regular seminars and workshops on area specific subjects involving local experts and managers in these fields. Special emphasis was laid on service sectors like health, electricity, education, tourism, municipality, etc. The committee is successful to generate awareness among members about the scope in the sectors.

Continuous endeavours were made to respond to the discriminatory appointment advertisements published in the national newspapers for recruitment of finance or accounts personnel. Very positive response was received from the industries and recruitment agencies. This also created awareness in the industries and the placement agencies. Director of Studies has taken initiatives to pursue this thing quite a long time.

The continuous efforts of the committee help the Institute to establish its pre-eminence in the sector and desired results have been achieved.

**CONTINUING EDUCATION PROGRAMME**

The Continuing Education Programme Committee of the Institute conducted a record number of 50 Management Development Programmes during the year 2001-2002. This comprises of In-house programmes exclusively for various organizations and also self-run (open) programmes on Residential as well as on Non-residential basis at different places in India and abroad.

The In-house programmes were organized exclusively for the executives of the following organizations.

(j) Oil and Natural Gas Corporation Ltd.
(ii) Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd.
(iii) Mahanagar Telephone Nigam Ltd.
(iv) Indian Oil Corporation Ltd.
(v) Gas Authority of India Ltd.
(vi) Maruti Udyog Ltd.
(vii) Oil Industry Development Board
(viii) Indian Navy
(ix) National Highways Authority of India
(x) DCM Ltd.
(xi) Bharat Sanchar Nigam Ltd.

The Training Programmes were conducted on the following areas :

(i) Activity Based Costing and Management
(ii) Cost Control and Cost Effectiveness
(iii) US GAAP and International Accounting Standards
(iv) Corporate Finance
(v) Emerging Trends in Financial Management
(vi) Corporate Taxation
(vii) Tax Deducted at Source
(viii) Financial Management for Non-Finance Executives
(ix) Re-engineering of Business Process for 'e' Commerce
(x) Costing for Engineers
(xi) Implication of WTO
(xii) Skill Development programme for the Finance Personnel
(xiii) Treasury Operations and Management
(xiv) Strategic Cost Management
(xv) Orientation Programme for the finance executives
(xvi) Materials Management
(xvii) Managerial Effectiveness
(xviii) Indirect Taxation and Service Tax
(xix) Accounting Standards

During the year, the Committee organized joint programmes with the following organizations/departments:

(1) Department of Public Enterprises,

Government of India (DPE)
(2) Confederation of Indian Industry (CII)
(3) Automotive Components Manufacturers Association (ACMA)
(4) Consumer Electronics and TV Manufacturers Association (CETMA)

The programme on 'Emerging Trends in Financial Management' has been organized on residential basis at Singapore, Malaysia and Bangkok, which was well received by the senior finance executives of many Public and Private Sector Undertakings.

The exclusive and intensive programme on 'US GAAP and International Accounting Standards' which has been organized on residential basis at Kathmandu, Nepal which was well attended by senior executives of Public and Private Sector Undertakings, Multinationals and Banks from Nepal and India.

The Committee is happy to inform that the new specialized programme developed by the Committee on 'US GAAP and International Accounting Standards' was well appreciated by the participants and organizations participated in the programme during this year and Kathmandu and Mumbai.

The faculties for the international programmes were drawn from the respective foreign countries apart from the Indian faculty.

The profile of the participants who have attended the programmes organized by the Committee involves senior and middle level executives of Public and Private Sector Undertakings, Banks, Insurance Companies, Government Departments and Multinationals.

The Committee is planning to organize many programmes during the forthcoming year on the New Emerging areas of Cost Management, Financial Management, Project Management, Taxation etc. for the benefit of the members of the Institute and also senior and middle level executives of Indian Corporate Sector and Government Departments. As organized in the past, the Committee is planning to organize three International programmes during the coming year.

The Committee is also planning to organize joint programmes with the Department of Public Sector Enterprises (DPE), Government of India and other Trade Associations and Bodies at Delhi and other places throughout India.

The Committee finally acknowledges with thanks the support given by various organizations during this year for the activities of the Committee. The Committee also acknowledges with thanks the Institute President, Vice-President, Council Members and employees for their continued support to the activities of the Committee.

**ACCOUNTS**

The Audited Accounts of the Institute for the year 2001-2002 with Audit Report thereon are annexed to this Report.

**APPRECIATION AND THANKS**

The Council appreciated the cooperation extended by the officers and staff as well as the members at large of the Institute for furthering the cause of the profession. The Council also placed on record its sincere thanks to the secretaries and officers of the Government Departments specially the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Industry, other Government Departments, various Public and Private Sector Organisations, Autonomous Bodies, Banks, Insurance Companies, Financial Institutions and Multinationals, for the cooperation and support extended to the Council during the year under report The council expects to receive similar help, cooperation and guidance continuously in the future.

By Order of the Council

Kolkata V. V. Deodhar
21st July,2002 President

**WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**

WIRC undertook the following activities during the year under report :

(1) Electronic Mail Discussion Groups for the benefit of the students of ICWAI all over the country and abroad have been presented by WIRC for students of each stage. The students' community from all regions and abroad are benefited from this facility.
(2) A meeting of the faculty of oral as well as postal coaching was held on 30.3.2002. A number of constructive suggestions were received by the faculty to improve the standard of WIRC coaching centres. Shri Ramesh M. Joshi, Hony. Secretary and Chairman of Students, Members and Chapter Coordination Committee, thanked the faculty members for giving valuable suggestions for improvement. He also explained the present requirements that are expected by WIRC from the faculty members for improving the services to the students. Shri V. V. Deodhar, President ICWAI and Shri S. R. Ray, Chairman WIRC, also addressed the faculty members on this occasion.
(3) WIRC has taken initiative to develop and run Computer Lab at WIRC premises. The Lab was inaugurated on 1.2.2002 by Shri S. R. Ray, Chairman, WIRC, along with Shri V.V. Deodhar, President ICWAI, Shri D.V. Joshi, Central Council Member, and Shri P. D. Phadke, past President, ICWAI. The Computer Lab has capacity to accommodate 20 students in a batch. The batches are for training are conducted between 8 a.m. to 8 p m. on six day a week basis. For the convenience of students, batch timings are adjusted/extended by mutual understanding. Some special holiday batches are also organised.
(4) WIRC has also developed an On-Line Objective Test for the students undergoing computer training for intermediate and Final. The facilities available to

chapters all over India and other Regional Councils conducting computer training for their students. WIRC has published study materials for compulsory computer training prescribed by the ICWAI for the students undertaking coaching for Intermediate and Final. The books were released by Shri Ravi Shankar Prasad, Union Minister of State for Coal and Mines, Government of India, on 11th January, 2002 on the occasion of 43rd National Convention of ICWAI at Kolkata.

(5) WIRC successfully completed Executive Development Training Programme exclusively designed for the Finance Officers of the Indian Oil Corporation Ltd.

(6) An orientation training programme for Finance and Accounts Officers of NTML was organised on behalf of the Continuing Education Programmes Directorate of ICWAI

**SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL**

*SIRC undertook the following activities during the year under report*

(1) Eighth Basavaraju Memorial Lecture was conducted at Bangalore on 4.6.2001. The Chairman, SIRC explained about the significance of this lecture and briefed the members about the programmes conducted in previous years. The Chief Guest, Shri Jayesh Chakravarthi, V P.– Strategic, consultingand head – India Business of Mind Tree Consultants Ltd. spoke on the topic of Executive Directions.

(2) SIRC jointly with the Hyderabad Chapter of Cost Accountants organised a one day seminar on US GAAP at Hotel Vice-Roy., Hyderabad on 22.9.2001. Introduction to US GAAP, US GAAP vs. Indian GAAP, experiences in implementing of US GAAP in manufacturing and software companies were the topics covered in the one day seminar. A good number of delegates took part in the seminar and there was a lively interaction between the delegates and the speakers.

(3) A two day seminar on "Kaizen Costing" was jointly organised by SIRC and Coimbatore Chapter on 21 and 22 December 2001 Shri S. Durairajan, Chief Operating Officer, Kaizen Institute, handled the technical sessions. The Seminar was well attended by corporates.

(4) Trivandrum Chapter of Cost Accountants organised a state level convention on the theme Strategies for Survival in the Present Competitive Scenario" on 2nd and 3rd February 2002. The convention was inaugurated by Shri Kunhali Kutty, Hon. Minister for Industries and Information Technology, Govt of Kerala, and the key note address was delivered by Shri John Mathai, IAS, Principal Secretary, Industries Department, Govt. of Kerala.

(5) SIRC held a Regional Seminar jointly with Trichy Chapter on "Emerging Trends in Cost Management" at Trichy on 8th and 9th March, 2002. Shri V Jayaraman, Insurance Ombudsman, inaugurated and Shri K R Shenoy, Chairman, Lakshmi Vilas Bank, delivered the keynote address.

(6) A two-day Convention on 'Cost Carnival – 2002' was organised on 15 and 16 March 2002. Ms Jayshree Venkatraman, Whole-Time Director, TAFE Access Ltd., Chennai, inaugurated the Convention.

(7) A seminar on "WTO – Pact & Impact" was inaugurated on 23rd March 2002 at Pondicherry by Shri M.H. Upadhyaya, Working President of TANFAC Industries Ltd.

(8) An In-house Training Programme for Accounts Personnel of BSNL, Chennai, was organised by SIRC in two batches on 30th April & 5th May, 2001 and 14th & 19th May, 2001 respectively.

(9) An In-house Training Programme was organised on "Finance for Non-finance Executives" for the Executives of Airports Authorities of India from 8th Oct. 2001 at their premises.

(10) Three-day In-house Training Programme on "Finance for Non-finance Executives" for the Executives of PSEG – PPM Operations Pvt. Ltd., Thirukkadaiyur, Tamilnadu, was organized between 16th and 18th January, 2002.

(11) The first phase of Training Programme on "Finance and Accounting Practices" for Accounts Officers of the Indian Oil Corporation Ltd. was organised between 29th Oct. and 24th Nov. 2001 The Programme was inaugurated by Shri S. R. Ananthanarayanan, Dy. General Manager (Fin.),IOCL, Chennai. The second phase of the programme was conducted between 16 January and 7 February 2002 and the programme was inaugurated by Shri Ganesh Kumar, Manager – Training, IOCL.

(12) An "Interface Meet" with the Captains of industries was organised on 25th August 2001 to highlight the Training Programme to be organised during the current period and for releasing "Events Calendar" brought out by SIRC at Chennai. The Meet was inaugurated by Shri S. Ravichandran, Director (Fin.), Pentasoft Technologies Ltd., Chennai.

(13) A Joint Professional Development Programme was organised by ICWAI, ICAI and ICSI on "ABCM and Corporate Governance" on 7th Oct. 2001 at Trichy.

(14) One-day Seminar on "Transfer Pricing" was organised on 14th July, 2001 at Chennai.

(15) One-day Seminar on "CENVAT & TNGST" was organised on 25th Aug. 2001 at Chennai

(16) One-day Seminar on "Corporate Taxation & TDS" was organised on 15 Sept. 2001at Chennai.

(17) One-day Seminar on "Oracle Financials" was organised by SIRC on 29 Sept 2001.

(18) One-day Seminar on "Accounting Standards & Statement of Auditing Practices" was organised on 10th Nov. 2001 at Chennai.

(19) One-day Seminar on "FEMA, Competition Policy & Executives Compensation" was organised on 27th Dec. 2001 at Chennai.

(20) SIRC of ICWAI in association with SSI Ltd. had organised an exclusive Computer Training Programme of 12 weeks for the benefit of our members and students.

(21) SIRC of ICWAI organised a discussion on "Union Budget – 2002" on 7th March 2002

**EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**

(1) All India Students' Conference was held on 11 Nov. 2001 at State Youth Centre, Kolkata. The theme of the Conference was "E-Business Era – Role of Management Accountants". Shri Manab Mukherjee, Minister-In-Charge of Information and Technology, Govt. of West Bengal, inaugurated the Conference.

(2) 43rd National Convention of Cost and Management Accountants was held from 11-13 January 2002 at Park Hotel, Kolkata. The theme of the Convention was "Sustaining Competitive Advantage – The Global Perspective". Shri Ravi Shankar Prasad, Union Minister of State for Coal and Mines, Govt. of India, Inaugurated the Convention.

(3) EIRC organised a programme on "Interview & Group Discussion – A Gateway to Job" on 13.4.2002 at EIRC premises. Shri Ajay Agarwal, Director, Rapid Learning Systems Pvt. Ltd., was the Speaker.

(4) (a) Asansol Chapter of Cost Accountants organised a meeting on 25.8.2001 on Direct Taxes and its Recent Amendments in the Finance Bill 2001. Shri P.K. Jain, Practising Cost Accountant, was the speaker.

(b) Independence Day was celebrated by the Chapter on 15.8.2001.

(c) 49th Oral Coaching Classes of the Chapter was inaugurated on 3.11.2001 by Prof. Bijit Mukherjee.

(d) Quarterly Meet was organised by the Chapter on 13.2.2002 Shri C M. Sadhu, Finance Manager, ECL, spoke on Vigilance awareness and Professional Ethics".

(e) The Chapter organised Annual Seminar on Budget 2002-2003 – Major Amendments and its Impact" on 10 3.2002 at CMDPIL Club, Asansol which was inaugurated by Shri Ashok Mehta, Chairman-cum-Managing Director, ECL.

(5) (a) Cuttack-Bhubaneswar Chapter organised a workshop on Business Communication on 22.9.2001. Major S K. Das, Chief of HRD, Reliance Telecom Ltd. spoke on the day.

(b) 27th Session of Oral Coaching was inaugurated by Shri P. K. Parida, General Manager (Fin.) of NALCO on 3.10.2001.

(c) A modular training for the Final students was organised during 9th to 23rd Oct. 2001.

(d) A talk on "Unlock your potential – sky is the limit" was organised on 14.10.2001 at Hotel May Fair Lagoon, Bhubaneswar. Shri Ajay Agarwal, Director, Rapid Learning Systems Pvt. Ltd , was the Speaker.

(e) A talk on Investment Management was organised in association with Strategic Capital Corporation Pvt. Ltd., Mumbai, on 20.11.2001 at Bhubaneswar.

(f) A Career Counselling Programme was organised by the Chapter on 21.12.2001 at Khallkote College Auditorium. A seminar on Role of Cost and Management Accountants was also organised on the day. Prof. M.D P. Rao, Principal of the College, inaugurated the programme

(g) Inaugural function of the Computer hands on training class for students was held on 16.1.2002 at NIIT CATS at Bhubaneswar.

(h) Seminar on "Attitude to Win" was held on 1 2. 2002 at Maharshi College of Natural Law Bhubaneswar. Mrs. Anita Acharya, former Dy Editor, The Times of India, inaugurated the seminar.

(i) Talk on "Personal Tax Planning – Valuation c Perquisites" was held on 20.2.2002 at Hotel Swas Plaza, Bhubaneswar. Prof. S. Sampat, Corporat Tax Consultant, was the speaker.

(6) Dhanbad-Sindri Chapter of Cost Accountant organised a Lecture Meet on 12 10 2001 at th Chapter premises.

(7) Ranchi Chapter of Cost Accountants organised a Annual Convention Interface 2002 at Ranchi o 10.3.2002. The programme was inaugurated by Shi A. K. Sinha, CGM, BSNL.

(8) Rourkela Chapter of Cost Accountants organised Members' Meet on 22.9.2001 in the chapte premises. Shri M.K.L. Chand, Sr. Manager (F&A) Rourkela Steel Plant, spoke on the occasion.

(9) Rourkela Chapter also organised a Members' Mee on 13.10.2001 in the chapter premises. Shri N.K Patra, Astt. Manager (F&A), Rourkela Steel Plant spoke on the occasion.

(10) The Chapter organised All Orissa Conference or Accounting Standards in collaboration with Rourkela Branch of ICAI. Shri Jual Oram, Unior Minister of Tribal Affairs, inaugurated the conference.

(11) Serampore Chapter of Cost Accountants organised a meet on Environment Audit – Role of Cos Accountants on 4.8.2001. Shri N.N. Chatterjee Environment Engineer and Consultant, was the main speaker.

The Chapter also organised a 5-month training programme from 22.2.2002 for entrepreneurs under the sponsorship of District Industry Centre, Hooghly and Hooghly Zilla Parishad.

**NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL**

The total number of students enrolled for different courses was 5,600 and the total number of members was 3,550 during 2001-2002.

Northern India Regional Council organised different professional activities during the year of which the following are important :

(1) A half day programme on Cost Accounting Standards was organised on 27.10.2001.

(2) Shri K.P.S. Gill was the keynote speaker on "Civil Society and Terrorism" organised at NIRC on 22.9.2001 which was attended by a large number of participants.

(3) Shri V. P. Kumar, a senior member, spoke on Implementing Corporate Governance on 17.11.2001 which was attended by a large number of participants.

(4) A programme on Transfer Pricing was organised on 23 11.2002. Prof. S. Sampat, Corporate Tax Consultant, was the speaker.

(5) A half day seminar on Success that Succeeds was organised on 22.12.2001. Dr V. K. Chopra, Management consultant, was the main speaker.

(6) A talk on Union Budget 2002-2003 was organised on 5.3.2002. Shri S.D. Kapila, Director General of Income Tax, and Dr D. P. Semwal, Director in CBDT, were the guest speakers.

(7) The first course on Cost Accounting Record Rules commenced on 2.3.2002 and concluded on 6.4.2002. The course was inaugurated by Shri J. K. Puri, former President of ICWAI. Shri I. P. Singh, Joint Director (Cost), DCA, was the gust of honour.

(8) A Face to Face Meeting with Shri V. V. Deodhar, President, was arranged on 22.1.2002. Shri M.K. Anand, Member, NIRC and S/shri D. C. Bajaj, K. L. Jaisingh and Chandra Wadhwa - CCMs – presented their views.

(9) A Motivational Talk was organised on 19.4.2002, where Shri P.S. Rathor, a senior member, spoke on the occasion.

(10) A Practitioners' Meet was organised on 13.10.2001. Apart from office bearers Dr. K. L. Jaisingh and Shri Chandra Wadhwa - CCMs – expressed their views.

(11) Computer Course for Intermediate and Final students was introduced on 1.3.2002

(12) A study circle meeting was held on 12.10.2001, the main subject of discussion being Cost Accounting Standards.

(13) 14th course of Skill Development was held on 15-16 9. 2001 and again repeated on 19-20. 1. 2002. Lt. Gen. (Retd.) H. K. Kapoor was the main speaker.

(14) 15-days Modular Training programme for students of Final course was organised on 16.9.2001. The course was inaugurated by Shri J. K. Puri, former President of ICWAI. The programme was concluded on 30.9 2001. The 2nd programme was commenced on 16.3 2002 and concluded on 1.4.2002.

(15) Programme of Group Discussion and Business Communication Skills for Intermediate course is being held on first Friday and Saturday every month.

(16) An Annual Get-together and Felicitation Function was held on 7.4.2002 at Ashok Hotel, New Delhi which was attended by a large number of members from NIRC, including some former Presidents and very senior members of the profession, along with their family members.

(17) A Career Counselling Programme was organised by the officials of the NIRC at various colleges of Delhi University and Schools of NCT Delhi. A Counsellor's Meet was organised on 15.5.2002 by the officials of the NIRC which was attended by various schools and colleges.

(18) Best Chapter Award was presented at the 43rd National Convention at Calcutta and the recipients were Lucknow, Chandigarh, Jaipur and Kota Chapters of Cost Accountants

(19) Kanpur Chapter of Cost Accountants organised one day seminar on 12.8.2001 on small scale industries inaugurated by Shri R. N. Trivedi, IAS, Director of Industries, UP.

(20) Half day seminar on Segment Reporting - AS 17 was held on 16.2.2002. Shri H. K. Garg, President, UP Stock Exchange, was the Chief Guest.

(21) Noida Chapter organised a programme on Union Budget 2002 on 9.3.2002 along with Chartered Accountants, Company Secretaries of India and Noida Management Association.

(22) A programme on Valuation of Perquisites and Accounting Standard 22 on Accounting for Taxes on Income was organised on 29.11.2001.

(23) Lucknow Chapter of Cost Accountants organised a P.D. programme on 29.7.2001 on Turnaround of a Sick Company. Dr A. Sahay, CMD of Scooters India Ltd. was the Chief Guest.

(24) The chapter organised a seminar on Challenges for the Profession – Impact of Recession on Global Economy on 14.4.2002.

(25) Chandigarh-Panchkula Chapter of Cost Accountants organised a study circle meeting on New Central Excise Rules on 12.7.2001, Companies Amendment Act, 2002 on 25.11.2002 and Accounting Standards on 23.12.2001.

(26) Seminar on Human Resource Development on 14.10.2001, Relevance of Cost Management on 6.1.2002 and Mode Budget 2002 on 23.2.2002 were also held.

(27) Jodhpur Chapter of Cost Accountants organised a four day course on Indirect Taxation from 24- 27.2.2002.

(28) The Chapter also organised a one day seminar on Companies Amendment Act 2000 and Service Tax on 30.9.2001 jointly with the local chapter of ICSI.

(29) Ghaziabad Chapter of Cost Accountants organised a talk on New Valuation Rule of Perquisites in Income Tax Act, UP Value Added Tax and Revival of Indian Economy on 14.10.2001 along with the local chapter of ICSI.

(30) A programme on Union Budget 2002 was organised on 3.3.2002 with local chapters of ICAI and ICSI.

(31) Jaipur Chapter of Cost Accountants organised a seminar on Cost Management in Global Economy on 9.9.2001.

(32) A meet on Value Added Tax and Service Tax was held on 18.11.2001 which was attended by a large number of practising and other members.

(33) A workshop and group discussion on Capital Management and Tax Planning was held on 12 10.2001.

(34) The Chapter organised a seminar on Effective Business Communication and Creative Thinking on 16.10.2001. Shri Jaisingh Kothari, Finance Director of Rajasthan Patrika, was the Chief Guest.

(35) A programme was organised by members of Tehri Uttranchal on 7.1.2002 at Tehri Hydro-Dev. Corpn. Ltd., Tehri Garhwal. A talk on Union Budget 2002 and Accounting Standard 17 – Segment Reporting was also held in April 2002.

**Standing Committees and other Committee of the Council of the Institute as approved by the council at its 205th meeting held on 22nd July,2001 for the period from 22nd July,2001 to 21st July,2002**

**1. Executive Committee (Quorum 3)**

(1) Shri V.V.Deodhar,President - Chairman
(2) Shri Kunal Banerjee - Member
Vice-President
(3) Shri S.Ramanathan - Member
(4) Shir D.C. Bajaj, Immediate - Member
Past President
(5) Shri Chandra Wadhwa - Member

**2. Disciplinary Committee (Quorum 2)**

(1) Shri V.V.Deodhar, President - Chairman
(2) Shri A. Ramaswamy, - Member
(3) Shri B. V.Ramana Murty - Member

**3. Examination Committee (Quorum 2)**

(1) Shri Kunal Banerjee, - Chairman
Vice-President
(2) Shri S. Ramanathan - Member
(3) Shri Chandra Wadhwa - Member
Government Nominee

**OTHER COMMITTEES**

**4. Training & Educational Facilities Committee (Quorum 3)**

(1) Shri H.R.Subramanya -Chairman
(2) Dr.Atul Aggarwal - Member
(3) Shri Pravakar Mohanty - Member
(4) Shri V.R. Kedia - Member
(5) Dr. K.L.Jai Singh - Member

**5. Research & Journal Committee (Quorum 3)**

(1) Shir D.V.Joshi -Chairman
(2) Shri B. V.Ramana Murty -Member
(3) Dr. Ashok Agarwal -Member

**6. Continuing Education Programme Committee (Quorum3)**

(1) Shri S. Ramanathan -Chairman
(2) Shri D.V.Joshi -Member
(3) Shir H.R. Subramanya -Member
(4) Dr. K.L.Jai Singh -Member

**7. Professional Development Committee (Quorum 3)**

(1) Dr. K.L.Jai Singh -Chairman
(2) Shri Pravakar Mohanty -Member
(3) Shri H.R. Subramanya -Member

**8. Members' Services & Members' Facilities Committee(Quorum 3)**

(1) Dr. Ashok Agarwal -Chairman
(2) Shri B.Majumder -Member
(3) Shri Pravakar Mohanty -Member
(4) Shri D.V.Joshi -Member

**9. Financial Institutions, Insurance and Services Sectors Committee (Quorum 2)**

(1) Shri Pravakar Mohanty -Chairman
(2) Shri V.R.Kedia -Member
(3) Dr. Ashok Agarwal -Member

**10. Regional Councils and Chapters Coordination Committee (Quorum 2)**

(1) Shri B.V.Ramana Murty -Chairman
(2) Shri Pravakar Mohanty -Member
(3) Dr. K.L.Jai Singh -Member

**11. Computer & Networking Committee (Quorum 3)**

(1) Shri D.C.Bajaj Chairman
(2) Shri S.Ramanathan -Member
(3) Shri B.Majumder -Member
(4) Shri H.R. Subramanya -Member

**12. Public Sec.Co-ordination Committee (Quorum 3)**

(1) Shri B.Majumder -Chairman
(2) Shri Chandra Wadhwa -Member
(3) Ms.Deepa Gupta -Member
(4) Dr.Ashok Agarwal -Member

**13. Navi Mumbai Research Centre Building Committee (Quorum 3)**

(1) Shri V.R.Kedia -Chairman
(2) Shri V.V.Deodhar, President -Member
(3) Shri S.Ramanathan -Member
(4) Shri D.V.Joshi -Member

*Gupta & Co.*
Chartered Accountants

53A, Mirza Ghalib Street
Kolkata – 700 016
*Cable:* Vidimus
Phone: 229-2638,229- 62411,229-0871/72
Fax: (91) (033) 229-1859
Email: guptaco55@hotmail.com

**Auditors' Report to the Members or the Institute of Cost and Works Accountants of India.**

1. We have audited the attached Balance Sheet of the **Institute of Cost and Works Accountants of India**( "the Institute") as at 31 March 2002 and also the Income and Expcl1diture Account for the year ended on that date. These financial statements arc the responsibility of the Institute's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. "We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. These accounts have been approved by the Council of the Institute but has not been signed by Secretary as the Institute did not have a Secretary on that date.

4. Attention is drawn to the following remarks and Notes on Schedule 19:

4.1 .The fixed assets of the Institute are not physically verified by the management. Accordingly the effects on accounts, if any, is not ascertainable.

4.2 Title deed for land and building of Pune Chapter valued at Rs. 29,73,589 capitalised during the year is pending execution. Further, title deeds of leasehold lands (Nagpur, Durgapur and Ukkunagram) were also not available for our examination. We are unable to comment on the appropriateness.of the amortisation policy in this regard.

4.3 Share script for Investment in Trust Fund of Rs.500/- was not available for our verification.

4.4 The stocks of publication and study material have not been physically verified by the management and the balances are as per book records. The paper stocks lying with third parties as at 31.03.2002 of Rs.4.49 lacs, out of which Rs.3.49 lacs have been conform based on confirmation or statements received from such parties. Further, these stocks are valued at cost as stated in Accounting policy No, 4 which is not in accordance with Accounting Standard 2 "Valuation of Inventories" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

4.5 In our opinion, no provision has been made for old publications amounting to Rs.5,95,992, paper stock amounting to Rs.6071 and study materials amounting to Rs.1,25.173.

4.6 As stated in Note 17 no provision has been made against the following year end balances which are being carried forward for more than three years:

| | |
|---|---|
| 8% Building Loan | Rs. 20,21 lakhs |
| 4% Building loan | Rs. 1.23 lakhs |
| Computer Loan | Rs. 7.27 lakhs |
| Accrued Interest on above Building Loans | Rs. 0 77 lakhs |
| Sundry Debtors (Programme) | Rs. 1.77 lakhs |
| Sundry Debtors (Journal) | Rs.0.19 lakhs |
| | Rs: 31.44 lakhs |

4.7 Bank balance includes Rs.5879 in inoperative accounts and Rs.4661 attached by the Delhi Municipal Corporation. (See Notes. 14,18 and 19). A sum of Rs. 3369/- ; representing interest of earlier year is lying in a postal savings account for which further .information or details were not available.

4.8 As stated in Note 5 Rs.21,32,138 in respect of Silver Jubilee Capital Grants (Advance) remain unadjusted for lack of documents.

4.9 As stated in Note 11 and on the basis of explanations received and information to the extent available, in our opinion, the amount of Rs.12.13.436 included under other advances may be doubtful of recovery and no provision has been made.

4.10 As stated in Note :2 Advance for fixed asset of Rs.5.63,352 is being carried forward and no development has taken place for last several years and no provision has been made.

4.11 As stated in Note 4 adjustment of Advances of Rs.1,18,79,050 for construction of Buildings is pending due to lack of information/documents. Penalties, if any, in this regard cannot be ascertained at this stage.

4.12 As stated in Note 3 Rs. 8510(Net) has been adjusted through General Fund to write off partial adjustments in bank reconciliation statements. Further, adjustments as may be required on reconciliation of bank accounts are not ascertainable at this stage. Non-specific deposits etc. of Rs.94,989 have also been adjusted through General Fund.

4.13 As stated in Note 9 there is a shortfall in the investment of Rs.22,550 in Employees Benevolent Fund.

4.14 As stated in Note 10 amounts received in respect of Prize fund for Rs.30,000, A VS Rao Memorial Endowment Lecture of Rs.10,001 and Students Welfare Fund of Rs.40,201 are included under other liabilities pending necessary investment.

4.15 As stated in Note 15 and Accounting policy 5 (c) annual subscription, tuition fees and leave encashment are accounted on cash basis. The accounting of leave encashment is contrary to Accounting Standard 15, "Accounting for Retirement benefits in the Financial Statement of the Employers" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

4.16 As stated in Note 2.1 Rs. 6.96 lakhs included under the head Conference and Meeting
International has been expensed without any concurrence from the Central Government.

4.17 No provision has been made for Rs.15,61,797 in respect of property tax for Institute's building at New Delhi.

4.18 In our opinion, the internal controls in respect of payment and recoveries of advances, transactions with Regional Councils and Chapters, reconciliation of annual subscription and tuition fees and reconciliation of various accounts and unlinked items require to be strengthened and formalized.

4.19 As stated in Note 22 verification slips have been issued to Regional councils and Chapters and there balances ate subject to reconciliation and consequent adjustments, if any, on receipt of such confirmation. Confirmation letters have not been sent to Sundry Debtors, Sundry Creditors including outstanding membership fee to foreign bodies and the balances are subject to reconciliation and necessary adjustments, if any.

4.20 The sales of suggested answer and scanners aggregating to Rs.20.98 lakhs through the Regional Councils are on the basis of their advice and Could not be verified by us.

4.21 As explained in Note 1 claims lodged by certain Council members and Regional Councils in respect of foreign travel by office bearers have not been accounted for on the basis of directions received from the Central Government.

4.22 The consequential effect of paragraphs 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14,4.15, 4.18, 4.19 and 4.20 above, on the deficit for the year and net assets could not be ascertained. Had the observations made in paragraphs 4.5, 4.6, 4.9,4.10,4. 1 6 and 4.17 above been considered the deficit for the year would have been higher by Rs.65.14 lakhs (net) and the net assets lower by that amount.

5. Subject to paragraphs 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12,4.18, 4.19 and 4.20 above, we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

6. Subject to paragraphs 4.4 and 4.15 above, in our opinion, proper accounts have been kept in conformity with the requirements of The Cost and Works Accountants Act, 1959 and The Cost and Works Accountants Regulations, 1959.

7. The Balance Sheet and Income and Expenditure account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying accounts together with notes thereon and the significant accounting policies give, subject to paragraphs 4.1 to 4.20 above, a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) In the case of the Balance Sheet of the state of affairs of the Institute as at 3 1 March, 2002; and

b) In the case of the Income and Expenditure account of the deficit for the year ended on that date.

For Gupta & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
S.K.Ganguli
Partner
Kolkata
21 July, 2002

## The Institute of Cost and Works Accountants of India

### BALANCE SHEET as at 31st March 2002

| Last year 2000-2001 (RS.) | | SCH. NO. | (RS.) | This year 2001-2002 (RS.) |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTE FUNDS :** | | | |
| 67,248,291 | General Fund | (1) | | 65,874,133 |
| 10,813,486 | Employees' Gratuity Fund | (2) | | 10,362,105 |
| 307,272 | Employees' Benevolent Fund | (3) | | 331,424 |
| 546,782 | Misc. Prize Fund | (4) | | 720,549 |
| 2,559,603 | Demand Loan (Note No.7) | | | 6,570,000 |
| **81,475,434** | **TOTAL** | | | **83,858,211** |
| | **REPRESENTED BY :** | | | |
| | Fixed Assets : | (5) | | |
| 40,932,921 | a) Gross Block | | 48,083,917 | |
| 20,769,714 | b) Less Depreciation | | 23,618,082 | |
| 20,163,207 | c) Net Block | | | 24,465,835 |
| 500 | **Investments** | (6) | | 500 |
| 47,251,908 | Current Assets | (7) | 48,367,461 | |
| 23,439,959 | Loans & Advances | (8) | 21,482,688 | |
| 70,691,867 | | | 69,850,149 | |
| 9,582,940 | Less : Current Liabilities & Provisions | (9) | 11,443,291 | |
| 61,108,927 | NET CURRENT ASSETS | | | 58,406,858 |
| 202,800 | Miscellaneous Expenditure | | | 985,018 |
| | (to the extent not written off) | | | |
| **81,475,434** | **TOTAL** | | | **83,858,211** |
| | Notes on Accounts | (19) | | |

**Schedules referred to above form part of the Accounts**

**As per our report attached.**
**For Gupta & Co.**
**Chartered Accountants**

**S.K.Ganguli**
**Partner**

**Kunal Banerjee**
**Vice President**

**V.V.Deodhar**
**President**

**Kolkata**
**Dated : 21st July,2002.**

**R. N.Pal.**
**Director (A&F)**

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT**
**for the year ended 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 (RS.) | PARTICULARS | SCH. NO. | This year 2001-2002 (RS.) |
|---|---|---|---|
| | **INCOME :** | | |
| 9,015,183 | Annual Subscription | (10) | 6,716,111 |
| 27,269,976 | Examination Fees | (11) | 23,632,829 |
| 20,832,376 | Tuition Fees | (12) | 23,416,551 |
| - | Computer Training - Net | | 137,180 |
| 2,074,098 | Interest | | 1,842,530 |
| 3,506,863 | Publication Income | | 3,683,372 |
| 656,735 | Journal Fee (Incl. Advt.) | | 499,042 |
| 3,601,762 | C. E. Programme Income | | 4,998,171 |
| 5,000 | Donation Received | | - |
| **66,961,993** | **Total :** | | **64,925,786** |
| | **EXPENDITURE :** | | |
| 32,198,312 | Establishment | (13) | 30,758,931 |
| 9,477,492 | Office Expenses | (14) | 8,568,573 |
| 366,845 | Advertisement | | 177,025 |
| 40,000 | Statutory Audit Fee | | 40,000 |
| 52,500 | Internal Audit Fee | | 52,000 |
| 2,119,650 | Travelling & Conveyance | | 1,799,178 |
| 9,228,723 | Examination Expenses | (15) | 8,339,637 |
| 2,686,225 | Council & Comm.Meeting Exp. | (16) | 3,848,769 |
| 25,766 | Perspective Planing Expenses | | - |
| - | Election Expenses | | 492,509 |
| 2,855,799 | Journal Expenses | | 2,683,147 |
| 4,195,412 | Contribution to Regional Councils | (17) | 4,175,992 |
| 92,800 | Contribution to Chapters (Grant) | | 99,320 |
| 1,562,740 | Membership Subscription To Foreign Bodies | | 1,670,215 |
| 947,782 | Conference & Meeting International | | 696,378 |
| 2,987,440 | C. E. Programme Expenses | | 3,841,156 |
| 825,636 | Professional Development Expenses | | 506,362 |
| 1,764,938 | Study Materials Consumed | | 2,011,757 |
| 979,057 | Publication Stock Consumed | | 850,943 |
| 2,281,657 | Depreciation | | 2,848,368 |
| 5,000 | Donation Refund | | - |
| **74,693,774** | **TOTAL** | | **73,460,260** |
| (7,731,781) | Surplus / (Deficit) for the year | | (8,534,474) |
| **66,961,993** | **TOTAL** | | **64,925,786** |
| | | | |
| (7,731,781) | Surplus / (Deficit) for the year B/F | | (8,534,474) |
| 1,398,323 | Contribution to Gratuity Fund Revert Back | | 155,195 |
| **(6,333,458)** | **TOTAL** | | **(8,379,279)** |
| 55,293 | Less : Prior Period Expenses | (18) | 256,928 |
| **(6,388,751)** | **Transferred to General Fund** | | **(8,636,207)** |
| | **Notes on Accounts** | (19) | |

**Schedules referred to above form part of the Accounts**

**As per our report attached.**
**For Gupta & Co.**
**Chartered Accountants**

| | | |
|---|---|---|
| **S.K.Ganguli** | **Kunal Banerjee** | **V.V.Deodhar** |
| **Partner** | **Vice President** | **President** |

**Kolkata** **R.N.Pal.**
**Dated : 21st July,2002** **Director(A & F)**

| SCHEDULE NO.1 : GENERAL FUND ( as on 31st March 2002) | | | |
|---|---|---|---|
| **Last year 2000-2001 (Rs.)** | **PARTICULARS** | **(Rs.)** | **This year 2001-2002 (Rs.)** |
| 69,611,112 | Balance as per last account | | 67,248,291 |
| 10,395 | Less : Refund during the year | | 26,474 |
| **69,600,717** | | | **67,221,817** |
| | **Add :** | | |
| 23,072 | i) Transfer from Non-specific Deposits etc. as per prevalent decision of Executive Committee | 94,989 | |
| 28,599 | ii) Cancellation of cheques issued in the previous year | 38,108 | |
| 23,982 | iii) Unlinked transactions in Bank Accounts | 80,081 | |
| | iv) Contribution by Chapters towards | | |
| 1,281,601 | Construction of Buildings : | | |
| | Pune Chapter | 2,673,589 | |
| | Hyderabad Chapter | 2,718,822 | |
| 46,593 | iv) Others | 20,304 | 5,625,893 |
| **71,004,564** | | | **72,847,710** |
| | **Less :** | | |
| 29,196 | i) Unlinked transactions in Bank Accounts | 71,571 | |
| - | ii) Adjustment of Advance | 474,590 | |
| 95,759 | iii) Damaged Study Notes Written Off | - | |
| - | ii) Others | 62,576 | 608,737 |
| **70,879,609** | | | **72,238,973** |
| | iv) Capital Grants to Regional Councils : | | |
| 76,664 | for Library | 75,000 | |
| 6,000 | for Furniture | 9,000 | 84,000 |
| **70,796,945** | | | **72,154,973** |
| 428,457 | Add : Entrance Fee (Member) | 368,887 | |
| 2,411,640 | Entrance Fee (Student) | 1,986,480 | 2,355,367 |
| **73,637,042** | | | **74,510,340** |
| | Add : Surplus/Deficit for the year : | | |
| (6,388,751) | Income & Expenditure Account (HQ) | | (8,636,207) |
| **67,248,291** | | | **65,874,133** |

| SCHEDULE NO. 2 : EMPLOYEES' GRATUITY FUND ( as on 31st March 2002) | | | |
|---|---|---|---|
| **Last year 2000-2001 (Rs.)** | **PARTICULARS** | **(Rs.)** | **This year 2001-2002 (Rs.)** |
| 13,464,404 | Balance as per last account | | 10,813,486 |
| - | Add : Contribution for the period | | - |
| 210,000 | Less : Amount transferred to Other Liabilities A/c | | - |
| **13,254,404** | | | **10,813,486** |
| 1,388,203 | Add : Interest earned on Investment of Fund for the period | | 1,477,121 |
| **14,642,607** | | | **12,290,607** |
| 2,430,798 | Less : Gratuity paid to Employees' during the period | | 1,773,307 |
| 1,398,323 | Amount Written Back to Income & Expenditure Account | | 155,195 |
| **10,813,486** | | | **10,362,105** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE NO. 3 : EMPLOYEES' BENEVOLENT FUND** | | | | | | |
| **as at 31st March 2001** | | | | | | |
| 287,370 | Balance as per last account | | | 307,272 | | |
| | Add : Contribution during the period | | | | | |
| 7,676 | | Employers' | 7,336 | | | |
| 3,844 | | Employees' | 3,668 | 11,004 | | |
| 29,275 | Add : Interest earned on Investment | | | 25,779 | | |
| | of Fund for the period | | | | | |
| **328,165** | | | | **344,055** | | |
| | Less : Paid to Employees during | | | | | |
| 20,893 | the period | | | 12,631 | | |
| **307,272** | | | | **331,424** | | |

**SCHEDULE NO. 4 : MISC. PRIZE FUND AS AT 31.03.2002**

| Name of the Prize Fund | Opening Balance (Rs.) | Addition ring the ye (Rs.) | Income credited (Rs.) | Total (Rs.) | Cost of Prizes (Rs.) | Closing Balance (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.D. Puri Prize Fund | 16,118.08 | - | 1,210.77 | 17,328.85 | | 17,328.85 |
| Wazir Debi Puri Prize Fund | 15,087.73 | - | 1,200.27 | 16,288.00 | | 16,288.00 |
| B. C. Chakraborty Prize Fund | 9,487.92 | - | 696.78 | 10,184.70 | | 10,184.70 |
| D. D. Kalra Prize Fund | 14,209.71 | - | 814.59 | 15,024.30 | | 15,024.30 |
| A. K. Biswas Prize Fund | 42,178.16 | - | 2,199.59 | 44,377.75 | | 44,377.75 |
| Bikramjit Mazumdar Prize Fund | 11,780.52 | - | 499.78 | 12,280.30 | | 12,280.30 |
| B. N Ganguly Prize Fund | 7,364.53 | - | 313.77 | 7,678.30 | | 7,678.30 |
| K. Ramachandran Prize Fund | 7,236.86 | - | 484.40 | 7,721.26 | 650 | 7,071.26 |
| Sm.Rajamma M.R.S. Iyengar Priz | 6,905.02 | - | 357.68 | 7,262.70 | 500 | 6,762.70 |
| D. Mary Sur Prize Fund | 14,218.36 | - | 633.14 | 14,851.50 | 1,000 | 13,851.50 |
| Maujiram Jain Prize Fund | 11,804.59 | - | 963.41 | 12,768.00 | 1,000 | 11,768.00 |
| Pune Chapter of Cost Accountants | 13,851.29 | - | 951.71 | 14,803.00 | 1,200 | 13,603.00 |
| Gangadas Mundhra Prize Fund | 13,948.13 | - | 1,229.87 | 15,178.00 | | 15,178.00 |
| V. Srinivasan Prize Fund | 14,974.13 | - | 1,229.87 | 16,204.00 | | 16,204.00 |
| V. K. Cansal & S. P. Cansal | 24,819.49 | - | 2,203.51 | 27,023.00 | | 27,023.00 |
| J. N. Bose Prize Fund | 14,808.79 | - | 870.21 | 15,679.00 | | 15,679.00 |
| Subhas Adhya Prize Fund | 5,409.97 | - | 428.59 | 5,838.56 | 500 | 5,338.56 |
| N. Sarkar Prize Fund | 15,382.60 | - | 702.96 | 16,085.56 | 1,000 | 15,085.56 |
| G. Indira Debi Prize Fund | 21,928.64 | - | 1,214.47 | 23,143.11 | | 23,143.11 |
| Pusparani De Prize Fund | 16,659.82 | - | 1,259.73 | 17,919.55 | | 17,919.55 |
| Srinivasan Jagannathan Prize Fun | 29,491.03 | - | 2,099.59 | 31,590.62 | | 31,590.62 |
| Sultan Chand Prize Fund | 42,725.48 | - | 341.52 | 43,067.00 | | 43,067.00 |
| K. K. Dutta Prize Fund | 19,737.46 | - | 179.37 | 19,916.83 | | 19,916.83 |
| Kedarnath Prahaldrai Dhanuka Pri | 25,978.29 | - | 224.71 | 26,203.00 | | 26,203.00 |
| Dhanapati Goel Prize Fund | 28,071.35 | - | 2,099.56 | 30,170.91 | | 30,170.91 |
| Kanshi Ram Prabhakar Prize Fund | 29,048.50 | - | 2,100.41 | 31,148.91 | | 31,148.91 |
| Mandakini Vasant Limaye Prize Fu | 4,354.62 | - | 499.88 | 4,854.50 | 500 | 4,354.50 |
| Colonel Ambuja Nath Bose Prize F | 39,978.90 | - | 2,905.10 | 42,884.00 | | 42,884.00 |
| M. Krishna Murthy Prize Fund | 10,126.30 | - | 968.70 | 11,095.00 | 1,000 | 10,095.00 |
| Laxmi Rani Prize Fund | 6,709.78 | - | 569.22 | 7,279.00 | | 7,279.00 |
| Kamala Mukherjee Prize Fund | 12,385.52 | - | 1,052.48 | 13,438.00 | | 13,438.00 |
| P.Ganguly Memorial Prize Fund | - | 100,000 | 1,243.00 | 101,243.00 | | 101,243.00 |
| Principal Smt.V.J.Talati Prize Fun | - | 25,000 | 1,316.00 | 26,316.00 | | 26,316.00 |
| Annapurna & Rebati R Bhattacharj | - | 20,000 | 1,053.00 | 21,053.00 | | 21,053.00 |
| **TOTAL :-** | **546,781.57** | **145,000** | **36,117.64** | **727,899.21** | **7,350** | **720,549.21** |

SCHEDULE NO. 5 : FIXED ASSETS AS AT 31ST MARCH 2002

| Description of Assets | Gross Block | | | Depreciation | | | Net Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening Cost 01.4.2001 | Addition during the year | Total as on 31.3.2002 | Upto 1.4.2001 | For the year | Upto 31.3.2002 | This year 2001-2002 | Last year 2000-2001 |
| **FREEHOLD LAND & BUILDING** | | | | | | | | |
| Headquarter | 2847998 | 0 | 2847998 | 1024291 | 168371 | 1192662 | 1655336 | 1823707 |
| Regional Councils & Chapters | 23711019 | 5992411 | 29703430 | 10293802 | 1665261 | 11959063 | 17744367 | 13417217 |
| **LEASEHOLD LAND :** | | | | | | | | |
| Regional Councils & Chapters | 367175 | 0 | 367175 | | | 0 | 367175 | 367175 |
| (Durgapur,Nagpur & Ukkunagram) | | | | | | | | |
| **FURNITURE & FITTINGS :** | | | | | | | | |
| Headquarter | 2662136 | 0 | 2662136 | 1766400 | 89574 | 1855974 | 806162 | 895736 |
| **LIBRARY BOOKS :** | | | | | | | | |
| Headquarter | 752988 | 34369 | 787357 | 352566 | 43479 | 396045 | 391312 | 400422 |
| **OFFICE EQUIPMENTS :** | | | | | | | | |
| Headquarter | 3199546 | | 3199546 | 1881037 | 131851 | 2012888 | 1186658 | 1318509 |
| **GENERATORS :** | | | | | | | | |
| Headquarter | 280545 | 0 | 280545 | 265346 | 3800 | 269146 | 11399 | 15199 |
| **LIFT :** | | | | | | | | |
| Headquarter (EIRC Premises) | 416062 | 0 | 416062 | 182027 | 58509 | 240536 | 175526 | 234035 |
| **MOTOR CAR :** | | | | | | | | |
| Headquarter | 738878 | 0 | 738878 | 412228 | 65330 | 477558 | 261320 | 326650 |
| **COMPUTER :** | | | | | | | | |
| Headquarter | 5956574 | 1124216 | 7080790 | 4592017 | 622193 | 5214210 | 1866580 | 1364557 |
| | **40932921** | **7160996** | **48083917** | **20769714** | **2848368** | **23618082** | **24466836** | **20163207** |

## SCHEDULE NO.6 : INVESTMENTS (AT COST) AS AT 31ST MARCH 2002

| Last year 2000-2001 (Rs.) | PARTICULARS | This year 2001-2002 |
|---|---|---|
| | **SHARES (GENERAL FUND) :** | |
| 500 | 5 Shares of Rs.100/- each in | 500 |
| | Jai Brindaban Premises Trust | |
| | Fund, Bombay | |
| **500** | **TOTAL :** | **500** |

**SCHEDULE NO.7 : CURRENT ASSETS**
**as at 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 Rs. | PARTICULARS | Rs. | This year 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|---|
| 3,001,304 | Publication Stock (at Cost) | | 3,047,390 |
| 832,126 | Paper Stock (at Cost) | | 449,349 |
| 2,827,994 | Study Material Stock (at Cost) | | 2,928,800 |
| 175 | Stock Silk Ties | | 8,820 |
| 1,093,169 | Interest Accrued on Investments in | | 990,139 |
| | Fixed Deposits | | |
| 821,696 | Accrued Interest on Loan to Chapters | | 922,789 |
| | for construction of Building etc. & RC | | |
| 6,901,888 | Sundry Debtors | | 6,938,881 |
| | **Cash and Bank Balances :** | | |
| 92,087 | In hand (including Cash and | 78,714 | |
| | Postage Stamps) | | |
| 264,282 | At Post Office | 265,097 | |
| | **Balances with Scheduled Banks :** | | |
| 876,788 | On Current Account | 1,607,643 | |
| 51,070 | On Savings Account | 494,910 | |
| | **Fixed Deposits :** | | |
| 14,144,645 | Employees' Gratuity Fund | 14,144,645 | |
| 15,700,000 | Institute's Fund (Note No.7) | 15,700,000 | |
| 263,007 | Employees' Benevolent Fund | 263,007 | |
| 381,677 | Misc. Prize Fund | 527,277 | 33,081,293 |
| **47,251,908** | | | **48,367,461** |

**SCHEDULE NO.8 : LOANS AND ADVANCES**
**as at 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 Rs. | PARTICULARS | Rs. | This year 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|---|
| | Building Loan to Chapters : (A) | | |
| 2,520,768 | 8% Building Loan | 2,295,969 | |
| 139,219 | 4% Building Loan | 122,870 | 2,418,839 |
| 730,723 | Computer Loan to Chapters (B) | | 726,723 |
| 12,379,050 | Advance to Regional Councils & (C) | | 11,879,050 |
| | Chapters for construction of Buildings | | |
| 48,025 | Loan to Regional Council (N.I.R.C.) | | - |
| 2,132,138 | Silver Jubilee Cap.Grants(Adv.)to Chaters (D) | | 2,132,138 |
| 2,093,396 | Building Advance to Employees | | 1,888,885 |
| 43,831 | Vehicle Purchase Advance to Employees | | 28,027 |
| 1,978,296 | Other Advances | | 1,231,269 |
| 351,394 | Festival Advance to Employees | | 210,874 |
| 563,352 | Advance for Fixed Assets | | 563,352 |
| 107,125 | Advance for Paper | | - |
| 2,370 | Salary Advance to Employees for Provident | | 2,370 |
| | Fund Contribution | | |
| 9,935 | Flood Relief Advance | | 255 |
| 117,643 | Prepaid Expenses | | 156,982 |
| 222,694 | Deposits | | 243,924 |
| **23,439,959** | | | **21,482,688** |

**SCHEDULE NO. 8(A) : BUILDING LOAN TO CHAPTERS**
**as at 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 | | | This year 2001-2002 | |
|---|---|---|---|---|
| 4% Loan | 8% Loan | | 4% Loan | 8% Loan |
| Rs. | Rs. | Name of the Chapter | Rs. | Rs. |
| 16552 | | Kalyan-Ambarnath | 16552 | |
| 32667 | | Goa | 16318 | |
| | 47796 | Surat South Gujarat | | 47796 |
| | 100000 | Kolhapur-Sangli | | 100000 |
| | 200000 | Coimbatore | | 200000 |
| | 59933 | Visakhapatnam | | 59532 |
| | 44188 | Ukkunagaram | | 0 |
| | 160000 | Ranipet Vellore | | 160000 |
| | 57750 | Mysore | | 25000 |
| | 134204 | Thrissur | | 0 |
| 90000 | | Howrah | 90000 | |
| | 150000 | Bokaro Steel City | | 150000 |
| | 200000 | Durgapur | | 200000 |
| | 200000 | Asansol | | 200000 |
| | 200000 | Dhanbad - Sindri | | 200000 |
| | 191897 | Serampore | | 191897 |
| | 200000 | Cuttack-Bhubaneswar | | 186744 |
| | 135000 | Jaipur | | 135000 |
| | 200000 | Udaipur | | 200000 |
| | 100000 | Kanpur | | 100000 |
| | 140000 | Kota | | 140000 |
| **139219** | **2520768** | | **122870** | **2295969** |

| Realisation of Building Loan durin the year 2001-2002 (4% & 8%) | Amount Rs. |
|---|---|
| Goa | 16349 |
| Visakhapatnam | 401 |
| Ukkunagaram | 44188 |
| Mysore | 32750 |
| Thrissur | 134204 |
| Cuttack-Bhubaneswar | 13256 |
| **TOTAL :** | **241148** |

**SCHEDULE NO. 8(B) : COMPUTER LOAN TO CHAPTERS**
**as at 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 Rs | Name of the Chapter | This year 2001-2002 Rs |
|---|---|---|
| 64,150 | Goa | 64,150 |
| 62,150 | Ahmedabad | 62,150 |
| 62,368 | Visakhapatnam | 62,368 |
| 58,889 | Cochin | 56,889 |
| 52,727 | Neyveli | 52,727 |
| 52,885 | Trivandrum | 50,885 |
| 64,150 | Howrah | 64,150 |
| 64,150 | Durgapur | 64,150 |
| 64,150 | Asansol | 64,150 |
| 62,150 | Cuttack-Bhubaneswar | 62,150 |
| 58,804 | Jaipur | 58,804 |
| 64,150 | Udaipur | 64,150 |
| **730,723** | | **726,723** |

| Realisation of Computer Loan during 2001-2002 | Amount Rs. |
|---|---|
| Cochin | 2,000 |
| Trivandrum | 2,000 |
| **Total :** | **4,000** |

**SCHEDULE NO. 8(C) : ADVANCE TO REGIONAL COUNCILS & CHAPTERS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS AS ON 31ST MARCH,2002**

| Last year 2000-2001 Rs. | Name of the Chapter | This year 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|
| 3,892,000 | N.I.R.C | 3,892,000 |
| 2,700,000 | W.I.R C | 2,700,000 |
| 300,000 | Bhilai | 300,000 |
| 300,000 | Cochin | 300,000 |
| 200,000 | Pune | - |
| 300,000 | Udaipur | 300,000 |
| 300,000 | Udaipur | 300,000 |
| 300,000 | Visakhapatnam | 300,000 |
| 200,000 | Nasik-Ojhar | 200,000 |
| 300,000 | Cuttack-Bhubaneswar | 300,000 |
| 300,000 | Bangalore | 300,000 |
| 150,000 | Jaipur | 150,000 |
| 300,000 | Durgapur | 300,000 |
| 300,000 | Bokaro | 300,000 |
| 200,000 | Kolhapur-Sangli | 200,000 |
| 300,000 | Asansol | 300,000 |
| 200,000 | Kanpur | 200,000 |
| 300,000 | Hyderbad | - |
| 300,000 | Dhanbad | 300,000 |
| 300,000 | Mysore | 300,000 |
| 300,000 | Serampore | 300,000 |
| 300,000 | Thrissur | 300,000 |
| 127,050 | South Surat Gujrat | 127,050 |
| 210,000 | Kota | 210,000 |
| **12,379,050** | | **11,879,050** |

**SCHEDULE NO. 8(D) : SILVER JUBILEE CAPITAL GRANTS(ADVANCE) TO CHAPTERS as at 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 Rs. | Name of the Chapter | This year 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|
| 100,000 | Kanpur | 100,000 |
| 100,000 | Bangalore | 100,000 |
| 100,000 | Pune | - |
| 100,000 | Durgapur | 100,000 |
| 32,138 | Jaipur | 32,138 |
| 100,000 | Ahmedabad | 100,000 |
| 100,000 | Howrah | 100,000 |
| 100,000 | Jamshedpur | 100,000 |
| 100,000 | Naihati Ichapur | 100,000 |
| 100,000 | Faridabad | 100,000 |
| 100,000 | Chandigarh | 100,000 |
| 100,000 | Cuttack-Bhubaneswar | 100,000 |
| 100,000 | Bokaro | 100,000 |
| 100,000 | Cochin | 100,000 |
| 100,000 | Kalyan-Ambarnath | 100,000 |
| 100,000 | Baroda | 100,000 |
| 100,000 | Bhopal | 100,000 |
| 100,000 | Trivandrum | 100,000 |
| 100,000 | Nagpur | 100,000 |
| 100,000 | Goa | 100,000 |
| 100,000 | Lucknow | 100,000 |
| - | Nashik Ojher | 100,000 |
| 100,000 | Mysore | 100,000 |
| **2,132,138** | | **2,132,138** |

बाहर निकालने अथवा अगर पोत को उतराई जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो नीचे (viii) में उल्लिखित दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(viii) ऊपर उल्लिखित निर्धारित घंटों के बाद बर्थ किराया प्रभार के अतिरिक्त निम्नानुसार दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार लगाया जाएगा :

| क्र.सं. | विवरण | प्रति जीआरटी दर | |
|---|---|---|---|
| | | विदेशगामी पोत (अमरीकी डॉलर) | तटीय पोत (रुपए) |
| 1. | 6 घंटे तक | 0.06 | 2.04 |
| 2. | 6 घंटे से अधिक परंतु 12 घंटे तक | 0.18 | 6.12 |
| 3. | 12 घंटे से अधिक परंतु 18 घंटे तक | 0.36 | 12.24 |
| 4. | 18 घंटे से अधिक प्रति दिन अथवा उसके भाग के लिए | 0.48 | 16.32 |

(ix) ऊपर उल्लिखित दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार नहीं लगाया जाएगा, अगर पोत के निष्क्रिय रहने का कारण पत्तन अथवा प्रचालन को बंद करने वाली प्रतिकूल ज्वारीय दशा अथवा खराब मौसम और वर्षा हो ।

(x) अगर बर्थ तत्काल अपेक्षित नहीं हो तो पत्तन अपने विवेकाधिकार पर किसी पोत को कार्गो प्रचालन पूरा करने के बाद पोत द्वारा यथाघोषित ऐसे समय तक बर्थ किराया लगाए बिना बर्थ पर रहने की अनुमति दे सकता है । इस मामले में सामान्य बर्थ किराया प्रभार लगाया जाएगा ।

(4) (क) एक समय सीमा होगी, जिसके बाद बर्थ किराया लागू नहीं होगा, बर्थ किराया पोत के रवाना होने की तैयारी का संकेत देने के समय से 4 घंटे बाद बंद हो जाएगा ।

(ख) गलत संकेत के लिए एक दिन के बर्थ किराया प्रभार के बराबर 'दंडात्मक बर्थ किराया' होगा ।

(ग) पोत का मास्टर/एजेंट केवल अनुकूल ज्वारीय और मौसम की दशाओं के अनुसार ही रवानगी के लिए तैयार रहने का संकेत देगा ।

(घ) बर्थ किराया समाप्ति के लिए निर्धारित 4 घंटे की समय–सीमा में अनुकूल ज्वारीय दशा की कमी के लिए जहाज की प्रतीक्षा अवधि शामिल नहीं होगी ।

(5) बर्थ किराया लगाने के लिए 8 घंटे की अवधि पोत के बर्थ/जेट्टी/लंगरगाह बर्थ में रूके रहने के समय से मानी जाएगी । बर्थ किराया प्रभार मिश्रित प्रभार है, जिसमें रविवार और अवकाश के दिनों सहित सामान्य पाली घंटे से अधिक का कार्य शामिल है ।

(6) प्राथमिकता पर बर्थ में लाने के लिए, एक दिन के लिए बर्थ किराया प्रभार के समतुल्य अथवा रूकने की अवधि के लिए बर्थ किराया प्रभार का 75%, इनमें से जो भी अधिक हो, फीस अतिरिक्त लगाई जाएगी।

(7) बेदखल होने की प्राथमिकता के लिए, रूकने की वास्तविक अवधि के लिए सामान्य बर्थ किराया प्रभारों के 100% के समतुल्य फीस अतिरिक्त लगाई जाएगी ।

(8) प्राथमिकता/बेदखली की प्राथमिकता की मांग के साथ अग्रिम तौर पर प्राथमिकता/बेदखली की प्राथमिकता प्रदान करने की फीस वापस कर दी जाएगी, अगर बर्थिंग की अनुमति पोत के आगमन की बारी के सामान्य क्रम में दी जाती है ।

(9) उस अवधि, जिसमें पोत की स्थिति परिवर्तित होती है, के लिए बर्थ किराया संगत 8 घंटे के प्रारंभ पर पोत की स्थिति के आधार पर प्रभार्य होगा ।

# अध्याय – III

## कंटेनरों और कंटेनरबंद कार्गो को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभार

3.1. सामान्य शर्तें एवं निबंधन

(i) लंबाई में 20 फुट तक और उससे कम वाले कंटेनरों को प्रशुल्क के प्रयोजनार्थ एक टीईयू के रूप में माना जाएगा।

(ii) लंबाई में 20 फुट से अधिक और 40 फुट तक वाले कंटेनरों के लिए सभी प्रभार खण्ड 3.3.1 में निर्धारित लागू प्रभारों का 150 प्रतिशत होंगे ।

(iii) 40 फुट से अधिक और 45 फुट तक लंबाई वाले कंटेनर के लिए प्रहस्तन प्रभार खण्ड 3.3.1 में निर्धारित लागू प्रभारों का 200 प्रतिशत होगा ।

(iv) प्रहस्तन के लिए विशेष उपकरण अथवा स्लिंग की अपेक्षा करने वाले मानक आकार से अतिरिक्त वाले कंटेनरों पर प्रभार खण्ड 3.3.1 के अधीन लागू प्रभारों का दुगुना प्रभार्य होगा । ऐसे कंटेनरों में क्षतिग्रस्त कंटेनर और विशेष उपकरण की अपेक्षा करने वाले अन्य कोई किस्म के कंटेनर शामिल होंगे ।

3.3.1. कंटेनरों के प्रहस्तन और आवागमन के लिए प्रभार :

कंटेनर के प्रहस्तन और आवागमन के लिए शिपिंग लाइन्स और पोतों के एजेंट अथवा कार्गो एजेंटों द्वारा पत्तन से होकर गुजरने वाले कंटेनरों और कंटेनरबंद कार्गो के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए निम्नलिखि समेकित प्रभार देय होंगे ।

क. सामान्य कंटेनर :

| क्र.सं. | विवरण | प्रति टीईयू दर (रुपए) | |
|---|---|---|---|
| | | लदा हुआ | खाली |
| 1. | जहाज से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः | 2600.00 | 2100.00 |
| 2. | कंटेनर यार्ड से कंटेनर माल स्टेशन तक अथवा विलोमतः | 925.00 | 925.00 |
| 3. | कंटेनर यार्ड से रेलवे फ्लैट तक अथवा विलोमतः (केवल आईसीडीं कंटेनर रेल) | 1300.00 | 1300.00 |
| 4. | कंटेनर यार्ड से ट्रक तक अथवा विलोमतः (सीधी सुपुर्दगी और निर्यात अन्तर्ग्रहण) | 400.00 | 400.00 |

ख. रीफर कंटेनर :

| क्र.सं. | विवरण | प्रति टीईयू दर (रुपए) | |
|---|---|---|---|
| | | लदा हुआ | खाली |
| 1. | जहाज से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः | 2600.00 | 2100.00 |
| 2. | कंटेनर यार्ड से कंटेनर माल स्टेशन तक अथवा विलोमतः | 925.00 | 925.00 |
| 3. | कंटेनर यार्ड से रेलवे फ्लैट तक अथवा विलोमतः (केवल आईसीडी कंटेनर रेल) | 1300.00 | 1300.00 |
| 4. | कंटेनर यार्ड से ट्रक तक अथवा विलोमतः (सीधी सुपुर्दगी और निर्यात अन्तर्ग्रहण) | 400.00 | 400.00 |

**SCHEDULE NO.14 : EXPENDITURE**
**OFFICE EXPENSES**
**for the year ended 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 Rs. | PARTICULARS | This year 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|
| 39,462 | Royalty | - |
| 1,594,454 | Printing & Stationery | 1,702,187 |
| 3,306,488 | Postage,Telegrams,Telephones & Fax | 2,346,558 |
| 780,313 | Electricity Charges | 734,065 |
| 13,610 | Generator Expenses | 15,961 |
| 67,912 | Rates & Taxes | 58,303 |
| 55,821 | Insurance | 52,580 |
| 484,200 | Repair & Maintenance | 559,056 |
| 701,546 | Car Expenses | 580,670 |
| 7,480 | Int.on Caution Money Deposit | 7,310 |
| 317,789 | Study Material Distribution Expenses | 316,515 |
| 145,664 | Books & Periodicals | 135,286 |
| 794,508 | Legal Charges | 132,375 |
| - | Interest on Demand Loan | 629,536 |
| 71,072 | Bank Charges | 51,367 |
| 404,684 | Computer Expenses | 426,653 |
| 83,442 | Public Relation Expenses | 31,710 |
| 45,851 | Watch & Ward Expenses | 39,688 |
| 235,705 | Staff Wellfare | 260,216 |
| 41,100 | Delegate Fee | 3,600 |
| 7,460 | Gazette Notification | 296,100 |
| 278,931 | Sundry Expenses | 188,837 |
| **9,477,492** | | **8,568,573** |

**SCHEDULE NO.15 : EXAMINATION EXPENSES**
**for the year ended 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 Rs. | PARTICULARS | This year 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|
| 9,117,075 | Examination Charges | 8,247,084 |
| 111,648 | Prize & Prize Distribution Expenses | 92,553 |
| **9,228,723** | | **8,339,637** |

**SCHEDULE NO.16 : COUNCIL & COMMITTEE MEETING EXPENSES**
**for the year ended 31st March 2002**

| Last year 2000-2001 Rs. | PARTICULARS | This year 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|
| 1,528,600 | Council & Committee Meeting Expenses | 2,782,928 |
| 1,157,625 | Travelling Allowance to Council Members | 1,065,841 |
| **2,686,225** | | **3,848,769** |

**SCHEDULE NO.17 : REVENUE GRANTS TO REGIONAL COUNCILS INCLUDING REIMBURSEMENT OF REVENUE EXPENSES for the year ended 31st March 2002**

**A) *Amount reimbursed to the Regional Councils during the year on following* accounts and merged with Income & Expenditure Account :**

| Last year 2000-2001 Rs. | PARTICULARS | E.I.R.C. Rs. | S.I.R.C. Rs. | W.I.R.C. Rs. | N.I.R.C. Rs. | This year 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,202 | Postage & Telegrams charges for decentralisation | - | - | - | - | - |
| 17,885 | Repair & Maintenance | - | 33,528 | 6,000 | 36,169 | 75,697 |
| 33,528 | Rates & Taxes | - | - | - | - | - |
| **54,615** | **Total (A) : (As per note given bel** | **-** | **33,528** | **6,000** | **36,169** | **75,697** |
| 300,000 | T.A. Grants | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 225,000 |
| 240,000 | Running Expenses Grant | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 240,000 |
| 3,655,412 | Revenue Grants | 438,283 | 1,737,450 | 521,910 | 1,013,349 | 3,710,992 |
| **4,195,412** | **Total (B) :** | **498,283** | **1,872,450** | **656,910** | **1,148,349** | **4,175,992** |
| **4,250,027** | **Total (A) + (B) :** | **498,283** | **1,905,978** | **662,910** | **1,184,518** | **4,251,689** |

**Note :**
**Included under the respective heads in Schedule : 14**

**SCHEDULE NO. 18 : PRIOR PERIOD EXPENSES FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2002**

| LAST YEAR 2000-2001 Rs. | PARTICULARS | HIS YEAR 2001-2002 Rs. |
|---|---|---|
| 33,528 | Rates & Taxes | |
| 21,765 | Establishment | |
| - | SIRC Claim | 41,613 |
| - | Gazette Notification | 189,000 |
| - | Examination Expenses | 26,315 |
| **55,293** | **TOTAL :** | **256,928** |

**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS**
**FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002**
**SCHEDULE NO. 19**

**A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY**

1. **Fixed Assets:**
   a) Fixed Assets are stated in the accounts at cost less depreciation provided at diminishing value method irrespective or the date of purchase at the rate prescribed under the Income Tax Rules from time to time.
   b) No write off is made in respect of leasehold land.
   c) Assets under creation are shown as capital work in progress.
2. **Income and Expenditure Recognition :**
   a) Incomes are normally treated in the accounts on cash basis except Interest Income and transactions with the Regional Councils and Chapters in respect of sale of various publications of the Institute.
   b) Expenditures other than Annual Grants to Chapters and Leave Encashment to Employees are considered on mercantile basis. Election related expenses are charged off in the accounts over three years.
3. **Investments:**
   Investments are stated at cost.
4. **Inventories :**

Inventories are comprised of various publications, papers and study materials, which have been valued at Cost of Purchase plus other related incidental charges. However, un-consumable publications and study materials are not included in stock value.

5. **Employees' Retirement Benefits:**
   a) Gratuities are provided in the Accounts on the basis of actuarial valuation in accordance with the Payment of Gratuity Act, 1972.
   b) Provident Funds are paid to the Trustees as per the' Institute's Rules in this regard and Institute's contribution are charged against revenue each year
   c) Leave Encashment benefit on retirement is accounted for on cash basis.
6. **Foreign Currency Transactions:**

Foreign currency transactions are accounted for in the accounts on Collection/Payment in rupee. i.e. when it is received and incurred in rupee value.

7. **Prior Period Income/Expenditure**

Prior period specific revenue portion is shown below the line of the Income and Expenditure Accounts and the other adjustments for prior period are done to and from General Fund.

**B. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS:**

1. Claims lodged by two Central Council Members on account of their participation in the International Conference and Seminar amounting to Rs.2,91,430/- and claims lodged by WIRC and SIRC for Rs.1,*36,097/- and Rs.1,53287 respectively* being the amount spend by them in this connection, have not been accounted for as per Govt. Directives issued vide their letter reference no. 2/1/97/IGC(Vol. II) dt.19th March,2002 and communicated by the Adviser/Secretary vide note reference no.G/5/3/2002 dt.20th March.2002 (Previous year - nil).

2.: Outstanding capital commitment have been estimated at Rs.8,45,028/- (Previous year . - Rs.8,45,028/-) after setting off the advance of Rs.5,63,352/-.

3. An amount of Rs. 8,510/- (comprising credit of Rs.80,081/- and debit or Rs.71,571/-) has been adjusted in General Fund to write off partial outstanding in Bank Reconciliation Statements or various bank accounts of the Institute. Further adjustments. as may be necessary. will made from time to time.

4. Land and Building of two chapters viz. Pune and Hyderabad has been capitalized during the year at a gross value of Rs.59,92,411/- (Previous year - Rs.17,81,601/- in respect of Ranipet- Vellore & Baroda) which include contribution by the Chapters for Rs.26.73,589/- & Rs.27.18,822/- respectively. Depreciation has been provided w.e.f. the year of capitalization. Unadjusted balance in Advance to Regional Councils and Chapters for construction of buildings is Rs.1, 18,79,050/- for want of relevant documents.

5. An amount of Rs.1 ,00,000/- (Previous year - nil) has been released to Nasik-Ojhar Chapter on account of Silver Jubilee Capital Grants (Advance) during the year. However, advance given to Pune Chapter has been adjusted during the year, leaving an unadjusted balance amounting to Rs.21,32,138/-, which could not be adjusted for want of relevant documents.

6. Exemption in respect of Income Tax has been granted u/s 10(231A) read with Section 11 of the Income Tax Act, 196 1. Accordingly, no provision for Income Tax has been made.

7. Institute has taken an additional Demand Loan to the tune of Rs.25.70 lakhs (Previous year - Rs.40.00 lakhs ) from the Central Bank of India, New Market Branch against lien. of Fixed Deposits of Rs.75.00 lakhs earmarked under Institute's Fund as per decision of the 206th Council Meeting of the Institute held on 17th October, 2001.

8. Employees' Gratuity fund as at 31st March, 2002 is Rs.1,03,62,105/- as per actuarial valuation as, against the investment including accrued interest thereon of Rs. 1 ,45,10,083. The excess amount to the tune of Rs. 1,55,195 of the Gratuity Fund has been transferred to Income and Expenditure Account and shown below the line.

9. Employees' Benevolent Fund as on 31st March, 2002 is Rs.3,31 ,424/- as against the investment including accrued interest thereon of Rs.3,08,874/- resulting in shortfall of Investment of Rs.22,550/-, which will be made good in the current year.

10. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investments thereof in terms of the decision of the Council. Since the funds have been sponsored by the different donors, the Income / Expenditure thereof have no bearing with the Institute's Accounts. During the year, Institute has received Rs.1.00,000/- from Mrs. Kalyani Ganguly, Rs.30,000/- from Mr.I.S. Iyer. Amount invested during the year is Rs.200,00/- and *Rs.25.000/-* received in the last year along with Rs. 1,00,000/- received in this year. Necessary step for investment of Rs. 30,000/-, is being taken and has been shown under Other Liabilities. Interest accrued on investment includes Rs. 11,671/- on fixed deposit for Prize founds.

Amount received on account A V S Rao Memorial Endowment Lecture and Students Welfare for Rs. 10,001/- & Rs, 40,201/- respectively has been shown under Other Liabilities. Necessary steps arc being taken for investment thereof.

11. Other advances include Rs.12,13,436/- (Previous year – Rs. 16,88,026/- the details of the same are as under:

a) Rs.2.73,764/- is recoverable from five Central Council Members account of Travel Expenses as per decision or the 201st Council Meeting held on March 2001.

b) Rs.9,39,672/- is recoverable from seven Central Council Members on account of Legal Expenses as per decision of the 200th Council Meeting held on 3rd & 4th December, 2000 read with the 201st Council Meeting held on 24th March, 2001.

Rs.4,74,590/- recoverable from Ex- Secretary of the Institute on account of Legal Expenses as per decision of 291st Ex. Com. Meeting and adjourned meeting held on 3rd March, 2001 and 17th March, 2001 read with 294th Executive Committee Meetingh held on 23rd and 24th June, 2001 has been adjusted as per decision of 206th Council Member dt. 17th October, 2001.

12. Amount recoverable on account of Advertisement and Delegate Fees from SAFA Seminar and CAPA Seminar Rs.24,000/- and Rs.3,000/- respectively has been adjusted against General Fund as per decision of the 296th Executive Committee Meeting held on 14th August, 2001.

13. As per past practice, the accounts of the Regional Councils are not incorporated, though at the time of computation o fTrust Income under the Income Tax Act, 1961 these are considered.

14. Account No.CD/1924 of the Central Bank of India, Khan Market Branch, New Delhi has been attached by the Municipal Corporation of Delhi (Assessment & Collection Department) w.ef. 7th November, 2001 on account of Property Tax. Provision for the same has not been made as the matter is been contested through Regional Council.

15. Accounting of Annual Subscription and Tuition Fees are accounted on Cash Basis as per Accounting Policy No.2(a).

16. Rs.14,77,527/- spent for By-Election (2001) and Election of the Central and Regional Councils of the Institute (2001-2004). 1/3rd of the same has been charged to the Income &. Expenditure Account leaving a balance of Rs.9,85,018/- under the head Misc. Expenditure (to the extent not written off) as per Accounting Policy No. 2(b).

17. The recoveries in respect of the followings has been pending for more than three years:

| | |
|---|---|
| Sundry Debtors (Programmes) | Rs.1.77 lakhs |
| Sundry Debtors (Journal) | Rs.0.19 lakhs. |

Steps are being taken to recover the amount.

The 'Institute had granted Building Loan and Computer Loan to different Chapter and the amount outstanding for more than three years is mentioned below:

| | |
|---|---|
| 8% Building Loan- | Rs.20.21 lakhs. |
| 4% Building Loan -. | Rs.1.23 lakhs.' |
| Computer Loan - | Rs.7.27 lakhs. |
| Accrued Interest on Building Loan - | Rs.0.77 lakhs. |

18. Confirmation of balance in respect of Rs,.3000/- in Current Account could not be obtained.

19. Bank Balances include Rs.5,879/- (Previous year - Rs.5,767/-) in inoperative Bank Accounts.

20. Legal Expenses include Rs.0.50 lakhs, which was paid as advance to the Advocates in the earlier year in respect of interlocutory application based on the decision of the Council, has been adjusted during the year.

21. For participation in the International Conferences and Seminars during the year, an expenditure of Rs.6.96 lakhs has been apprised of and formal letters have also been written to the Govt. of India for each such travel.

22. Verification slips issued to different Regional Councils and Chapters for confirmation of balances are still awaited.

23. Previous year's figures have been regrouped wherever found necessary to conform to the current year's groupings.

KUNAL BANERJEE, Vice President V. V. DEODHAR, President

Kolkata

Dated the 21st July, 2002. R. N. PAL, Director (A & F)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.